बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए
क्रियान्वयन दिशा-निर्देश
मई 2019

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कॉपीराइट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के पास है। कोई भी संगठन, गैर सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ'ज), कॉर्पोरेट्स और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मंत्रालय की पूर्व में लिखित अनुमति के बिना बीबीबीपी लोगो का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसी घटना मंत्रालय की जानकारी में आने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बीबीबीपी "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" की टैगलाइन प्रयोग करने संबंधी सभी अधिकार मंत्रालय द्वारा सुरक्षित हैं। बीबीबीपी टैगलाइन का प्रयोग केवल जनहित में किया जा सकता है।

विषय-सूची तालिका

क्र. सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
	शब्दावली	4
1	प्रस्तावना	5
2	क्रियान्वयन दिशा-निर्देशों का प्रयोजन	5
3	उद्देश्य	5
4	लक्षित समूह	6
5	जिलों का चयन	6
6	घटक	7
7	निगरानी के लक्ष्य	7
8	कार्यनीतियां	8
9	योजना की कार्यविधि	8
10	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जाने वाले उपाय	11
11	निगरानी और पर्यवेक्षण	12
12	योजना का प्रशासन	13-14
13	वित्तीय प्रबंधन	15
14	रिपोर्टिंग	16
15	मूल्यांकन	17
16	लेखा-परीक्षा और सामाजिक लेखा-परीक्षा	17
19	अनुलग्नकों की सूची	
	अनुलग्नक-I : 161 जिलों की सूची	18-21
	अनुलग्नक -II : 244 जिलों की सूची	22-28
	अनुलग्नक - III : 235 जिलों की सूची	29-34
	अनुलग्नक - IV : अनुमानित लागत का घटक-वार और वार्षिक ब्यौरा	35
	अनुलग्नक - V : केंद्रीय स्तर घटक	36
	अनुलग्नक - VI : जिला स्तर घटक	37
	अनुलग्नक - VII : जिला स्तर मानक	38-39
	अनुलग्नक -VIII : बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के लिए जीआईए के हस्तांतरण के लिए पी.एफ.एम.एस के अंतर्गत पंजीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	40-42
	अनुलग्नक -IX : जिला कलेक्टरों और उपायुक्तों के लिए दिशा-निर्देश	43-92
	अनुलग्नक - X : उपयोगिता प्रमाण-पत्र, व्यय विवरण और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट के लिए प्रपत्र	93-98

शब्दावली

एडब्ल्यूडब्ल्यू	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
एएसएचए (आशा)	मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एएनएम	सहायक नर्स और दाई
बीबीबीपी	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
बीटीएफ	ब्लॉक कार्य बल
सीएसआर	बाल लिंग अनुपात
सीएसओ	नागरिक सामाजिक संगठन
डीएपी	जिला कार्य योजना
डीएलएसए	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण
डीटीएफ	जिला कार्य बल
आईईसी	सूचना शिक्षा संचार
आईसीडीएस	समेकित बाल विकास सेवा
आईसीपीएस	समेकित बाल संरक्षण स्कीम(योजना)
केजीबीवी	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
एमसीपीसी	मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड
एमएसके	महिला शक्ति केंद्र
एमएचएफडब्ल्यू	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
एनएचएम	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
एनटीएफ	राष्ट्रीय कार्य बल
पीसी एंड पीएनडीटी	गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीएमयू	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
पीओसीएसओ(पॉक्सो)	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
पीआरआई	पंचायती राज संस्थाएं
आरटीई	शिक्षा का अधिकार
एसएए	राज्य उपयुक्त प्राधिकरण
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसजी	राज्य सरकार
एसएमसी	स्कूल प्रबंधन समिति
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसएसई	लिंग चयन उन्मूलन
एसआरसीडब्ल्यू	राज्य महिला संसाधन केंद्र
एसआरबी	जन्म पर बाल लिंग अनुपात
एसटीएफ	राज्य कार्य बल
टीएससी	समग्र स्वच्छता अभियान
यूईई	प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
वीएचएनडी	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस
वीएचएसएनसी	ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

1. प्रस्तावना

1.1 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 0-6 वर्ष में बाल लिंग अनुपात[1](सीएसआर) में अत्यंत गिरावट देखी गयी जो अब तक का सबसे कम लिंगानुपात (918/1000) था। सीएसआर (बाल लिंग अनुपात) में गिरावट का मुद्दा महिलाओं की नि:शक्तिकरण का एक प्रमुख सूचक है क्योंकि यह लिंग आधारित लिंग चयन के माध्यम से प्रकट जन्म-पूर्व भेदभाव एवं जन्म के समय लिंग चयन तथा नैदानिक उपकरणों की आसानी से उपलब्धता, कम कीमत एवं उनका दुरुपयोग और लड़कियों के प्रति जन्म-पश्चात भेदभाव (उनके स्वास्थ्य, पोषण, शैक्षिक जरूरतों के रूप में) दोनों को दर्शाता है। बाल लिंग अनुपात के इतने प्रतिकूल रहने के पीछे प्रमुख कारक जन्म पर कम लिंग अनुपात (एसआरबी)[2] है। एक ओर लड़कियों से भेदभाव वाली सामाजिक संरचना, दूसरी ओर नैदानिक साधनों की आसान उपलब्धता, वहनीयता और परिणामस्वरूप दुरुपयोग सीएसआर की गिरावट में महत्वपूर्ण कारक हैं। मजबूत सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक पूर्वाग्रह, बेटों को वरीयता और बेटियों के प्रति भेदभाव ने समस्या को बढ़ावा दिया है।

1.2 2011 की जनगणना के आंकड़ों द्वारा दर्शाई गई भारी गिरावट तत्काल कदम उठाने की मांग करती है क्योंकि यह उजागर करती है कि बेटियों को निरंतर उनके जीवन से वंचित किया जा रहा है। बेटियों की उत्तरजीविता, संरक्षण एवं शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वित एवं अभिसरित प्रयासों की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जन्म पर बच्चों में लिंगानुपात में गिरावट की समस्या तथा जीवनचक्र की सततता में महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण से सम्बन्धित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' (बीबीबीपी) योजना शुरू की गई। यह योजना प्रारम्भ में 2014-15 में 100 जिलों में शुरू की गई और 2015-16 में 61 अतिरिक्त जिलों में इसका विस्तार किया गया। योजना की शुरुआती सफलता के बाद एक राष्ट्रव्यापी जन अभियान के माध्यम से तथा चयनित जिलों में संकेंद्रित उपायों एवं बहुक्षेत्रक कार्रवाई के माध्यम से 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी 640 जिलों में इस पहल का विस्तार किया गया।

2. कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों का प्रयोजन

2.1 इन दिशा-निर्देशों का प्रयोजन बीबीबीपी के सभी घटकों पर आवश्यक सूचना तथा संदर्भ के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना एवं विभिन्न स्तरों पर इसका कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्ट करना है। इसका उद्देश्य नीतिगत मार्गदर्शन एवं निगरानी के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तरों पर अधिकारियों को सूचना प्रदान करना है। दिशा-निर्देश में योजना के प्रमुख घटक तथा कार्यान्वयन के तौर तरीके शामिल हैं। यह विभिन्न स्तरों पर प्रयुक्त किए जाने वाले निगरानी और रिपोर्टिंग के प्रारूप भी निर्धारित करती है। उम्मीद है कि लक्षित दर्शकों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का प्रयोग योजना की कार्यनीति तथा इसकी प्रक्रियाओं को समझने के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में किया जाएगा। यह सभी स्तरों पर योजना का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में भी उनकी मदद करेगा। दिशा-निर्देश संपूर्ण नहीं है तथा समय-समय पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रतिक्रिया को आवश्यकतानुसार शामिल किया जाएगा।

3. उद्देश्य

3.1 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना का समग्र लक्ष्य बेटियों के जन्म का उत्सव मनाना और उनकी शिक्षा को संभव बनाना है। योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

---

[1]बाल लिंग अनुपात 0-6 वर्ष आयु के बीच 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दर्शाता है।

[2] एसआरबी- जन्म के समय लिंग अनुपात को प्रति 1000 बालकों पर जन्म लेने वाली बालिकाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

- लिंग के आधार पर लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना
- बेटियों की उत्तरजीविता एवं संरक्षण सुनिश्चित करना
- बेटियों की शिक्षा एवं भागीदारी सुनिश्चित करना

4. लक्षित समूह

प्राथमिक	युवा तथा नवविवाहित जोड़े, गर्भवती एवं धात्री माताएं, माता-पिता
द्वितीयक	युवा, किशोर (लड़के एवं लड़कियां), सास-ससुर, चिकित्सा डॉक्टर/प्रैक्टिसनर, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम तथा नैदानिक केंद्र
तृतीयक	अधिकारी, पीआरआई, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, महिला एसएचजी/समूह,धार्मिक नेता, स्वैच्छिक संगठन, मीडिया, चिकित्सा संघ, उद्योग संघ, आम जनता

5. जिलों का चयन

I. चरण 1(वर्ष 2014-15) में योजना संकेंद्रित हस्तक्षेप तथा बहुक्षेत्रक कार्रवाई के लिए 100 जिलों में शुरू की गई। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले के साथ प्रायोगिक आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए 2011 की जनगणना के अनुसार कम बाल लिंग अनुपात के आधार पर इन जिलों का चयन किया गया। चरण 1 में पहले 100 जिलों का चयन करने/चिन्हित करने की कसौटियां/मानदंड इस प्रकार हैं :
   - 918 के राष्ट्रीय औसत से कम बाल लिंग अनुपात वाले 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 87 जिलों का चयन किया गया है।
   - 918 के राष्ट्रीय औसत से अधिक बाल लिंग अनुपात वाले परंतु गिरावट का रुझान दर्शाने वाले 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 8 जिलों का चयन किया गया है।
   - 918 के राष्ट्रीय औसत से अधिक बाल लिंग अनुपात वाले तथा रुझान में सुधार का प्रदर्शन करने वाले पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पांच जिलों का चयन किया गया है ताकि देश के अन्य भाग उनसे सीख सकें।

II. चरण 2 (वर्ष 2015-16) में इस मुद्दे की अहमियत तथा जमीनी स्तर पर योजना के निष्पादन को ध्यान में रखते हुए इस समस्या के बारे में जागरूकता एवं संचेतना पैदा करने के लिए 11 राज्यों को शामिल करते हुए अतिरिक्त 61 जिलों में योजना का विस्तार किया गया।

III. इस अल्पावधि में बीबीबीपी का अनेक जिलों में अनुकूल रुझान दिखने लगा है। यह योजना राष्ट्रीय एजेंडा के रूप में बाल लिंग अनुपात में सुधार लाने में सफल हुई है। 161 जिलों में सफल कार्यान्वयन के आधार पर मंत्रिमंडल ने बीबीबीपी के विस्तार के लिए मंजूरी प्रदान की है जिसमें 244 जिलों (मौजूदा 161 जिलों के अलावा) में बहुक्षेत्रक उपाय तथा 235 जिलों में 'एडवोकेसी एवं आउटरीच' शामिल होगा, इस प्रकार बाल लिंग अनुपात पर गहन सकारात्मक प्रभाव के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी 640 जिले शामिल किए जा रहे हैं।

चरण 1 और चरण 2 में बीबीबीपी के तहत चयनित 161 जिलों की सूची **अनुलग्नक ।** के रूप में संलग्न है। बहुक्षेत्रक कार्रवाई (244 जिले) अलर्ट 'मीडिया एडवोकेसी एवं आउटरीच' (235 जिले) के लिए अखिल भारतीय विस्तार के तहत चयनित जिलों की सूची **अनुलग्नक ।।** और **अनुलग्नक ।।।** के रूप में संलग्न है।

6. घटक

6.1 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एडवोकेसी एवं मीडिया अभियान : योजना के तहत बेटियों के जन्म का उत्सव मनाने तथा उनकी शिक्षा को संभव बनाने के लिए एक राष्ट्र व्यापी अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बेटियां पैदा हो, किसी भेदभाव के बगैर उनका पालन-पोषण हो और वे शिक्षा प्राप्त करें ताकि समान अधिकारों के साथ वे इस देश की सशक्त नागरिक बन सकें। पूरे देश में इस मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा सूचना का प्रसार करने के लिए एक 360 डिग्री मीडिया दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। इसमें हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो स्पाट/जिंगल, दूरदर्शन पर प्रचार, आउटडोर एवं प्रिंट मीडिया, मोबाइल प्रदर्शनी वैन के माध्यम से समुदाय की भागीदारी, सोशल मीडिया तथा क्षेत्र प्रचार शामिल है। अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में एसएमएस अभियान, मेलर, हैंडआउट, ब्रोशर तथा अन्य आई.ई.सी सामग्री के माध्यम से जागरूकता पैदा की जा रही है। माई गव., विकिपीडिआ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बेवसाइट, फेसबुक, यूट्यूब आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है।

6.2 सीएसआर में पिछड़े लिंगात्मक/लिंग दृष्टि से चयनित नाजुक जिलों में बहुक्षेत्रीय उपाय: योजना के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करने, चयनित 405 जिलों (मौजूदा 161 जिलों सहित) में बहुक्षेत्रक कार्रवाई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से योजनागत हस्तक्षेप एवं क्षेत्रक कार्रवाई पर बल दिया जाएगा। सी.एस.आर में सुधार हेतु मापेय परिणाम तथा संकेतक तत्काल समवेत बहुक्षेत्रक कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्रों, राज्यों एवं जिलों को एक साथ लाएंगे। राज्य विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य/जिला कार्य योजना विकसित, कार्यान्वित करने और निगरानी करने हेतु राज्य कार्यबलों द्वारा बहुक्षेत्रीय कार्रवाई के लिए अनुकूल रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसी तरह राज्य/जिला विभिन्न राज्य/जिला संदर्भ के अनुसार अपनी योजनाएं विकसित करेंगे।

7. निगरानी के लक्ष्य

I. लिंगात्मक दृष्टि से नाजुक चयनित जिलों में वर्ष में जन्म पर लिंग अनुपात (एसआरबी) में 2 प्वाइंट सुधार लाना।
II. 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में लिंग अंतर को 2014 (उपलब्ध नवीनतम एसआरएस रिपोर्ट) में 7 प्वाइंट से प्रति वर्ष 1.5 प्वाइंट कम करना।
III. संस्थागत प्रसव में हर साल कम से कम 1.5 प्रतिशत की वृद्धि।
IV. पहली तिमाही के एएनसी पंजीकरण में हर साल कम से कम 1 प्रतिशत की वृद्धि।
V. 2018-19 तक माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 82% तक बढ़ाना।
VI. चयनित जिलों में हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग कार्यात्मक शौचालय उपलब्ध कराना।
VII. 5 साल से कम आयु की कमवजन एवं रक्ताल्पता से पीड़ित लड़कियों की संख्या घटाकर लड़कियों के पोषण स्तर में सुधार लाना।
VIII. संयुक्त आईसीडीएस, एनएचएम, मातृ शिशु सुरक्षा कार्डों का प्रयोग करके आईसीडीएस का सर्वसुलभीकरण, लड़कियों की उपस्थिति तथा समान देखरेख को सुनिश्चित करना।
IX. यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन के माध्यम से बालिकाओं के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण को बढ़ावा देना ।
X. सीएसआर में सुधार तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु समुदायों को प्रेरित करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों/जमीनी स्तर के पदाधिकारियों को सामुदायिक चैंपियन के रूप में प्रशिक्षित करना।

8. कार्यनीतियां

बाल लिंग अनुपात में गिरावट का मुद्दा जटिल एवं बहुआयामी है इसलिए ऐसी बहुक्षेत्रीय रणनीति अपनाई जा रही है, जो लिंग भेदभाव एवं हिंसा की समाप्ति सहित लड़कियों एवं महिलाओं का सम्मान करने, आदर करने एवं उनके अधिकारों को पूरा करने के सिद्धांतों द्वारा अभिशासित होगी। ये रणनीतियां इस प्रकार हैं :

I. बेटियों को समान सम्मान का सृजन करने तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 360 डिग्री दृष्टिकोण के साथ स्थाई मास मीडिया एडवोकेसी और आऊटरीच अभियान का कार्यान्वयन ।
II. सीएसआर/एसआरबी में गिरावट के मुद्दे को आम जनता के वार्तालाप में शामिल करना, जिसमें सुधार लिंग संतुलन का संकेतक होगा ।
III. गहन तथा एकीकृत कार्रवाई के लिए कम सीएसआर वाले जिले और शहरों पर बल देना।
IV. उनकी स्थानीय आवश्यकताओं, संदर्भ एवं संवेदनशीलताओं के अनुसार जिला प्रशासनों द्वारा नवाचारी उपाय/कार्रवाई अपनाना ।
V. स्थानीय समुदाय/महिला/युवासमूहों की साझेदारी में सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरक के रूप में पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों/निर्वाचित प्रतिनिधियों/बुनियादी स्तर के कार्यकर्ताओं की क्षमता सुदृढ़ करना ।
VI. लिंग रूढ़िवादिता तथा सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए समुदाय के साथ मिलकर काम करना।
VII. ऐसे सेवा प्रदायगी तंत्रों/योजनाओं एवं कार्यक्रमों में सुगमता प्रदान करना जो बाल अधिकारों के मुद्दों के प्रति पर्याप्त रूप से क्रियाशील हैं।
VIII. जिला/ब्लॉक/बुनियादी स्तरों पर अंतर क्षेत्रक एवं अंतर संस्थानिक अभिकरण को संभव बनाना ।

9. योजना की कार्यविधि

9.1 संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ अभिसरण

बीबीबीपी के कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ नीति एवं कार्यक्रम के हस्तक्षेपों, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण एवं संचार के लिए अभिसरित कार्रवाई हेतु सहलग्नता की आवश्यकता है। इसके अलावा कार्यान्वयन हेतु राज्यों एवं जिला प्रशासन के साथ भी सहलग्नता स्थापित की जाएगी।

मंत्रालय/विभाग	**भूमिका एवं जिम्मेदारियां**
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	राष्ट्रीय स्तर i. बीबीबीपी के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/जिलों तथा अन्य हितधारकों को समग्र मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करना। ii. योजना का समग्र प्रशासन प्रदान करना। iii. बेटियों का महत्व सृजित करने पर सर्वोत्तम पहलुओं/पहलों का मिलान करना। iv. अधिकारियों, पदाधिकारियों एवं हितधारकों को प्रशिक्षण/संवेदीकरण/प्रबोधन प्रदान करना। v. राष्ट्रीय एडवोकेसी एवं मीडिया आउटरीच अभियान संचालित करना। vi. रिपोर्टिंग एवं निगरानी के लिए ऑनलाइन सूचना प्रबंध प्रणाली (एमआईएस) विकसित करना। vii. यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम 2012 अधिसूचित: राष्ट्रीय एवं राज्य विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी करना।
महिला एवं बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग	राज्य स्तर i. बीबीबीपी के कार्यान्वयन हेतु जिलों को मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करना । ii. नियमित आधार पर राज्य कार्य बल की बैठक बुलाना, मध्यवर्ती लक्ष्यों पर प्रगति सुनिश्चित करना ।

	iii. अन्य साझेदार विभागों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पीआरआई/यूएलबी, ग्रामीण विकास एवं भारत के महापंजीयक (आरजीआई) आदि के साथ बीबीबीपी पर अभिसरण स्थापित करना । iv. महिलाओं सम्बन्धित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ सहलग्नता सुदृढ़ करना । v. मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण को सुगम बनाना तथा जिलों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा तथा अन्य कार्यकर्ताओं के मौजूदा नेटवर्क का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। vi. महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु सभी स्तरों पर स्थानीय चैंपियन चिन्हित करना। vii. अच्छे निष्पादन वाले जिलों, ब्लॉकों, पंचायतों, बुनियादी कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत करना। viii. बेटियों को समान महत्त्व पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु राज्य स्तर पर अभिनव पहलें शुरू करना। ix. सुनिश्चित करना कि राज्य विशिष्ट/स्थानीय विषय आधारित मुद्दों पर सीएसआर के साथ ध्यान दिया जाए। **नोट** : बीबीबीपी हेतु तकनीकी समन्वय एवं सहायता प्रदान करने के लिए महिला शक्ति केंद्र योजना के तहत राज्य महिला संसाधन केंद्र (एस.आर.सी.डब्ल्यू) कार्यक्रम प्रबंधन एकक (पी.एम.यू) के रूप में काम करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	**<u>जिला स्तर</u>** योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश **अनुलग्नक IX**: जिला कलेक्टर/उपायुक्त के लिए दिशा-निर्देश के रूप में उपलब्ध हैं (पृष्ठ 47 से 99) **गर्भधारण-पूर्व तथा प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (पीसी एंड पीएनडीटी) अधिनियम का कारगर कार्यान्वयन** **<u>राष्ट्रीय स्तर</u>** i. केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड (सी.एस.बी) तथा केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड की नियमित बैठकें सुनिश्चित करना। ii. पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए हर साल दो राष्ट्रीय बैठकें। iii. 5 क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें । iv. राष्ट्रीय निरीक्षण एवं निगरानी समिति के दौरे (वर्ष में 24 दौरे) । v. राज्य के उपयुक्त पदाधिकारियों तथा राज्य नोडल अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला । vi. एनआईएमसी के सदस्यों के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला । vii. राज्य उपयुक्त प्राधिकारियों एवं राज्य नोडल अधिकारियों के लिए पीसी एंड पीएनडीटी नियमावली में नए संशोधनों पर प्रबोधन कार्यक्रम ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राज्य सरकार	**<u>राज्य स्तर</u>** i. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड, बहुसदस्यीय राज्य उपयुक्त प्राधिकरण एवं राज्य सलाहकार समिति का गठन एवं पुनर्गठन तथा नियमित बैठकें सुनिश्चित करना । ii. राज्य पीएनडीटी प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण (स्वास्थ्य विभाग की निधियों के माध्यम से) । iii. चयनित जिलों में प्रत्येक तिमाही समीक्षा बैठकें एवं क्षेत्र निरीक्षण तथा निगरानी । iv. राज्य निरीक्षण समितियों के लिए निरीक्षण के लक्ष्य निर्धारित करना । v. पीएनडीटी के लंबित मामलों पर शीघ्र निर्णय सुनिश्चित करने हेतु राज्य न्यायिक अकादमियों के माध्यम से राज्य एवं जिला स्तर पर न्यायपालिका का प्रबोधन एवं संवेदीकरण । vi. पीएनडीटी के सभी चल रहे न्यायिक मामलों पर पर्याप्त एवं शीघ्र बचाव सुनिश्चित करने तथा समय से अपील दाखिल करने के लिए राज्य स्तर पर एक समर्पित कानूनी प्रकोष्ठ स्थापित करना। सेवा निवृत मजिस्ट्रेट या जिला न्यायाधीश कानूनी प्रकोष्ठ के राज्य समन्वयक हो सकते हैं तथा पर्याप्त कार्यालय सहायता के साथ इसमें कम से कम 4 वकील होंगे । vii. राज्य विधि परामर्शदाता द्वारा जिला स्तर पर सूचना के अपडेशन तथा जिला न्यायालयों में लंबित पीएनडीटी के चल रहे सभी न्यायिक मामलों की निगरानी एवं विश्लेषण (प्रत्येक मामले में अपेक्षित सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप सहित) । viii. पीएमओ की समीक्षा सहित पीएनडीटी मामलों के निस्तारण के लिए उच्चतम न्यायालय/उच्च

	न्यायालय के रजिस्ट्रारों के साथ अनुवर्तन । ix. चिकित्सा लाइसेंस रद्द करने/निलंबन का सुनिश्चय करने के लिए राज्य चिकित्सा परिषद को समय से सूचित करना, यदि किसी चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध दोष सिद्ध या आरोप पत्र प्राप्त होता है।
स्वास्थ्य विभाग, जिला स्वास्थ्य विभाग	**<u>जिला स्तर</u>** कलेक्टर/डीएम स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से निम्नलिखित का सुनिश्चय कर सकते हैं : i. विशेष रूप से सिविल पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के माध्यम से जिले में जन्म का शत प्रतिशत पंजीकरण । ii. जिलों के प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित करने तथा संकेंद्रीत कार्य योजना विकसित करने के लिए जन्म पंजीकरण डाटा के माध्यम से जन्म के समय ब्लॉक/ग्राम पंचायत/नगरपालिका-वार लिंग अनुपात की निगरानी करना । iii. सभी गर्भधारणों का पंजीकरण करना तथा सभी महिलाओं को पूर्ण एएनसी एवं प्रसव बाद सेवाएं प्रदान करना। iv. पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत सभी सांविधिक निकायों जैसे कि जिला सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन तथा अधिनियम के अध्यादेश के अनुसार नियमित अंतराल पर बैठकें करना। v. अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाओं के नियमित निरीक्षण एवं निगरानी के लिए जिला निरीक्षण एवं निगरानी समितियों का गठन करना । vi. गर्भधारण पूर्व तथा प्रसव पूर्व नैदानिक जांच, परामर्श एवं प्रक्रिया का संचालन करने वाले आईवीएफ केंद्रों सहित सभी आनुवांशिक प्रयोगशालाओं, आनुवांशिक परामर्श केंद्रों एवं आनुवांशिक क्लीनिकों का पंजीकरण जहां गर्भधारण पूर्व/पश्चात लिंग चयन की संभावना हो । vii. बेहतर निगरानी एवं विनियमन के लिए जिले में शिकायतों/पंजीकरणों/नवीकरणों/ न्यायिक मामलों/दोषसिद्धियों/निलंबनों/निरसनों/नैदानिक क्लीनिकों में प्रयुक्त नैदानिक उपकरणों के मेक एवं मॉडल, नैदानिक प्रक्रिया/जांच करने वाले डॉक्टर के नाम एवं अर्हता का एक व्यापक एवं समर्पित डाटाबेस तैयार करना। viii. अपंजीकृत केंद्रों का पता लगाने के लिए भ्रूण के लिंग का पता लगाने/निर्धारण करने में सक्षम नैदानिक केंद्रों (आनुवांशिक प्रयोगशालाओं, आनुवांशिक परामर्श केंद्रों, आनुवांशिक क्लीनिकों/इमेंजिंग केंद्रों/अलटासाउंड क्लीनिकों) का नियमित सर्वेक्षण। ix. पंजीकृत केंद्रों द्वारा पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत यथा-निर्धारित रिकार्डों का रख-रखाव और अगले माह की 5 तारीख तक प्रस्तुति तथा कारगर निगरानी और विनियमन हेतु रिकॉर्ड का विश्लेषण/लेखा-परीक्षा करना। x. जिले में लिंग चयन के गैर-कानूनी प्रचलन में शामिल अंतर-जिला नेटवर्कों का पता लगाने के लिए निकट के जिला उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना। xi. सूचना देने वालों के लिए पुरस्कारों की घोषणा करके आसूचना विकसित करना। xii. पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत लंबित मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई करना और न्यायायल में मामले की हरेक सुनवाई के दौरान जिला उपयुक्त प्राधिकारी अथवा उनकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना। xiii. जिले में सभी दोषी डॉक्टरों के नाम चिकित्सा परिषद को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट की धारा 23(2) के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए भेजना। xiv. पीएनडीटी एक्ट पूर्व और कारगर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी सुविधाओं में नैदानिक परीक्षण आयोजित करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण। xv. बालिकाओं की स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के माध्यम से बालिकाओं को दिए जाने वाले विशेष लाभों को बढ़ावा देने के लिए सभी अग्रणी कार्यकर्ताओं (स्वास्थ्य एवं महिला और बाल विकास) में बालिकाओं के प्रति संवेदना पैदा करना। xvi. कार्यात्मक गुमनाम शिकायत पोर्टल अथवा प्लेटफॉर्म स्थापित करना।

	xvii.	पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत इकट्ठा किए गए पंजीकरण शुल्क का उपयोग एक्ट के कारगर क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए करना।
	xviii.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्टों के समय पर संचालन में सहायता के लिए राज्य उपयुक्त प्राधिकारियों को पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में नियमित रूप से मासिक रिपोर्ट भेजना।
	xix.	जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में द्विमासिक समीक्षा बैठकें करना।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)	i.	लड़कियों का सार्वभौमिक नामांकन, पढ़ाई जारी रखना और माध्यमिक शिक्षा को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों को सक्रिय बनाना।
	ii.	बालिका मंचों के माध्यम से लड़कियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए मंच बनाना।
	iii.	लड़कियों के लिए कार्यात्मक शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित करना।
	iv.	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा करना।
	v.	बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों के माध्यमिक विद्यालयों में पुन: नामांकन हेतु अभियान।
	vi.	माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के लिए आवास का निर्माण।
	vii.	सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से बालक-बालिका अनुपात के बारे में शिक्षकों में संचेतना पैदा करना।
	viii.	आवसीय स्कूलों सहित बालिका अनुकूल स्कूलों के लिए मानक दिशा-निर्देशों/प्रोटोकोल को संस्थागत बनाना और इनका कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
	ix.	उपलब्धियां हासिल करने वाली लड़कियों के अभिनंदन/बधाई के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार और लड़कियों के लिए विशेष पुरस्कार घोषित करना।

9.2 अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ अभिसरण: भागीदार मंत्रालयों और संबंधित विभागों, जैसे पंचायती राज, शहरी स्थानीय विकास, युवा मामले और खेलकूद, कौशल विकास मिशन, भारत के महापंजीयक, के साथ सम्यकों को सुदृढ़ बनाना।

9.3 अन्य संबंधित पक्षों की सहभागिता: जेंडर, लिंग अनुपात और शिक्षा जैसे मुद्दों पर कार्य कर रहे स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों, सीबीओ, सिविल सोसायटी समूहों, महिला संगठनों की सहभागिता स्थापित करना। बालिका के महत्व और उसे शिक्षा दिलाने के बारे में संवेदना अभियान चलाने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, व्यावसायिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। जिला प्रशासन के साथ परामर्श करके आपस में स्थानीय सीएसओ का कार्यक्षेत्र और भूमिका तय की जानी चाहिए।

9.4 मुद्दों के मामला-दर-मामला समाधान के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत संसाधन मुहैया कराने के लिए निगमों के साथ संपर्कों का पता लगा लगाना।

10. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किए जाने वाले उपाय

10.1 राज्य स्कीम के बहु-क्षेत्रक क्रियान्वयन के समन्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्य बल का गठन करेंगे। संघ राज्य क्षेत्र में, कार्य बल के अध्यक्ष संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक होंगे।

10.2 राज्य कार्य बल की वर्ष में कम से कम दो बैठकें सुनिश्चित करना।

10.3 राज्य कलेक्टर/उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला कार्य बल का गठन सुनिश्चित करेंगे।

10.4 राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मॉनीटरिंग योग्य प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में जिलों द्वारा व्यय और निष्पादन की नियमित आधार पर समीक्षा करेंगे।

10.5 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार लोगों की सोच को बदलने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगी, जागरूकता पैदा करने की पहल करेगी। इस मुद्दे के बारे में व्यापक प्रचार करने और इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री का प्रयोग किया जाएगा।

10.6 राज्य कार्य बल सिविल पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के प्रभावी कार्यान्वयन और छमाही आधार पर संगठित अभियान सुनिश्चित करने की योजना भी बनाएगा। राज्य द्वारा राज्य कार्य बल (एसटीएफ) में सदस्य के रूप में आरजीआई के सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

11. निगरानी और पर्यवेक्षण

बीबीबीपी स्कीम की मॉनीटरिंग निम्नलिखित स्तर पर की जाएगी :

11.1 राष्ट्रीय स्तर पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए सचिव, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय कार्य बल, में संबंधित मंत्रालयों, नामत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, विकलांगता मामले विभाग तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, लिंग विशेषज्ञ और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्य बल राष्ट्रीय स्तर पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा, प्रशिक्षण की विषय-वस्तु को अंतिम रूप प्रदान करेगा, राज्य योजनाओं की समीक्षा करेगा तथा कारगर क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। राष्ट्रीय कार्य बल स्कीम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए वर्ष में दो बार बैठकें करेगा।

11.2 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्कीम के क्रियान्वयन और निगरानी हेतु नोडल मंत्रालय है। संबंधित मंत्रालय कारगर क्रियान्वयन के लिए प्रासंगिक क्षेत्रीय निवेश सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। बीबीबीपी प्रभाग के माध्यम से स्कीम के क्रियान्वयन के समन्वय हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उत्तरदायी होगा। स्कीम के क्रियान्वयन, समन्वयन और मॉनीटरिंग के लिए बीबीबीपी प्रभाग को तकनीकी निवेश और सहायता प्रदान करने के लिए बीबीबीपी के अंतर्गत एक कार्यक्रम प्रबंधन एकक(पीएमयू) का सृजन किया जाएगा। सचिव, महिला एवं बाल विकास बीबीबीपी के बुनियादी लक्ष्य, उद्देश्य और विषय-वस्तु को प्रभावित किए बिना आवश्यक मामलों में प्रचालनात्मक कारणों से बीबीबीपी के दिशा-निर्देशों में थोड़े-बहुत परिवर्तन कर सकते हैं।

11.3 राज्य स्तर पर राज्य स्कीम के बहु-क्षेत्रक क्रियान्वयन के समन्वयन हेतु, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए **राज्य कार्य बल** का गठन करेंगे, जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और विकलांगता मामले विभाग सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। चूंकि इस मुद्दे पर विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण और समन्वयन अपेक्षित है, इसलिए मुख्य सचिव कार्य बल की अध्यक्षता करेंगे। संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य बल की अध्यक्षता संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन करेंगे। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों के बारे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर अपने तंत्र बने हैं, जिन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कार्य बल समझा जाए और उन्हें सुदृढ़ बनाया जाएगा। प्रधान सचिव, महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण इस निकाय के संयोजक होंगे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीम के क्रियान्वयन से जुड़ी सभी गतिविधियों के आईसीडीएस निदेशालय/एमएसके (महिला शक्ति केंद्र) के माध्यम से समन्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तरदायी होगा। एमएसके स्कीम के अंतर्गत राज्य महिला संसाधन केंद्र संस्थाएं, जहां कार्यात्मक होंगी, राज्य कार्य योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए तकनीकी और समन्वयन सहायता प्रदान करने के लिए पीएमयू के रूप में कार्य करेंगी। जिलों द्वारा प्राप्त मध्यवर्ती लक्ष्यों की समीक्षा और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एसटीएफ की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी।

11.4 जिला स्तर पर: जिला कलेक्टर/उपायुक्त की अगुवाई में जिला कार्य बल में स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभागों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस जैसे संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जिला कार्य बल जिला कार्य योजना के कारगर क्रियान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा। जिले में कार्य योजना के निरूपण और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायता और मार्ग-दर्शन ब्लॉक स्तर पर कार्य योजना का उपयोग करते हुए जिला आईसीडीएस कार्यालय में जिला कार्यक्रम अधिकारी (डी.पी.ओ.) द्वारा प्रदान किया जाएगा। वे जिला स्तर पर विभागीय कार्ययोजनाओं में सूचीबद्ध क्रियाकलापों की प्रगति का मासिक समीक्षा भी करेंगे। एमएसके/जिला स्तरीय महिला केंद्र, जहां कार्यात्मक होंगे, बीबीबीपी के क्रियान्वयन पर डीसी/डीएम को तकनीकी और समन्वयन सहायता प्रदान करने के लिए पीएमयू के रूप में कार्य करेंगे।

11.5 **ब्लॉक स्तर पर** : ब्लॉक कार्य योजना के कारगर क्रियान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में सहायता प्रदान करने के लिए उप-मंडल मजिस्ट्रेट/उप-मंडल अधिकारी/ब्लॉक विकास अधिकारी(संबंधित जिला प्रशासन के निर्णयानुसार) की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। एम.एस.के के अंतर्गत कालेज छात्र स्वयंसेवक (115 चुनिंदा पिछले जिलों में) बीबीपी के बारे में समुदाय में संचेतना पैदा करेंगे और इसकी जानकारी देंगे।

11.6 **ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर:** संबंधित पंचायत समिति/वार्ड समिति (संबंधित राज्य सरकार के निर्णयानुसार) जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत/वार्ड आता है, डीएलसीडब्ल्यू-समन्वयक की तकनीकी सहायता से योजना के अंतर्गत क्रियाकलापों को कारगर तरीके से चलाने के लिए समग्र समन्वयन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगी। **ग्राम स्तर पर:** ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समितियां (पंचायतों की उप-समितियों के रूप में मान्यताप्राप्त) योजना के ग्राम स्तर पर क्रियान्वयन और निगरानी में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगी।

12. स्कीम का प्रशासन

12.1 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जिला कलेक्टरों/जिलों मजिस्ट्रेटों के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। भारत सरकार बीबीबीपी स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टरों को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करेंगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केंद्र की ओर से योजना के बजटीय नियंत्रण और संचालन के लिए उत्तरदायी होगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव निदेशक तथा अन्य अधिकारियों के साथ स्कीम के समग्र क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

12.2 जिला स्तर पर डी.पी.ओ (जिला कार्यक्रम अधिकारी) स्कीम के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होगा।

12.3 स्कीम का क्रियान्वयन स्वास्थ्य, शिक्षा और पंचायती राज मंत्रालयों के अभिसरण से जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर आई.सी.डी.एस/एम.एस.के/डी.एल.सी.डब्ल्यू के माध्यम से किया जाएगा।

12.4 राज्य घटक का संचालन और समर्थन एमएसके स्कीम के तहत किया जाएगा।

विभिन्न स्तरों पर स्कीम के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक ढांचे का प्रवाह चित्र इस प्रकार है:

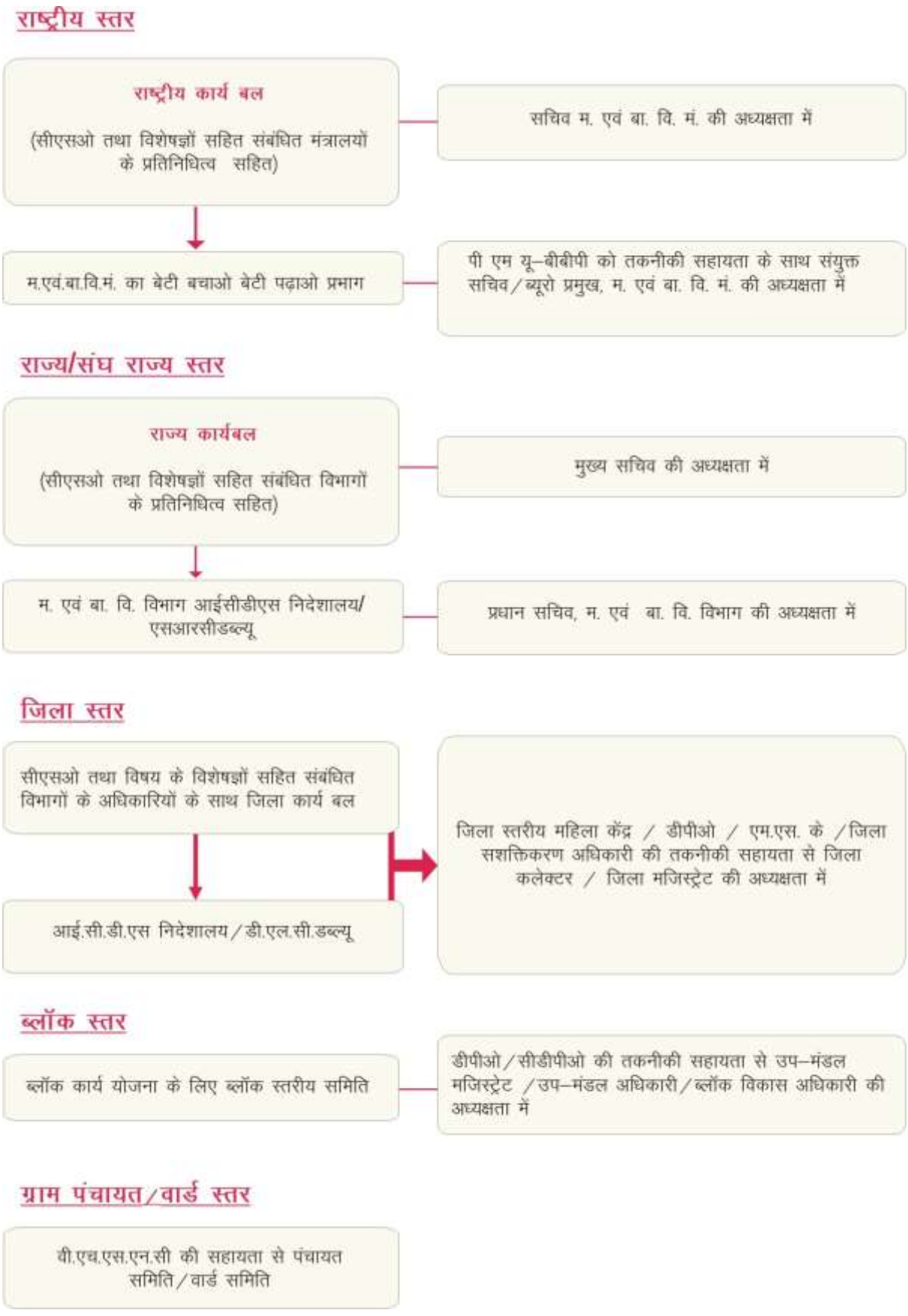

13. वित्तीय प्रबंधन: वित्त मंत्रालय के अ.शा. पत्र सं. 66(01)पीएफ.।।/2015, दिनांक 18.04.2016 के अनुसार योजना स्कीमों का पुनर्गठन संसूचित करते हुए आंतरिक वित्त प्रभाग, म. एवं बा. वि. मंत्रालय के 8 जुलाई, 2016 के का.ज्ञा. के अनुसार।

13.1 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का संचालन/क्रियान्वयन स्कीम के जिला स्तरीय घटक के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ केंद्रीय प्रयोजित छत्रक स्कीम, नामत: महिला संरक्षण एवं सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत किया जाएगा। सहायतानुदान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीधे चुने गए जिले के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को निर्मुक्त किया जाएगा।

13.2 वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए राशि की घटक-वार आवश्यकता **अनुलग्नक-IV** में दी गई है, जो कि कुल 1132.5 करोड़ रुपये है। केंद्रीय स्तर पर घटक-वार आबंटन **अनुलग्नक-V** में, जिला स्तर घटक का **अनुलग्नक-VI** में तथा जिला-स्तर पर मानक **अनुलग्नक-VII** में दिए गए हैं।

13.3 बुनियादी स्तर पर स्कीम के क्रियान्वयन के लिए जिला प्राधिकारियों के पास एक पृथक विशेष बीबीबीपी खाता होगा, जिसका संचालन जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से राशि के अंतरण के लिए खोले गए बैंक खाते का ब्यौरा (बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या, पता तथा आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर) मंत्रालय को सूचित किया जाए। पीएफएमएस पंजीकरण, का ब्यौरा प्रोफार्मा तथा अधिदेश प्रपत्र **अनुलग्नक-VIII** में दिया गया है।

13.4 बीबीबीपी स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर क्रियाकलापों के लिए अलग-अलग जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट को राशि की निर्मुक्ति दो किस्तों में की जाएगी।

13.5 जिला कार्य योजना संबंधित जिले के डी.सी/डी.एम द्वारा तैयार की जायेंगी और उन्हें महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग तथा भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। डी.ए.पी. का अनुमोदन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

13.6 निगरानी/समीक्षा का कार्य राज्य म.बा.वि./समाज कल्याण विभाग द्वारा महिला संसाधन केंद्र (एसआरसीडब्ल्यू) जहां कहीं बने हैं, के माध्यम से किया जाएगा।

13.7 जिले में स्कीम के क्रियान्वयन पर खर्च राशि के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र, व्यय विवरण और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सीधे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी और उसकी प्रति संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के म.बा.वि./समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को प्रेषित की जाएगी।

13.8 व्यय और निष्पादन की समीक्षा राज्य कार्य बल द्वारा अर्ध-वार्षिक आधार पर की जाएगी।

13.9 वित्तीय वर्ष में दूसरी किस्त की निर्मुक्ति से पूर्व जिलों को व्यय की वित्तीय प्रगति और वास्तविक रिपोर्ट भेजनी होगी।

रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा

i.) वास्तविक और वित्तीय रिपोर्टों के साथ व्यय की अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्रों में निम्नलिखित तारीखों तक भारत सरकार को भेजी जाएगी;

- **30 सितंबर को समाप्त पहली छमाही : 15 अक्टूबर तक**
- **31 मार्च को समाप्त दूसरी छमाही : 15 अप्रैल, तक**

14. रिपोर्टिंग

बीबीबीपी योजना में व्यापक समीक्षा और नियमित निगरानी तंत्र अपेक्षित है। इसलिए, इस मंत्रालय ने निगरानी और मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की है। ऑनलाइन एमआईएस http://www.bbbpindia.gov.in पर सक्रिय है और योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले सभी जिलों की जिला विशिष्ट यूजरनेम और पासवर्ड से साइट तक पहुंच उपलब्ध होगी। जवाबदेही सुनिश्चित करने और सेवा में सुधार के लिए, योजना और अभियान से संबंधित जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित सभी कार्यकलापों का प्रलेखन किया जाना महत्वपूर्ण है।

i. डीटीएफ द्वारा डीपीओ को समन्वय अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाए, जो स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों से नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। समन्वय अधिकारी मासिक रिपोर्टों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करने और संबंधित राज्य सरकार को उसकी एक प्रति भेजने के लिए रिपोर्टों का मिलान और संकलन करेगा।

ii. डीसी/डीएम के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन जिला कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए प्रत्येक विभाग से एक नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा।

iii. स्कीम और अभियान के संबंध में जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित सभी क्रियाकलापों के नियमित प्रलेखन की प्रक्रिया जिला स्तर पर नियमित रिपोर्टों, एमआईएस तथा फोटोग्राफिक प्रलेखन के माध्यम से शुरू की जाएगी।

iv. गुणात्मक प्रगति का सही प्रलेखन मामला अध्ययनों, अच्छी प्रथाओं, अभिनव कृत्यों के माध्यम से और फोटोग्राफ के जरिए किया जाना चाहिए।

v. जिला स्तर पर ऑनलाइन मासिक प्रगति रिपोर्ट नोडल अधिकारी (डीपीओ, आईसीडीएस) द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग (भाग ख) और शिक्षा विभाग (भाग ग) के नोडल अधिकारी एमआईएस के अनुसार सूचना प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

vi. नोडल अधिकारी सुनिश्चित करते हैं कि एमआईएस को तिमाही आधार पर अद्यतन और प्रस्तुत किया जाएगा।

vii. जिलों को विगत वित्तीय वर्ष में निर्मुक्त राशि के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र, व्यय विवरण और वार्षिक वास्तविक रिपोर्ट भेजनी होगी। उपयोग प्रमाणपत्र, व्यय विवरण और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट के प्रपत्र **अनुलग्नक–XII** (भाग 'क', भाग 'ख' और भाग 'ग') में दिए गए हैं।

निधि के प्रवाह का आरेखीय वर्णन

क. जिला घटक-बीबीबीपी

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

जिला मजिस्ट्रेट/जिलाकलेक्टर
(बीबीबीपी का अलग खाता)

ख. राज्यघटक - बीबीबीपी (एम एस के स्कीम के अंतर्गत)

बीबीबीपी का राज्य स्तरीय घटक एम एस के स्कीम के साथ है और इसका क्रियान्वयन लागत के बंटवारे के आधार पर किया जाएगा ।

- केंद्र सरकार और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में होगा
- पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के संबंध में लागत का बटवारा 90:10 के अनुपात में होगा
- संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीम का क्रियान्वयन 100 प्रतिशत केंद्रीय निधियों से होगा।

15. मूल्यांकन

i. स्कीम का मूल्यांकन नीति आयोग के परामर्श से स्वतंत्र अभिकरण द्वारा किया जाएगा।
ii. सर्वेक्षणों/समवर्ती मूल्यांकन तंत्र के लिए फार्मेट और क्रियाविधियां भारत सरकार द्वारा तैयार की जाएगी, ताकि एकरूपता बनाए रखी जा सके।

16. लेखा-परीक्षा और सामाजिक लेखा परीक्षा

i. लेखा-परीक्षा कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मानकों के अनुसार किया जाएगा और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के स्तर पर चैनल का अनुसरण किया जाएगा।

ii. योजना के क्रियान्वयन में संलग्न लोगों और संस्थाओं से सीधे फीडबैक प्राप्त करने के लिए नागरिक समाज समूहों द्वारा सामाजिक लेखा-परीक्षा भी की जाएगी।

अनुलग्नक-I

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के 161 जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	जिले का नाम	जनगणना 2001	जनगणना 2011
1.	गुजरात (9)	सूरत	859	835
2.		मेहसाना	801	842
3.		गांधीनगर	816	847
4.		अहमदाबाद	835	857
5.		राजकोट	854	862
6.		आनंद	849	884
7.		अमरेली	892	886
8.		पाटन	865	890
9.		भावनगर	881	891
10.	हरियाणा (20)	महेन्द्रगढ़	818	775
11.		झज्झर	801	782
12.		रेवाड़ी	811	787
13.		सोनीपत	788	798
14.		अंबाला	782	810
15.		कुरूक्षेत्र	771	818
16.		रोहतक	799	820
17.		करनाल	809	824
18.		यमुना नगर	806	826
19.		कैथल	791	828
20.		भिवानी	841	832
21.		पानीपत	809	837
22.		गुडगाँव	807	830
23.		जींद	818	838
24.		फरीदाबाद	847	843
25.		हिसार	832	851
26.		फतेहाबाद	828	854
27.		सिरसा	817	862
28.		पंचकुला	829	863
29.		पलवल	854	866
30.	हिमाचल प्रदेश (3)	उना	837	875
31.		कांगड़ा	836	876
32.		हमीरपुर	850	887
33.	जम्मू व कश्मीर (15)	जम्मू	819	795
34.		पुलवामा	1046	829
35.		कठुवा	847	831
36.		बडगाम	963	832
37.		अनंतनाग	977	841

38.		सांबा	798	779
39.		बारामूला	961	863
40.		गांदरबल	1014	863
41.		राजौरी	905	865
42.		श्रीनगर	983	865
43.		शोपियन	1011	878
44.		कुपवाड़ा	1021	879
45.		कुलगाम	1003	885
46.		उधमपुर	912	886
47.		बांदीपुरा	967	892
48.	मध्य प्रदेश (6)	मुरैना	837	829
49.		ग्वालियर	853	840
50.		भिंड	832	843
51.		दतिया	874	856
52.		रीवा	926	885
53.		टीकमगढ़	916	892
54.	महाराष्ट्र(16)	बीड़	894	807
55.		जलगांव	880	842
56.		अहमदनगर	884	852
57.		बुल्ढाना	908	855
58.		औरंगाबाद	890	858
59.		वाशिम	918	863
60.		कोल्हापुर	839	863
61.		उस्मानाबाद	894	867
62.		सांगली	851	867
63.		जालना	903	870
64.		हिंगोली	927	882
65.		सोलापुर	895	883
66.		पुणे	902	883
67.		परभणी	923	884
68.		नासिक	920	890
69.		लातूर	918	889
70.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (7)	दक्षिण पश्चिम	846	845
71.		उत्तर पश्चिम	857	865
72.		पूर्व	865	871
73.		पश्चिम	859	872
74.		उत्तर	886	873
75.		उत्तर पूर्व	875	880
76.		साउथ	888	885
77.	पंजाब (20)	तरण तारण	784	820
78.		गुरदासपुर	789	821
79.		अमृतसर	792	826

80.		मुक्तसर	811	831
81.		मनसा	782	836
82.		पटियाला	776	837
83.		संगरूर	784	840
84.		साहिबजादा अजीत सिंह नगर	785	841
85.		फतेहगढ़ साहिब	766	842
86.		बरनाला	792	843
87.		फिरोजपुर	822	847
88.		फरीदकोट	812	851
89.		भटिंडा	785	854
90.		लुधियाना	817	860
91.		मोगा	818	860
92.		रूपनगर	799	863
93.		होशियारपुर	812	865
94.		कपूरथला	785	871
95.		जालंधर	806	874
96.		शहीद भगत सिंह नगर	808	885
97.	राजस्थान (14)	झुंझुनू	863	837
98.		सीकर	885	848
99.		करौली	873	852
100.		गंगानगर	850	854
101.		धौलपुर	860	857
102.		जयपुर	899	861
103.		दौसा	906	865
104.		अलवर	887	865
105.		भरतपुर	879	869
106.		सवाई माधोपुर	902	871
107.		जैसलमेर	869	874
108.		हनुमानगढ़	872	878
109.		जोधपुर	920	891
110.		टोंक	927	892
111.	उत्तर प्रदेश (21)	बागपत	850	841
112.		गौतमबुद्ध नगर	854	843
113.		गाजियाबाद	854	850
114.		मेरठ	857	852
115.		बुलंदशहर	867	854
116.		आगरा	866	861
117.		मुज्जफरनगर	859	863
118.		महामाया नगर	886	865
119.		झांसी	886	866
120.		मथुरा	872	870

121.		इटावा	895	875
122.		अलीगढ़	886	877
123.		एटा	880	879
124.		फिरोजाबाद	887	881
125.		जालौन	889	881
126.		बिजनौर	905	883
127.		मैनपुरी	892	884
128.		हमीरपुर	904	886
129.		सहारनपुर	872	887
130.		फर्रुखाबाद	897	889
131.		महोबा	900	892
132.	उत्तराखण्ड (5)	पिथौरागढ़	902	816
133.		चंपावत	934	873
134.		हरिद्वार	862	877
135.		देहरादून	894	889
136.		चमोली	935	889
137.	अंडमान व निकोबार	निकोबार	937	945
138.	आन्ध्र प्रदेश	वाई.एस.आर कडप्पा	951	918
139.	अरूणाचल प्रदेश	देवांग वैली	874	889
140.	असम	कामरूप मेट्रोपोलिटन	943	946
141.	बिहार	वैशाली	937	904
142.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	845	880
143.	छत्तीसगढ़	रायगढ़	964	947
144.	दादर व नागर हवेली	दादर व नागर हवेली	979	926
145.	दमन व दीव	दमन	907	897
146.	गोवा	उत्तर गोवा	938	939
147.	झारखण्ड	धनबाद	951	916
148.	कर्नाटक	बीजापुर	928	931
149.	केरल	त्रिसूर	958	950
150.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप	959	911
151.	मणिपुर	सेनापति	962	893
152.	मेघालय	रिभौई	972	953
153.	मिज़ोरम	शाइहा	950	932
154.	नागालैंड	लोंगलैंग	964	885
155.	ओडिशा	नयागढ़	904	855
156.	पुद्दुचेरी	यनाम	964	921
157.	सिक्किम	उत्तरी जिला	995	929
158.	तमिलनाडु	कुड्डालोर	957	896
159.	तेलंगाना	हैदराबाद	943	914
160.	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	961	951
161.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	927	933

अनुलग्नक-II

बहु-क्षेत्रीय क्रियाकलाप के अंतर्गत चयनित जिलों की सूची (244 जिले)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिले	2001	2011
1	**आंध्र प्रदेश**	अनंतपुर	958	927
2	(07)	चित्तूर	955	931
3		प्रकाशम	955	932
4		कृष्णा	963	935
5		कुरनूल	958	938
6		श्री पोट्टी श्रीरामुलू नेल्लोर	954	939
7		गुंटूर	959	945
8	**अरूणाचल प्रदेश**	वेस्ट सियांग	950	941
9	(05)	अपर सियांग	1010	946
10		लोअर दिबांग घाटी	955	948
11		कुरुंगकुमेय	1049	983
12		ईस्ट कामेंग	1035	1001
13	**बिहार**	पटना	923	909
14	(16)	मुजफ्फरपुर	928	915
15		भोजपुर	940	918
16		बेगूसराय	946	919
17		लखीसराय	951	920
18		समस्तीपुर	938	923
19		सारण	949	926
20		खगड़िया	932	926
21		रोहतास	951	931
22		नालंदा	942	931
23		पूर्वी चम्पारण	937	933
24		मधुबनी	939	936
25		भागलपुर	966	938
26		शेखपुरा	955	940
27		बांका	965	943
28		नवादा	978	945
29	**छत्तीसगढ़**	बीजापुर	1000	978
30	**दमन व दीव**	दीव	960	929
31	**गुजरात**	सुरेंद्रनगर	886	896
32	(13)	खेड़ा	876	896
33		वडोदरा	886	897
34		बनासकांठा	907	898

35		पोरबंदर	898	903
36		साबरकांठा	879	903
37		जामनगर	898	904
38		जूनागढ़	903	907
39		कच्छ	922	921
40		वलसाड	933	925
41		पंचमहाल	935	932
42		नर्मदा	945	941
43		दाहोद	967	948
44	**हरियाणा**	मेवात	894	906
45	**हिमाचल प्रदेश**	सोलन	900	899
46	(05)	बिलासपुर	882	900
47		मंडी	918	916
48		शिमला	929	925
49		सिरमौर	934	928
50	**जम्मू व काश्मीर**	पुंछ	959	893
51	(06)	रियासी	952	919
52		किश्तवाड़	977	924
53		रामबन	968	925
54		डोडा	959	933
55		लेह (लद्दाख)	955	946
56	**झारखंड**	हजारीबाग	972	933
57	(11)	गिरिडीह	977	942
58		बोकारो	950	923
59		कोडरमा	976	949
60		रामगढ़	953	927
61		रांची	960	938
62		पूर्वी सिंहभूम	941	923
63		पलामू	963	945
64		सेरैकेला खरसावन	954	943
65		देवघर	973	950
66		जामताड़ा	977	954
67	**कर्नाटक**	बागलकोट	940	935
68	(04)	हावेरी	957	946
69		गडग	952	947
70		दक्षिण कन्नड़	952	947
71	**मध्य प्रदेश**	शिवपुरी	907	893
72	(36)	श्योपुर	929	897
73		छतरपुर	917	900
74		इंदौर	908	901
75		सतना	931	910

76		गुना	930	910
77		नरसिंहपुर	917	911
78		सीहोर	927	912
79		सीधी	952	914
80		पन्ना	932	914
81		देवास	930	918
82		होशंगाबाद	927	919
83		राजगढ़	938	920
84		शाजापुर	936	920
85		भोपाल	925	920
86		अशोकनगर	932	921
87		सिंगरौली	955	923
88		जबलपुर	931	923
89		बुरहानपुर	934	924
90		सागर	931	925
91		विदिशा	943	926
92		मंदसौर	946	927
93		नीमच	931	927
94		धार	944	928
95		दमोह	935	928
96		उज्जैन	938	930
97		खरगोन	946	932
98		रायसेन	936	932
99		खण्डवा	962	938
100		रतलाम	956	939
101		कटनी	952	939
102		झाबुआ	967	943
103		उमरिया	959	943
104		बड़वानी	970	948
105		अनूपपुर	977	950
106		सिवनी	977	953
107	**महाराष्ट्र (15)**	सतारा	878	895
108		धुले	907	898
109		नांदेड़	929	910
110		अकोला	933	912
111		मुंबई उपनगर	923	913
112		मुंबई सिटी	922	914
113		वर्धा	928	919
114		सिंधुदुर्ग	944	922
115		यवतमाल	933	922

116		ठाणे	931	924
117		नागपुर	942	931
118		रायगढ़	939	935
119		अमरावती	941	935
120		रत्नागिरी	952	936
121		नंदुरबार	961	944
122	**मणिपुर** (07)	तामेंगलांग	936	917
123		चंदेल	962	921
124		उखरूल	946	923
125		बिश्नुपुर	952	933
126		थौबल	967	935
127		इंफाल ईस्ट	963	943
128		चुराचांदपुर	968	948
129	**मिजोरम** (01)	सेरछिप	974	949
130	**नागालैंड** (06)	सोम	973	912
131		फेक	926	913
132		तुएनसांग	968	933
133		पेरेन	968	935
134		मोकोकचुंग	989	949
135		वोखा	985	956
136	**दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र** (02)	नई दिल्ली	898	894
137		मध्य	903	905
138	**ओड़िशा** (14)	ढेंकनाल	925	877
139		अनुगुल	937	889
140		गंजम	939	908
141		कटक	939	914
142		खोड़दा	926	916
143		देबगढ़	956	927
144		सुंदरगढ़	970	946
145		संबलपुर	959	940
146		केंद्रपाड़ा	940	926
147		जाजपुर	937	926
148		झारसुगुडा	949	943
149		भद्रक	943	942
150		बालेश्वर	944	943
151		कालाहांडी	984	957
152	**राजस्थान** (19)	बूंदी	912	894
153		जालोर	921	895
154		सिरोही	918	897
155		नागौर	915	897
156		पाली	925	899

157		कोटा	912	899
158		अजमेर	922	901
159		चुरू	906	902
160		राजसमंद	936	903
161		बाड़मेर	919	904
162		बीकानेर	920	908
163		झालावाड़	934	912
164		चितौड़गढ़	926	912
165		बारां	919	912
166		डूंगरपुर	955	922
167		बांसवाड़ा	962	934
168		उदयपुर	947	924
169		भीलवाड़ा	949	928
170		प्रतापगढ़	953	933
171	**तमिलनाडु**	अरियालुर	949	897
172	(10)	धर्मपुरी	826	913
173		नमक्कल	889	914
174		सेलम	851	916
175		पेरम्बलुर	937	913
176		विलुप्पुरम	961	941
177		तिरुवन्नामलाई	948	930
178		तिरुवल्लुर	957	946
179		तिरुचिरापल्ली	955	947
180		चेन्नई	972	950
181	**तेलंगाना**	वारंगल	955	923
182	(07)	नलगोंडा	952	923
183		महबूबनगर	952	925
184		रंगारेड्डी	959	933
185		आदिलाबाद	962	934
186		करीमनगर	962	935
187		निजामाबाद	959	948
188	**उत्तर प्रदेश**	कानपुर नगर	869	873
189	(47)	वाराणसी	919	885
190		इलाहाबाद	917	893
191		कांशीराम नगर	905	893
192		औरैया	894	896
193		कानपुर देहात	892	897
194		कन्नौज	912	898
195		शाहजहांपुर	890	899
196		हरदोई	914	899
197		बलिया	942	900

198		मिर्जापुर	928	902
199		बांदा	917	902
200		संत रविदास नगर (भदोही)	916	902
201		शाहजहांपुर	895	903
202		ज्योतिबा फुले नगर	911	903
203		बरेली	906	903
204		चित्रकूट	928	907
205		फतेहपुर	927	907
206		गाजीपुर	934	908
207		गोरखपुर	934	909
208		चंदौली	937	911
209		पीलीभीत	941	912
210		लखनऊ	915	915
211		मुरादाबाद	912	916
212		ललितपुर	931	916
213		प्रतापगढ़	936	917
214		जौनपुर	930	918
215		आजमगढ़	949	919
216		उन्नाव	923	920
217		खेरी	943	921
218		सुल्तानपुर	941	922
219		कौशाम्बी	946	923
220		सोनभद्र	957	925
221		देवरिया	948	925
222		गोंडा	952	926
223		मऊ	946	926
224		रायबरेली	941	926
225		श्रावस्ती	944	928
226		कुशीनगर	955	929
227		बस्ती	938	929
228		सीतापुर	936	930
229		महाराजगंज	958	931
230		फैजाबाद	945	931
231		अम्बेडकर नगर	942	932
232		बाराबंकी	941	932
233		बहराइच	965	935
234		सिद्धार्थनगर	964	935
235	**उत्तराखंड**	टिहरी गढ़वाल	927	897
236	(08)	उधम सिंह नगर	913	899
237		नैनीताल	911	902
238		बागेश्वर	931	904

239		पौड़ी गढ़वाल	930	904
240		रुद्रप्रयाग	953	905
241		उत्तरकाशी	942	916
242		अल्मोड़ा	932	922
243	**पश्चिम बंगाल**	कूचबिहार	964	948
244	(02)	बांकुड़ा	953	949

अनुलग्नक-III

मीडिया समर्थन और पहुंच के अंतर्गत चयनित जिलों की सूची (235 जिले)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिले	2001	2011
1	**अंडमान व निकोबार** (02)	दक्षिण अंडमान	949	969
2		उत्तर और मध्य अंडमान	977	974
3	**आंध्र प्रदेश** (05)	श्रीकाकुलम	967	954
4		विजयनगर	980	960
5		विशाखापत्तनम	976	961
6		पश्चिम गोदावरी	970	964
7		पूर्व गोदावरी	978	968
8	**अरूणाचल प्रदेश** (10)	तिराप	941	961
9		लोअर सुबानसिरी	972	966
10		लोहित	933	966
11		अपर सुबनसिरी	985	970
12		पश्चिम कामेंग	955	973
13		पापुम परे	978	977
14		चांगलांग	954	979
15		तवांग	948	986
16		पूर्वी सियांग	958	988
17		अंजाव	932	991
18	**असम** (26)	धेमाजी	970	950
19		कछार	961	954
20		कोकराझार	955	954
21		हैलाकांडी	927	954
22		मोरीगांव	966	956
23		कार्बी आंग्लोंग	974	959
24		लखीमपुर	967	959
25		शिवसागर	968	960
26		तिनसुकिया	958	960
27		बारपेटा	961	961
28		डिब्रूगढ़	962	962
29		गोलपाड़ा	974	963
30		गोलाघाट	963	963
31		नगांव	975	964
32		जोरहाट	967	964
33		सोनितपुर	974	966
34		बक्सा	961	966
35		दिमा हासाओ	955	967
36		नलबाड़ी	961	967

37		कामरूप	963	967
38		चिरांग	958	968
39		धुबरी	964	968
40		दरांग	977	969
41		बोंगईगांव	972	969
42		करीमगंज	965	969
43		उदलगुड़ी	975	973
44	**बिहार** (21)	जहानाबाद	915	922
45		मुंगेर	914	922
46		शिवहर	916	929
47		मधेपुरा	927	930
48		सीतामढ़ी	924	930
49		दरभंगा	915	931
50		सहरसा	912	933
51		बक्सर	925	934
52		सिवान	934	940
53		अरवल	920	940
54		कैमूर (भबुआ)	940	942
55		औरंगाबाद	943	944
56		सुपौल	925	944
57		पश्चिम चंपारण	953	953
58		पूर्णिया	967	954
59		गोपालगंज	964	954
60		जमुई	963	956
61		अररिया	963	957
62		गया	968	960
63		कटिहार	966	961
64		किशनगंज	947	971
65	**छत्तीसगढ़** (16)	जंजिगिर - चंपा	966	950
66		बिलासपुर	965	961
67		सरगुजा	977	962
68		दुर्ग	966	963
69		कोरबा	978	966
70		कोरिया	970	968
71		रायपुर	965	968
72		महासमुंद	979	971
73		धमतरी	976	973
74		उत्तर बस्तर कांकर	975	978
75		जशपुर	975	980
76		कबीरधाम	970	983
77		राजनंदगांव	984	986

78		नारायणपुर	999	989
79		बस्तर	1009	994
80		दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1023	1005
81	**गोवा** (01)	दक्षिण गोवा	937	946
82	**गुजरात** (04)	भरूच	918	920
83		नवसारी	915	923
84		तापी	951	953
85		डेंग्स	974	964
86	**हिमाचल प्रदेश** (04)	चंबा	955	953
87		कुल्लू	960	962
88		किन्नौर	979	963
89		लाहौल और स्पिति	961	1033
90	**जम्मू व काश्मीर** (01)	कारगिल	980	977
91	**झारखंड** (12)	गोड्डा	978	960
92		साहिबगंज	975	960
93		गढ़वा	962	960
94		गुमला	975	963
95		खूंटी	966	964
96		दुमका	975	966
97		चतरा	976	967
98		लातेहार	976	968
99		सिमडेगा	978	969
100		लोहरदगा	945	970
101		पाकुर	964	975
102		पश्चिमी सिंहभूम	978	983
103	**कर्नाटक** (25)	बेलगाम	921	934
104		मंड्या	934	939
105		बीदर	941	942
106		गुलबर्गा	931	943
107		धारवाड़	943	944
108		बैंगलोर	943	944
109		चित्रदुर्ग	946	947
110		दावनगेरे	946	948
111		रायचूर	964	950
112		बैंगलोर ग्रामीण	939	950
113		यादगीर	952	951
114		चामराजनगर	964	953
115		चिक्कबल्लपुर	952	953
116		उत्तर कन्नड़	946	955
117		कोप्पल	953	958
118		उडुपी	958	958

119		तुमकुर	949	959
120		बेल्लारी	947	960
121		शिमोगा	956	960
122		मैसूर	962	961
123		कोलार	965	962
124		रामनगर	945	962
125		चिकमंगलूर	959	969
126		हसन	958	973
127		कोडागू	977	978
128	**केरल** (13)	अलाप्पुझा	956	951
129		एर्नाकुलम	954	961
130		कासरगोड	959	961
131		इडुक्की	969	964
132		कोट्टायम	962	964
133		तिरुवनंतपुरम	962	964
134		वायनाड	959	965
135		मलप्पुरम	960	965
136		पलक्कड़	963	967
137		कोझिकोड	959	969
138		कन्नूर	962	971
139		कोल्लम	960	973
140		पथानामथिट्टा	967	976
141	**मध्य प्रदेश** (08)	हरदा	925	928
142		शाहडोल	969	950
143		छिंदवाड़ा	958	956
144		बेतुल	969	957
145		बालाघाट	968	967
146		डिंडोरी	989	970
147		मंडला	981	970
148		अलीराजपुर	982	978
149	**महाराष्ट्र** (04)	भंडारा	956	950
150		चंद्रपुर	939	953
151		गोंदिया जिला	958	956
152		गडचिरोली	966	961
153	**मणिपुर**	इंफाल वेस्ट	943	949
154	**मेघालय** (06)	पूर्वी खासी हिल्स	972	964
155		पश्चिम खासी हिल्स	975	967
156		दक्षिण गारो हिल्स	971	974
157		जयंती हिल्स	995	976
158		वेस्ट गारो हिल्स	959	976
159		पूर्वी गारो हिल्स	972	980

160	**मिज़ोरम** (06)	लुंगलेई	962	963
161		लवंग्तलाई	947	967
162		चम्फाई	974	971
163		मामित	937	979
164		आइजोल	973	979
165		कोलासिब	973	980
166	**नागालैंड** (04)	जुनहेबोटो	944	948
167		किफायर	936	948
168		दीमापुर	970	966
169		कोहिमा	967	985
170	**ओड़िशा** (15)	जगतसिंहपुर	926	929
171		पुरी	931	932
172		सुबर्नापुर	967	952
173		बलांगीर	967	955
174		बारगढ़	957	957
175		मयूरभंज	956	960
176		कंधमाल	970	962
177		रायगढ़	981	965
178		केंदुझार	962	967
179		गजपति	964	967
180		बुद्ध	966	978
181		कोरापुट	983	979
182		नुआपाड़ा	969	981
183		मल्कानगिरी	982	992
184		नबरंगपुर	999	998
185	**पुद्दुचेरी** (03)	कराईकल	979	969
186		पुद्दुचेरी	967	970
187		माहे	910	978
188	**सिक्किम** (03)	दक्षिण जिला	969	953
189		पूर्व जिला	950	960
190		पश्चिम जिला	966	964
191	**तमिलनाडु** (21)	कृष्णागिरी	905	926
192		मदुरै	926	932
193		डिंडीगुल	930	934
194		थेनी	891	934
195		करूर	930	939
196		वेल्लोर	943	944
197		तिरुपूर	954	952
198		इरोड	935	953
199		विरुधुनगर	958	955
200		कोयंबटूर	968	956

201		तंजावुर	959	957
202		थिरुवरुर	970	958
203		नागपट्टिनम	963	959
204		कांचीपुरम	961	959
205		शिवगंगा	952	960
206		पुदुक्कोट्टई	955	960
207		तिरुनेलवेली	957	960
208		रामनाथपुरम	964	961
209		थूथुकुडी	953	963
210		कन्याकुमारी	968	964
211		निलगिरी	979	985
212	**तेलंगाना** (02)	मेडक	964	952
213		खम्मम	971	958
214	**त्रिपुरा** (03)	पश्चिम त्रिपुरा	967	952
215		धलाई	965	968
216		उत्तर त्रिपुरा	970	969
217	**उत्तर प्रदेश** (03)	रामपुर	922	924
218		संत कबीर नगर	941	942
219		बलरामपुर	961	950
220	**पश्चिम बंगाल** (16)	पूर्वी मेदिनीपुर	942	946
221		मालदा	964	950
222		बर्द्धमान	957	951
223		हुगली	951	952
224		उत्तर दिनाजपुर	965	953
225		पुरुलिया	964	953
226		दार्जिलिंग	962	953
227		जलपाईगुड़ी	969	955
228		उत्तर चौबीस परगना	957	956
229		दक्षिण दिनाजपुर	966	957
230		बीरभूम	964	959
231		नदिया	972	960
232		हावड़ा	956	962
233		दक्षिणी चौबीस परगना	964	963
234		पश्चिम मेदिनीपुर	959	963
235		मुर्शिदाबाद	972	968

अनुलग्नक - IV

घटक और वर्ष वार व्यय

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	प्रत्येक स्तर पर ब्यौरे	प्रति यूनिट लागत	यूनिटों की संख्या	2017-18	प्रति यूनिट लागत	यूनिटों की संख्या	2018-19	प्रति यूनिट लागत	यूनिटों की संख्या	2019-20	कुल
1	**केंद्रीय स्तर**										
	(i) मीडिया अभियान (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डीएवीपी द्वारा)	25	405	10125	25	405	10125	25	405	10125	
	(ii) एमआईएस के प्रशिक्षण/अभिविन्यास/परामर्श, कार्यशाला/अनुसंधान/विकास और इसके रखरखाव/अन्य विविध कार्य	500	-	500	500	-	500	500	-	500	
	(iii) निगरानी और मूल्यांकन	1000	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000	
	(iv) बीबीबीपी के 235 विशेष जिलों के लिए मीडिया अभियान	25	235	5875	25	235	5875	25	235	5875	
	उप योग (केंद्रीय स्तर)			**17500**			**17500**			**17500**	**52500**
2	**जिला स्तर**										
1	(i) अंत: क्षेत्रीय परामर्श और डीटीएफ एवं बीटीएफ की बैठक तथा मीडिया अभियान (ii) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण /संवेदीकरण कार्यक्रम	8	405(161+244)	3240	8	405(161+244)	3240	8	405(161+244)	3240	
2	(i) नवाचारीय और आउटरीच क्रियाकलाप (ii) आईईसी सामग्री / आंगनवाड़ी केंद्र के लिए जागरूकता किट	25	405	10125	20	405	10125	20	405	10125	
3	निगरानी, मूल्यांकन और प्रलेखन	3	405	1215	3	405	1215	3	405	1215	
4	मा.सं.वि. मंत्रालय के क्षेत्रीय क्रियाकलाप	5	405	2025	5	405	2025	5	405	2025	
5	स्वा. एवं. प. क. मंत्रालय के क्षेत्रीय क्रियाकलाप	5	405	2025	5	405	2025	5	405	2025	
6	लचीली निधि (10%)	4	405	1620	4	405	1620	4	405	1620	
7	उप योग (जिला स्तर)	**50**	**405**	**20250**	**50**	**405**	**20250**	**50**	**405**	**20250**	**60750**
	समग्र योग			**37750**			**37750**			**37750**	**113250**
				377.5 करोड़			**377.5 करोड़**			**377.5 करोड़**	**1132.5 करोड़**

अनुलग्नक - V

घटक स्तरीय मानक											
											(रुपये लाखों में)
क्र. सं.	ब्यौरे	प्रति यूनिट लागत	यूनिटों की संख्या	2017-18	प्रति यूनिट लागत	यूनिटों की संख्या	2018-19	प्रति यूनिट लागत	यूनिटों की संख्या	2019-20	कुल
1	**केंद्रीय स्तर**										
	(i) मीडिया अभियान (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डीएवीपी द्वारा)	25	405	10125	25	405	10125	25	405	10125	
	(ii) एमआईएस के प्रशिक्षण/अभिविन्यास/परामर्श, कार्यशाला/अनुसंधान/विकास और इसका रखरखाव/अन्य विविध कार्य	500	-	500	500	-	500	500	-	500	
	(iii) निगरानी और मूल्यांकन	1000	-	1000	1000	-	1000	1000	-	1000	
	(iv) बीबीबीपी के 235 विशेष जिलों के लिए मीडिया अभियान	25	235	5875	25	235	5875	25	235	5875	
	उप योग (केंद्रीय स्तर)			**17500**			**17500**			**17500**	**52500**
				175 करोड़			**175 करोड़**			**175 करोड़**	**525 करोड़**

अनुलग्नक - VI

जिला स्तरीय मानक									
क.	**जिला वार घटक**								
			2017-18		**2018-19**		**2019-20**		**कुल**
क्र.सं.	**मद/घटक**	**बजटीय सीमा (लाख में)**	**जिलों की संख्या**	**लागत (लाख में)**	**जिलों की संख्या**	**लागत (लाख में)**	**जिलों की संख्या**	**लागत (लाख में)**	**लागत (लाख में)**
1	(i) अंत: क्षेत्रीय परामर्श और डीटीएफ एवं बीटीएफ की बैठक तथा मीडिया अभियान (ii) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण /संवेदीकरण कार्यक्रम	8	405(161+244)	3240	405(161+244)	3240	405(161+244)	3240	
2	(i) नवाचारीय और आउटरीच क्रियाकलाप (ii) आंगनवाड़ी केंद्र के लिए आईईसी सामग्री/ जागरूकता किट	25	405	10125	405	10125	405	10125	
3	निगरानी, मूल्यांकन और प्रलेखन	3	405	1215	405	1215	405	1215	
4	मा.सं.वि. मंत्रालय के क्षेत्रीय क्रियाकलाप	5	405	2025	405	2025	405	2025	
5	स्वा. एवं. प.क. मंत्रालय के क्षेत्रीय क्रियाकलाप	5	405	2025	405	2025	405	2025	
6	लचीली निधि (10%)	4	405	1620	405	1620	405	1620	
7	**योग**	**50**	**405**	**20250** **202.5 करोड**	**405**	**20250** **202.5 करोड़**	**405**	**20250** **202.5 करोड़**	**60750** **607.5 करोड़**

अनुलग्नक VII

जिला स्तरीय मानदंड **लाखों में**

क्र.सं.	विषय	यूनिटों की सं.	लागत प्रति यूनिट	बजटीय उच्चतम सीमा
1	(i) अंतर-क्षेत्रीय परामर्श, डीटएीएफ, बीटीएफ की बैठकें और मीडिया अभियान (ii) प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण/सुग्राहीकरण कार्यक्रम			8
2	(i) नवीकरण एवं आउटरीच (ii) आंगनवाड़ी केंद्रों को आईईसी सामग्री/जागरूकता किट			25
3	निगरानी, मूल्यांकन एवं प्रलेखन			3
4	मानव संसाधन विकास मंत्रालय की क्षेत्रीय गतिविधियां			5
5	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की क्षेत्रीय गतिविधियां			5
6	लचीली निधि (10 प्रतिशत)			4
7	**कुल**			**50**

नोट :

1. उपरोक्त क्रम संख्या 1(ii) के रूप में गतिविधियों में (जिला अधिकारी/धार्मिक नेता/पीआरआई/न्यायपालिका, अग्रणी कार्यकर्ता/वीएचएसएनसी सदस्य/युवा समूह, एसएचजी, गैर सरकारी संगठन) शामिल हो सकते हैं।

2. उपरोक्त क्रम संख्या 2 की गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :-

(i) नवाचार पद्धतियों का अंगीकरण: जैसे कि बालिका दिवस का आयोजन (माह में एक निर्धारित दिन)/बेटी जन्मोत्सव/पंचायत को सक्षम बनाने/शहरी वार्ड/बेहतर पद्धति को अपनाने के लिए अग्रणी कार्यकर्ता/ अस्पतालों में बालिका और उसके परिवार को जन्म प्रमाणपत्र देकर तथा मिठाई बांटकर बधाई देने जैसी नवीन पद्धतियों को अपनाना। (ii) आउटरीच गतिविधियां: जैसे कि नुक्कड़ नाटक/रैली/बेबी शो, ग्रामीण स्वास्थ्य सिंचाई तथा पोषण समिति (वीएचएसएनसी) की नियमित बैठकों का आयोजन, त्रैमासिक आधार पर सी.एस.आर पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन तथा डी.टी.एफ/बी.टी.एफ द्वारा चिन्हित इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां। (iii) आंगनवाड़ी केंद्रों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आई.ई.सी सामग्री/जागरूकता किट उपलब्ध कराना।

3. **मद संख्या 3 के तहत,** प्रलेखन, निगरानी और मूल्यांकन - दिशानिर्देश में उल्लिखित अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त, कार्यक्रम की निगरानी के लिए यात्रा से संबंधित व्यय, केस अध्ययन, सर्वोत्तम पद्धति, जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रभाव मूल्यांकन को मद संख्या 3 में शामिल किया जा सकता है। यह व्यय मद संख्या 3 (प्रलेखन, निगरानी और मूल्यांकन) के तहत कुल आवंटन के 40% तक सीमित होगा। हालांकि, टीए/डीए से संबंधित व्यय इस शीर्ष से पूरे नहीं किए जायेंगे।

4. **क्रम संख्या 4 में उल्लेखानुसार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की क्षेत्रीय गतिविधियों** से संबंधित ब्यौरों में वे गतिविधियां शामिल हो सकती हैं जो नीचे सूचीबद्ध गतिविधियों के अतिरिक्त, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्सहित करती हो।

I. छात्राओं को कक्षा V से VI में 100 प्रतिशत प्रोन्नत करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्राथमिक स्कूल को 10000 रुपये तक की राशि के अतिरिक्त स्कूली अनुदान की मंजूरी।

II. छात्राओं को कक्षा VIII से IX में 100 प्रतिशत उत्तीर्ण करने का लक्ष्य प्राप्त करते हुए प्रत्येक अपर प्राथमिक विद्यालय को 15000 रुपये की राशि के अतिरिक्त स्कूल अनुदान की मंजूरी।

III. छात्राओं को कक्षा X से XI में 100 प्रतिशत उत्तीर्ण करने का लक्ष्य प्राप्ते करते हुए प्रत्येक माध्यमिक स्कूल को 20000 रुपये की राशि के अतिरिक्त स्कूल अनुदान की मंजूरी।

IV. 10वीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली जिले की 10 सर्वोच्च लड़कियों में से प्रत्येक को प्रमाणपत्र और 5000 रुपये के नकद पुरस्कार के साथ जिला स्तर के समारोह में बधाई देना।

V. 12वीं की राज्य बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली जिले की सर्वोच्च 10 लड़कियों में से प्रत्येक को प्रमाणपत्र और 5000 रुपये के नकद पुरस्कार के साथ जिला स्तर के समारोह में बधाई देना।

VI. उच्च शिक्षा के लिए नामांकित होने वाली जिले की 12वीं बोर्ड परीक्षा की टॉपर लड़की को 20000 रुपये के पुरस्कार के साथ जिला स्तर पर बधाई देना।

VII. स्कूलों/विद्यार्थियों का चयन यूडीआईएसई (UDISE) आंकड़ों तथा बोर्ड के परिणामों के आधार पर किया जाएगा।

5. क्रम संख्या 4 में वर्णनानुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की क्षेत्रीय गतिविधियों से संबंधित ब्यौरा निम्नलिखित है :-

I. जागरूकता अभियान का संचालन तथा सभी हितधारकों का संवेदीकरण।

II. पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों पर सरकारी सुविधाओं में नैदानिक प्रक्रियाओं का संचालन करने वाले चिकित्सा अधिकारियों का प्रशिक्षण ।

III. लुभाकर सहयोग किए जाने का संचालन करना और सूचना देने वालों को पुरस्कार देना।

IV. पीसी-पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई अन्य कार्य करना।

6. फ्लेक्सी निधि, मद (6) - इस मद के तहत निधि का उपयोग जिला कार्य बल (डीटीएफ) की मंजूरी के बाद भी किया जा सकता है। हालांकि, इस निधि का उपयोग कार्यालयों के निर्माण/मरम्मत/सामान्य प्रचार, कार्यालयों के लिए वाहन/फर्नीचर की खरीद हेतु नहीं किया जाना चाहिए।

अनुलग्नक VIII

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के लिए जीआईए के हस्तांतरण के लिए पी.एफ.एम.एस के अंतर्गत पंजीकरण हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

1. चरण I - बैंक खाता खोलना : इस उद्देश्य के लिए जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर या नोडल एजेंसी जिला स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पदनामित होगी। जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टरों से पीएओ द्वारा सीधे ही निधियां हस्तांतरित करने के लिए जिला मुख्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के नाम से एक पृथक् बैंक खाता खोलने की अपेक्षा की जाएगी। बैंक खाता स्कीम के नाम उदाहरणार्थ जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिले का नाम से खोली जाएगी। बैंक खाते का ब्यौरा, रद्द किया गया एक चेक तथा बैंक के ब्यौरे वाली पासबुक का पहला पृष्ठ मंत्रालय के संबंधित कार्यक्रम प्रभाग (बीबीबीपी) को भेजा जाएगा।

2. चरण II : पी.एफ.एम.एस पर अभिकरण (एजेंसी) का पंजीकरण : कदम 1 के पूरा होने पर जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर से कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पीएफएमएस पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाने की अपेक्षा की जाती है। इस उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित कदमों के अपनाए जाने की अपेक्षा है :-

क. pfms.nic.in वेबसाइट पर जाएं और कार्यान्वयन एजेंसी के लिए http://pfms.nic.in/static/userGuide वेबसाइट पर उपलब्ध चरणों का पालन करें। इस प्रकार, यूनिक आईडी, लॉगइन तथा पासवर्ड सृजित किया जाएगा।

ख. लॉगइन आईडी और पासवर्ड पंजीकरण फॉर्म में भरे गए ई-मेल को स्वत: ही भेज दिया जाएगा। सुरक्षा उद्देश्यों से यूजर आईडी और पासवर्ड को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

ग. अतिरिक्त लॉगइन के लिए, जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर एक ही लॉगइन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं किंतु पहले लॉगइन के पश्चात तथा उसके बाद समय-समय पर पासवर्ड को बदलना बेहतर होता है।

घ. जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टरों से पीएफएमएस में अभिकरण के मानचित्र के लिए संबंधित कार्यक्रम प्रभाग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को बैंक अधिदेश फॉर्म, रद्द चेक तथा बैंक के ब्यौरे वाली पासबुक का पहले पृष्ठ के साथ अपना यूनिक कोड भेजने की अपेक्षा भी की जाती है।

3. कदम III - कार्यक्रम प्रभाग द्वारा अभिकरण (एजेंसी) तथा योजना का मानचित्रण - मंत्रालय का कार्यक्रम प्रभाग संबंधित स्कीमों के साथ अभिकरण का मानचित्रण करेगा और बैंक अधिदेश फॉर्म प्रस्तुत करके लेखा अधिकारी से अनुमोदित करवाएगा।

4. निधियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के लिए विशेष रूप से खोले गए जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर के पृथक् बैंक खाते में सीधे ही पीएओ द्वारा जारी की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर से इन निधियों के अतिरिक्त वितरण के लिए पीएफएमएस पोर्टल का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है। व्यय न किए गए शेष की निगरानी के लिए कार्यक्रम प्रभाग को जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर द्वारा त्रैमासिक बैंक विवरण दिया जाएगा। समय-समय पर लागू होने वाले सभी नियम/आदेश पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध हैं और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक VIII (जारी)

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) के अंतर्गत निधियां जारी करने के लिए भरा जाने वाला तथा ई-मेल द्वारा वापस किया जाने वाला प्रोफॉर्मा

1.	जिले का नाम	
2.	नोडल व्यक्ति का अपडेटेड संपर्क ब्यौरा तथा ई-मेल पता	
3.	स्कीम के नाम से खोले गए बैंक खाते का ब्यौरा :- i. खाताधारक का नाम ii. पासबुक में खाते का नाम iii. खाता नंबर	
4.	रद्द चेक की एक प्रति	
5.	बैंक खाते वाली पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति	
6.	पीएफएमएस पोर्टल पर जिला मजिस्ट्रेट/जिलाकलेक्टर/अभिकरण के पंजीकरण की स्थिति	
7.	पीएफएमएस में सृजित अभिकरण का नाम	
8.	बैंक अधिदेश फॉर्म के साथ पीएफएमएस पर पंजीकरण के पश्चात् प्राप्त यूनिक कोड	

अनुलग्नक VIII (जारी)

अधिदेश फॉर्म

भुगतान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा (क्रेडिट क्लीयरेंस)/रीयल टाइम कुल निपटान (आरटीजीएस) सुविधा

क. खाते का ब्यौरा :

खाते का नाम (बैंक पासबुक में किए गए उल्लेखानुसार) अभिकरण (एजेंसी) का नाम (पीएफएमएस में उल्लेखानुसार)	
खाताधारक का नाम	
पूरा संपर्क पता दूरभाष संख्या/फैक्स/ई-मेल	

ख. बैंक खाते का ब्यौरा

बैंक का नाम	
पूरे पते, दूरभाष संख्या तथा ई-मेल के साथ शाखा का नाम क्या शाखा कंप्यूटरीकृत है? क्या शाखा आरटीजीएस सक्षम है? यदि हां तो शाखा का **आईएफएससी कोड** क्या है? क्या शाखा एनईएफटी सक्षम भी है? बैंक खाते का प्रकार (एसबी/करेंट/नकद क्रेडिट	
पूरा बैंक खाता संख्या (नवीनतम)	
बैंक का एमआईसीआर कोड	

प्रभावी होने की तारीख :-

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण सही एवं पूरा है। अपूर्ण या गलत सूचना के कारणों से यदि लेन-देन में कोई विलंब होता है या लेन-देन नहीं हो पाता है तो मैं प्रयोगकर्ता संस्थान को उत्तरदायी नहीं ठहराऊँगा। मैंने विकल्प आमंत्रण पत्र को पढ़ लिया है और स्कीम के अंतर्गत भागीदार के रूप में मुझ से आशा किए गए उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए सहमत हूँ।

(----------)

मुहर सहित खाता धारक के हस्ताक्षर

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दिया गया विवरण हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सही है।

(----------)

मुहर सहित खाता धारक के हस्ताक्षर

(मुहर सहित बैंक प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक :

1. बैंक में प्राप्त जांच सहित रद्द किए गए चेक की एक प्रति संलग्न करें।
2. यदि वर्तमान में आपका बैंक "आरटीजीएस सक्षम" है तो बैंक के "आरटीजीएस सक्षम" शाखा बनने पर, कृपया विभाग को उपरोक्त प्रोफॉर्मा में दोबारा से सूचना शीघ्रातिशीघ्र दें।

सत्यमेव जयते

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

जिला कलेक्टरों/ उपायुक्तों के लिए दिशा-निर्देश

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
www.wcd.nic.in
www.youtube.com/user/betibachaobetipadhao

विषय-वस्तु तालिका

1. सम्मिलित किये गए जिले

2. नीतिगत कार्यों के संबंध में दिशा-निर्देश

2.1 योजना, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए कार्य-विधि
2.2 कार्यान्वयन गतिविधियाँ
2.2.1 अभिमुखीकरण और संवेदीकरण
2.2.2 पीसीएंडपीएनडीटी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन
2.2.3 बालिकाओं के महत्व के लिए वातावरण का सृजन और शिक्षा का संवर्द्धन
2.2.4 प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण
2.2.5 समर्थन, सामाजिक एकीकरण और जागरूकता सृजन

3. डाटा संग्रहण, निगरानी और मूल्यांकन
4. रिपोर्टिंग और प्रलेखन
5. जिलों के लिए बजटीय प्रावधान

अनुलग्नक :

परिशिष्ट (1) : चयनित जिलों के बाल लिंगानुपात (सी.एस.आर) से संबंधित बुनियादी आंकडे (i) 100 जिले; (II) 61 जिले (III) 244 जिले, और (iv) 235 जिले

परिशिष्ट (2) : बेटी बचाओ , बेटी पढाओ के तहत जिला स्तरीय कार्य-योजना के टेम्प्लेट्स

परिशिष्ट (3) : पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा यथा निर्गमित बाल लिंगानुपात (सीएसआर) के संबंध में ग्राम पंचायत के लिए कार्य बिंदु

परिशिष्ट (4) : बालिकाओं की शिक्षा को बढावा देने के लिए स्कूलों/मेधावी बालिकाओं का सम्मान करने के लिए मानदंड

परिशिष्ट (5) : गुड्डा- गुड्डी बोर्ड

परिशिष्ट (6) : बेटी बचाओ, बेटी पढाओ के तहत नवोन्मेषी पहल की विस्तृत सूची

1. **सम्मिलित किये गए जिले**

I. चरण-1 (वर्ष 2014-15) में 100 जिलों में संकेंद्रित उपायों और बहु-क्षेत्रीय कार्यों के लिए स्कीम शुरू की गई थी। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित करते हुए सन 2011 की जनगणना के अनुसार कमतर बाल लिंगानुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य के कम से कम एक जिले में प्रयोगिक रूप में इन जिलों का चयन किया गया था।

II. चरण-2 (वर्ष 2015-16) में विषय की गंभीरता और जमीन पर स्कीम के कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने और समर्थन जुटाने के लिए 11 राज्यों के 61 अतिरिक्त जिलों में स्कीम का विस्तार किया गया था ।

III. इस अल्पावधि में बेटी बचाओ, बेटी पढाओ कार्यक्रम को उत्साहवर्द्धक समर्थन मिलता रहा है और कई जिलों में अनुकूल प्रवृत्ति देखने को मिली है। राष्ट्रीय कार्य के रूप में बाल लिंगानुपात में सुधार लाने में स्कीम सफल रही है। 161 जिलों में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के आधार पर मंत्रीमंडल ने बेटी बचाओ, बेटी पढाओ के विस्तार का अनुमोदन कर दिया है जिसमें 244 जिलों (मौजूदा 161 जिलों के अलावा) और 235 जिलों में सतर्क जिला मीडिया, समर्थन और आउटरीच बहु-क्षेत्रीय उपाय सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार, देश के सभी 640 जिलों (2011 की जनगणना के अनुसार) को सम्मिलित करके बाल लिंगानुपात पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डाला जाना है।

चयनित जिलों के परिशिष्ट-1 में (1) 100 जिलों, (2) 61 जिलों, (3) 244 जिलों और (4) 235 जिलों के जन्म पर बाल लिंगानुपात (एसआरबी) के जिले-वार आधारभूत आंकड़े दिए गए हैं।

2. जिला, प्रखण्ड और ग्राम स्तर पर किये जाने वाले नीतिगत कार्यों के लिए दिशा-निर्देश

2.1 जिला, प्रखण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना, क्रियान्वयन और मॉनीटरिंग के लिए कार्य-विधि

2.1.1 जिला (कार्रवाई-डीसी)

निम्नखित कार्यों हेतु डीसी की अध्यक्षता में सम्बद्ध विभागों (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पंचायती राज/ग्रामीण विकास के प्रतिनिधियों, जैंडर, विधि, सामाजिक एकत्रीकरण विषय के विशेषज्ञों, जिला रजिस्ट्रार और पुलिस) सहित जिला कार्य बल का गठन:

i. महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग को शामिल करते हुए परामर्श प्रक्रिया के जरिये जिला कार्य योजना तैयार करें। बेटी बचाओ, बेटी पढाओ (बीबीबीपी) के तहत जिला स्तरीय कार्य योजना (डीएपी) के लिए आदर्श नमूने परिशिष्ट-2 में दिये गये हैं। योजना की तैयारी के लिए अन्य सम्बद्ध विभागों से भी परामर्श किया जा सकता है।

ii. जहां कहीं शहरी स्थानीय निकाय/शहर विद्यमान हों, शहरी परिप्रेक्ष्य में समस्या का निवारण करने के लिए जिला कार्य योजना नगर निगम आयुक्त द्वारा नामित यूएलबी/अधिकारी के अध्यक्ष के परामर्श से तैयार की जाएगी।

iii. विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों से अभिसरण स्थापित करने के लिए जिला स्तरीय कार्य योजना, डीटीएफ बैठकों में अन्य हितधारकों को विशेष आमंत्रितगण के रूप में बुलाया जा सकता है।

iv. जिले में बहु-क्षेत्रीय कार्यों के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश देना।

v. जिला स्तर पर विभागीय कार्य योजना में सूचीबद्ध गतिविधियों के कार्य में हुई प्रगति की मासिक समीक्षा करना।

vi. डीसी/डीएम के समग्र पर्यवेक्षण के तहत जिला कार्रवाई योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए प्रत्येक विभाग से नोडल अधिकारी (वरिष्ठ अधिकारी) का नामांकन करना ।

vii. जिला कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके बीच एक समन्वयक अधिकारी नियुक्त करना ।

viii. पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना । पीएनडीटी मामलों पर जिला न्यायाधीश के साथ फॉलो-अप करना और पीएनडीटी डिवीजन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रतिलिपि सहित राज्य प्राधिकरण को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

ix. निम्नलिखित के साथ संबंध स्थापित करें :

- लिंग, बाल लिंग अनुपात, शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंग आधारित हिंसा और बाल संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर काम कर रहे स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों / सीबीओ / स्व-सहायता समूहों से।
- बालिका के सम्मान और उसे शिक्षित बनाने पर युवाओं के अभियान को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों, कॉलेजों, व्यावसायिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, एनवाईकेएस और एनएसएस से।
- स्वैच्छिक संघों, चिकित्सक संघ, शिक्षक संघ, वाणिज्यिक संघों, रोटरी क्लब,लॉयन्स क्लब आदि से।
- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत संसाधनों को जुटाने के लिए कॉर्पोरेट्स से ।

नोट: जिला प्रशासनों द्वारा ऊपर वर्णित गतिविधियों के संचालन के लिए बीबीबीपी के तहत गैर-सरकारी संगठनों/सीबीओ'ज/स्व-सहायता समूहों को नियोजित किया जा सकता है। बीबीबीपी के तहत किसी गैर-सरकारी संगठनों/सीबीओ'ज/स्व-सहायता समूहों को निधियों का अंतरण नहीं किया जा सकता।

x. सीएसआर/एसआरबी, शिक्षा से संबंधित संकेतकों (नामांकन, प्रतिधारण और माध्यमिक शिक्षा का समापन) से संबंधित पहचान चिन्हों में मापदंडों के लिए पूरी जिम्मेदारी निभाना ।

जिला आई.सी.डी.एस कार्यालय / पीएनडीटी सैल में जिला कार्यक्रम अधिकारी (डीपीओ) या डीसी / डीएम द्वारा समझा जाने वाला कोई अन्य ढांचा, जिला में कार्य योजना के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण और निगरानी करेगा । डीएलसीडब्ल्यू, जहां कहीं कार्यात्मक हो, वास्तविक आधार पर गतिविधियों के क्रियान्वयन से संबंधित दिन-प्रतिदिन समन्वय करेगा । नगर एवं शहरी क्षेत्रों में, निगम आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी डीसी / डीएम के साथ शहरों में बीबीबीपी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए समन्वय करेंगे ।

जिला स्तर पर जिला कार्य बल के समान, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य टास्क फोर्स नियमित अंतराल पर प्रगति पर नजर रखेगा । शीर्ष स्तर पर, सचिव, एमडब्ल्यूसीडी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स नियमित आधार पर प्रगति पर नजर रखेगा ।

2.1.2 ब्लॉक : (कार्रवाई - सब डिविजनल मजिस्ट्रेट / सबडिविजनल ऑफिसर / ब्लॉक विकास अधिकारी)

i. एसडीएम / एसडीओ / बीडीओ के नेतृत्व में ब्लॉक टास्क फोर्स (बीटीएफ) का गठन ।

ii. सुनिश्चित करें कि बीटीएफ की त्रैमासिक बैठक नियमित आधार पर हो ।

iii. सुनिश्चित करें कि अनुवर्ती कार्रवाई समयबद्ध तरीके से हो ।

2.1.3. ग्राम पंचायत (कार्रवाई : सरपंच / प्रधान)

i. कार्य योजना के क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की उप-समिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी) वाले मौजूदा फोरम की होगी । (पंचायती राज मंत्रालय द्वारा परिचालित सीएसआर पर ग्राम पंचायतों के लिए कार्य-बिंदुओं का ग्राम पंचायतों के सभी मंचों जैसे वार्ड सभा, ग्राम सभा, महिला सभा और ग्राम पंचायत में अनुपालन किया जाए । ग्राम पंचायतों के लिए कार्य-बिंदु परिशिष्ट-3 पर दिशा-निर्देशों में संलग्न हैं)

ii. वी.एच.एस.एन.सी का मौजूदा मंच / ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस का महिलाओं / लड़कियों के लिए योजनाओं / कार्यक्रमों में जागरूकता पैदा करने के लिए, गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण, संस्थागत प्रसव, जन्म पंजीकरण, कन्या सेवा वितरण की समान देखभाल और बेटी बचाओ बेटी पढाओ पर परामर्श हेतु इस्तेमाल किया जाए ।

समय-सीमा :

i. डीसी को योजना के अनुमोदन के 1 माह के भीतर जिला कार्य बल/ब्लॉक कार्य बल गठित करना चाहिए।
ii. डीटीएफ / बीटीएफ अपने गठन के एक सप्ताह के भीतर पहली बैठक सुनिश्चित करें ।
iii. जिला कार्रवाई योजना के लिए मॉनिटरेबल लक्ष्य के साथ संरेखण में समयसीमा के साथ गतिविधियों को 15 दिनों के भीतर अंतिम रूप दें। उसे स्वीकृति के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डीडब्ल्यूसीडी /समाज कल्याण को प्रति सहित) को प्रस्तुत किया जाए ।
iv. जैसे ही पीएफएमएस के माध्यम से जिले को निर्दिष्ट बीबीबीपी खाते में निधि अंतरित की जाएगी, जिला कार्य योजनाएं शुरू हो जाएंगी ।

2.2 कार्यान्वयन गतिविधियां :

2.2.1 ओरिएंटेशन एवं संवेदीकरण :

<u>ओरिएंटेशन</u>

i. भूमिका और जिम्मेदारी की पहचान के लिए (स्कीम शुरू होने के पहले क्वार्टर के भीतर) जिला अधिकारी / जिला परिषद के सदस्यों / न्यायपालिका / जिला स्तरीय महिला केंद्र / जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) / गैर-सरकारी संगठन / सीबीओ / डॉक्टरों का ओरिएंटेशन ।
ii ब्लॉक ऑफिसर / ब्लॉक परिषद / पंचायत प्रधान / सरपंच / फ्रंट लाइन कार्यकर्त्ताओं - आंगनवाडी कार्यकर्त्रियां, आशा, एएनएम / एसएचजी सदस्य (एक निरंतर पर) का ओरिएंटेशन ।
iii. डाटा संग्रहण के टूल्स / सामुदायिक जुटाव / योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार / गर्भावस्था, जन्म, प्रतिरक्षण, नामांकन, प्रतिधारण और शिक्षा पूरी होने के बारे में रिपोर्टिंग हेतु पंचायत सदस्यों, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी) के सदस्यों का ओरिएंटेशन ।

<u>संवेदीकरण</u> :

i. संसद सदस्य (सांसद) / विधान सभा के सदस्य (विधायक) / निर्वाचित प्रतिनिधियों / धार्मिक नेताओं / सामुदायिक नेताओं का (योजना शुरू होने के पहले क्वार्टर के भीतर) संवेदीकरण ।
ii. सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से बाल लिंग अनुपात पर शिक्षकों का (योजना शुरू होने के पहले क्वार्टर के भीतर) संवेदीकरण ।
iii. एसोसिएशन्स का संवेदीकरण - डॉक्टर्स एसोसिएशन, शिक्षक संघ, वाणिज्यिक संघ, रोटरी क्लब, लॉयन्स क्लब आदि ।

2.2.2 पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन

i. परिशिष्ट-1 में यथा-वर्णित आधारभूत आंकड़ों के मुकाबले, चयनित जिले एसआरबी में प्रगति को मापें । इसके विरूद्ध, प्रस्तावित हस्तक्षेप की प्रगति को वार्षिक आधार पर मापा जाएगा । साथ ही, जिले सीएसआर, एसआरबी को मापने के लिए जिला स्तर के आंकड़ों के अन्य स्रोतों के साथ जानकारी को को-रिलेट करें ।

ii. जिले में जन्मों का 100% पंजीकरण, विशेषकर सिविल पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के माध्यम से, सुनिश्चित करें ।

iii. जिले के अधिक प्रभावित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य योजना को पहचानने और विकसित करने के लिए जन्म पंजीकरण आंकड़ों के माध्यम से जन्म, ब्लॉक/जीपी/नगर पालिका के आधार पर लिंग अनुपात की निगरानी करना ।

iv. सभी गर्भधारण पंजीकृत हैं और सभी महिलाओं को पूर्ण एएनसी तथा प्रसवोत्तर सभी सेवाएं प्रदान की जाती हैं ।

v. पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के तहत जिला सलाहकार समितियों के रूप में सभी वैधानिक निकायों का गठन / पुनर्गठन कर दिया गया है और अधिनियमों द्वारा अनिवार्य अंतराल पर बैठकों का आयोजन किया जाता है ।

vi. अधिनियम के तहत पंजीकृत निकायों के नियमित निरीक्षण और निगरानी के लिए जिला निरीक्षण और निगरानी समितियों का गठन ।

vii. गर्भधारण-पूर्व/पश्चात लिंग चयन के लिए आईवीएफ केंद्रों सहित संभावित गर्भधारण-पूर्व और निदान-पूर्व नैदानिक परामर्श, परीक्षण, प्रक्रिया कराने वाली सभी जेनेटिक लेबोरेटरीज, जेनेटिक काउंसिलिंग सेंटर और जेनेटिक क्लिनिक्स का पंजीकरण ।

viii. बेहतर निगरानी और नियमन के लिए जिले में निदान क्लिनिक्स में इस्तेमाल किए गए निदान उपकरणों की शिकायतों/पंजीकरण/नवीकरण /अदालती मामलों/कन्विक्शन/निलंबन/निरस्तीकरण/मेक और मॉडल के व्यापक और विस्तृत डाटा बेस का रखरखाव, नाम और चिकित्सकीय प्रक्रियाओं/परीक्षणों का संचालन करने वाले डॉक्टरों की योग्यता ।

ix. अपंजीकृत सुविधाओं का पहचान करने हेतु भ्रूण के लिंग का पता लगाने / निर्धारित करने में सक्षम निदान केन्द्रों (जेनेटिक प्रयोगशालाओं, जेनेटिक काउंसिलिंग केंद्र, जेनेटिक क्लिनिक्स / इमेजिंग सेंटर / अल्ट्रासाउंड क्लिनिक) के नियमित सर्वेक्षण ।

x. पंजीकृत सुविधाओं द्वारा पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत यथा-निर्धारित रिकार्ड का रख-रखाव और उसे आगामी महीने की 5 तारीख तक प्रस्तुत करना तथा प्रभावी ढंग से निगरानी और विनियमन के लिए रिकॉर्ड / लेखा परीक्षा का विश्लेषण करना ।

xi. जिले में लिंग चयन की अवैध प्रैक्टिस का पता लगाने के लिए और अवैध प्रैक्टिस में शामिल अंतर-जिला नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए निकट पड़ोसी जिलों के उपयुक्त प्राधिकरियों के साथ समन्वय करना ।

xii. सूचना प्रदाताओं के लिए पुरस्कार निर्धारित करके खुफिया विकसित करना ।

xiii. पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत लंबित अदालत मामलों में फॉलो-अप करना और अदालती मामले में हर सुनवाई पर उसकी ओर से जिले के उपयुक्त प्राधिकारी या व्यक्तिगत प्राधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

xiv. पीसी और पीएनडीटी अधिनियम की धारा 23(2) के तहत जिले में सभी दोषी डॉक्टरों के नाम जरूरी कार्रवाई के लिए चिकित्सा परिषद को संसूचित करना ।

xv. पीएनडीटी अधिनियम का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी सुविधाओं में नैदानिक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण ।

xvi. बालिका के लिए सभी स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने और विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं को प्रदान किए जाने वाले विशेष लाभों को बढ़ावा देने के लिए सभी अग्रणी कार्यकर्ताओं (स्वास्थ्य और डब्ल्यूसीडी) को संवेदनशील बनाना ।

xvii. एक गुमनाम कार्यात्मक शिकायत पोर्टल या प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करना ।

xviii. अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत एकत्र पंजीकरण शुल्क का उपयोग ।

xix. राज्य / संघ शासित प्रदेशों के लिए त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के समयबद्ध संकलन में सहायता के लिए राज्य के उपयुक्त अधिकारियों को पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति पर नियमित मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

xx. जिला कलेक्टर / मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में प्रत्येक दो माह में समीक्षा बैठक आयोजित करना ।

नोट : तथापि, जिला / ब्लॉक / ग्राम पंचायत स्तर पर इन हस्तक्षेपों को लागू करते समय; उद्देश्य लिंग चयन / निर्धारण की अवैध प्रैक्टिस को निषिद्ध करने तथा उन्हें विनियमित करना चाहिए और गर्भधारण को ट्रैक करना नहीं चाहिए । हस्तक्षेप महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एमटीपी कानून के कार्यान्वयन में बाधा नहीं डालनी चाहिए क्योंकि इस तरह के कदमों से महिलाओं को और अधिक पीड़ित किया जा सकता है ।

2.2.3. बालिका के सम्मान एवं शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल बनाना ।

i. निम्नलिखित के माध्यम से **बालिका के सम्मान एवं शिक्षा के लिए अनुकूल माहौल बनाना :**

- सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से शिशु कन्या की समान देखभाल सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों/स्वास्थ्य केंद्रों पर पहली तिमाही में गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण को बढ़ावा देना, प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल और माताओं की काउंसलिंग ।
- महिलाओं और लड़कियों के लिए सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की सेवाओं के वितरण में सुधार।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आशा द्वारा मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड (एमसीपीसी) के प्रभावी कार्यान्वयन को नियमित रूप से जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना ।
- निश्चित मासिक गांव स्वास्थ्य और पोषण दिवस का उपयोग - गर्भावस्था के शुरुआती पंजीकरण को बढ़ाएं और सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा, एएनएम, गर्भवती माता/लड़की की माता के लिए अन्य माताओं और परिवार का सहकर्मी समर्थन समूह बनाएं ।
- सामुदायिक पर्यवेक्षण समूहों(महिला पंचायत सदस्यों, प्रशिक्षित अध्यापिकाएं, युवा समूह और अन्य) और स्थानीय उत्तरदायी संस्थाओं जैसे आईसीपीयू,डीएलसीडब्ल्यू/एमएसके, बाल कल्याण समितियों की पहचान करना ताकि बालिकाओं के लिए संरक्षात्मक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके, ।
- स्कूलों पंचायतों, शहरी वार्डों/अग्रणी कार्यकर्ताओं/सामुदायिक स्वयंसेवक को वार्षिक आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करना ।
- अन्य विभागों के साथ लिंक स्थापित करना /अभिकेंद्रीकरण करना।
- बीबीबीपी अनुकूल गांव पंचायत, ब्लाक, जिला/शहरी निकाय घोषित करने के लिए उनकी पहचान करना ।

(ii) शिक्षा के प्रयोजन के लिए

- लगातार विशेष अभियान चलाकर बालिकाओं का व्यापक तौर पर नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों को क्रियाशील बनाना।
- स्कूलों में बालिकाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने और स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं को निरंतर फिर से जोड़ने के लिए बालिका मंच स्थापित करना ।
- स्कूल वापस आने वाली बालिकाओं का स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं से संपर्क या वैकल्पिक शिक्षा के विकल्प मुहैय्या कराना।
- व्यापक संयुक्त ग्रामीण संपर्क अभियान द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा, पीआरआई और समुदाय/महिलाओं/युवा समूहों के माध्यम से बालिकाओं के लिए स्कूलों में क्रियाशील शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित करना; कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालयों(के.जी.बी.वी) भवनों का निर्माण; स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं का पुन: नामांकन और उनकी माध्यमिक शिक्षा का पुन: आरंभ और उसे पूरा कराना।
- बालिकाओं - महिला अनुसंधान-कर्ताओं को वर्दियों, पाठ्यपुस्तकों, शौचालयों, सुरक्षा हेतु परिवहन/ सुरक्षा सहायता प्रदान करना, सहोदरों की देखभाल के लिए ब्यूरो, पानी/जलाने वाली लकड़ी आदि की जरुरत वाली कठिनाईयों की पहचान करना।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए बालिका छात्रावास का निर्माण ।
- आवासीय स्कूलों सहित बालिका अनुकूल स्कूलों के लिए मानक दिशानिर्देश और प्रोटोकोल संचालित करना तथा उनका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना ।
- जिला स्तरीय पुरस्कार की व्यवस्था करना, बालिकाओं की शिक्षा(नामांकन, पढ़ाई चालू रखने रखने, पढ़ाई पूरी करने) को बढ़ावा देने के लिए उनको बधाई देना करना। पुरस्कार संबंधी मानदंड **परिशिष्ट - 4** में दिए गए हैं।

2.2.4 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

- लिंग समानता संबंधी प्रसंगों को मुख्य धारा में लाना ।

i. चिकित्सा कालेजों पर विशेष ध्यान देने हुए सभी शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रमों में लिंग समानता संबंधी मुद्दों का समेकीकरण।
ii. प्रशासकीय पुलिस, न्यायिक, चिकित्सीय महाविद्यालयों और एलबीएसएनएए, एटीआई, सीटीआई जैसी अन्य प्रशिक्षण अकादमियों की प्रशिक्षण-नीति में बालिका और लिंग समानता संबंधी मुद्दों का समेकीकरण ।
iii. जिला स्तर पर कार्मिकों की भर्ती में लिंग संबंधी मुद्दों का समेकीकरण ।
iv. जेंडर संवेदनशीलता और सीएसआर, बालिका के समान महत्व से संबद्ध प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जेंडर और बालिका यूनिटों के माध्यम से संबंधित विभागों के मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमताओं में संवर्धन।
v. आई.सी.डी.एस, एम.एस.के,एनएचएम, एसएसए, एनआरएलएम, मनरेगा, टीएससी आदि तथा पीआरआई यूएलबी, महिला स्व: सहायता समूहों तथा युवा समूहों/स्कीमों के प्रमुख कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और मॉड्यूलों में बीबीबीपी और लिंग समानता से संबंधित विषयों का समेलन/समेकन ।

- **क्षमता निर्माण**

I. घटते हुए बाल लिंग अनुपात के मुद्दे पर **आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं /आशा के अग्रणी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण** प्रदान करना ताकि उनकी लिंग चयन, बालिकाओं के प्रति अन्य प्रकार के भेदभाव और उनके सामाजिक प्रभाव, गर्भाधानपूर्व एवं प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम का कार्यान्वयन, संबद्ध डेटा का प्रबंधन एवं उसे मानीटर करना तथा उनके वास्तविक तौर पर अभिकेंद्रीकरण के मामलों के प्रति समझ को बढाया जा सके ।

II. **गर्भाधानपूर्व एवं प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम के तहत जिले के उपयुक्त प्राधिकारियों को और अन्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।**

III. सीएसआर में सुधार हेतु तथा जेंडर आधारित हिंसा को समाप्त करने हेतु परिवर्तनकारी कारक के तौर पर उभरने के लिए **युवा और सबला समूहों के साथ काम कर रहे मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों का क्षमता निर्माण।**

2.2.5 समर्थन, सामुदायिक एकत्रीकरण तथा उनमें जागरुकता उत्पन्न करना।

i. बालिका बनाम बालकों की संख्या प्रदर्शित करने के लिए ग्राम पंचायतों और सार्वजनिक स्थानों पर गुड्डा गुड्डी बोर्ड लगाना तथा बालिकाओं के महत्व पर चर्चा और वार्ताओं के अवसर पैदा करना (गुड्डा गुड्डी बोर्ड का एक नमूना परिशिष्ट 5 पर प्रस्तुत है।)

ii. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश फैलाने के लिए नारी की चौपाल[3] बेटी जन्मोत्सव, मन की बात आदि जैसी पारिस्परिक पहलों के माध्यम से समुदाय को इकठ्ठा करना एवं उन तक पहुंच बनाने की शुरुआत की जा सकती है।

iii. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मनाने के लिए प्रत्येक माह एक विशेष दिन निर्धारित किया जाए।

iv. स्थानीय विचारकों, पीआरआई के सदस्यों, विधायकों, सांसदों आदि सहित सभी स्थानीय हितधारकों द्वारा जिला प्रशासकों के नेतृत्व में जिला स्तरों पर प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा सकता है।

v. बालिकाओं के महत्व तथा महिलाओं व बालिकाओं के सशक्तीकरण के महत्व पर जोर देते हुए जेंडर समानता के महत्व पर प्रकाश डालने वाले संदेश को संप्रेषित करने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस** मनाया जा सकता है। इसके अलावा बीबीबीपी स्कीम के प्रति सशक्त माताओं के योगदान को उजागर करने के लिए यह दिन मनाया जा सकता है।

vi. बालिका के संरक्षण, सुरक्षा, महत्व और शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा शपथ ग्रहण कराई जा सकती है। यह शपथ राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर डीसी/डीएम के द्वारा उसके अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ ली जा सकती है। यह शपथ हिन्दी और अंग्रजी में होगी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस शपथ का जिलों में प्रसार करने के लिए इसका क्षेत्रीय भाषाओं में हिन्दी अनुवाद करवा सकते हैं।

vii. बेटे पर अभिकेंद्रित रीति-रिवाजों और प्रथाओं की समाप्ति को निम्नानुसार प्रोत्साहित किया जा सकता है:

- ✓ समर्थनात्मक प्रयास और समुदायिक एकत्रीकरण की पहलें जैसे कि बेटी के जन्म पर लोहड़ी पर जश्न मनाना, रक्षाबंधन पर बच्चों का एक दूसरे को राखी बांधना, पुरानी भूली बिसरी प्रगतिशील अवधारणाओं जैसे कि अर्धांगिनी (समतुल्य जीवन साथी) को प्रोत्साहित करना आदि।
- ✓ जेंडर समानता लाने हेतु उन सामाजिक प्रथाओं, जो पुरुषों और बालकों को महिलाओं और बालिकाओं पर हावी करती हैं को लक्षित किया जा सकता है और जेंडर समानता के दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से उन्हें धीरे-धीरे समाप्त किया जा सकता है और पुत्रेच्छा और लिंग चयन के संबंध में सामाजिक और व्यावहारिक परिवर्तन को लाया जा सकता है।

[3] **नारी की चौपाल** का लक्ष्य है ऐसे भव्य आयोजन जिनमें अनेक सामुदायिक समूह, सिविल सोसायटी संगठन और विभिन्न समुदायों से महिलाएं इकठ्ठी हो पाएं तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर समाधान प्राप्ति के दृष्टिकोण से बातचीत कर सकें ।

viii. समुदाय द्वारा ऐसे प्रयासों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए समर्थन और सामुदायिक सघटनों के पहलों में स्थानीय धार्मिक/आध्यात्मिक नेताओं को शामिल करना ।

ix. वृद्धावस्था में बेटियां सुरक्षा प्रदान करती हैं इसलिए बेटियों की आवश्यकता की सकारात्मक सोच को पुन: स्थापित करने की आवश्यकता है। इस बात को प्रकाश में लाने की ज़रुरत है कि माता-पिता की वृद्धावस्था में उनकी बेटियां उतनी ही (बेटों जितनी) देखभाल करती है तथा कभी-कभी तो यह देखभाल अधिक[4] भी होती हैं।

x. दहेज और भव्य विवाहों के वित्तीय बोझ से माता-पिता को बचाने के लिए साधारण विवाह को बढ़ावा दिया जाए। सामूहिक विवाहों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।

xi. सामुदायिक/सामाजिक संघटन की पहलों के माध्यम से समाज में बेटी और बेटे के लिए संपत्ति के समान अधिकार को बढ़ावा दिया जाए।

xii. शीघ्र/बाल विवाह की रोकथाम को सख्ती से लागू किया जाए ताकि बालिकाओं के स्कूली शिक्षा पूरी करने के महत्व पर प्रकाश डाला जा सके और इससे बढ़कर वे अपने लिए उच्चतर शिक्षा (बेहतर भविष्य/कौशल निर्माण/ व्यावसायिक शिक्षा आदि के विकल्प को चुन सकें । इसकी रोकथाम के लिए अक्षय तृतीया पर उत्तर भारत में इस विषय पर विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

xiii. जिला स्तर पर अभियान चलाने के लिए प्राधिकारस्वरूप बेटी बचाओ बेटी पढाओ के सामाजिक संदेश पर सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के ई-मेल हस्ताक्षर को एक ब्रांड पहचान या अधिकारिता के तौर पर दर्शाया जाएगा। एनआईसी या राज्य /संघ राज्य क्षेत्र का कोई अन्य उपयुक्त निकाय यह सुविधा उपलब्ध करा सकता है।

xiv. उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निम्निलिखित राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है।

- ✓ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा क्षेत्रीय प्रचार ।
- ✓ इश्तहारों और अन्य आई.ई.सी सामग्री का प्रदर्शन: अभियान से संबंधित इश्तहारों और अन्य आईईसी सामग्री के प्रदर्शन के लिए स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, ब्लाकों और जिला स्तरीय अस्पतालों, आंगनवाड़ी केंद्रों और पंचायत भवनों आदि में, प्रयास किए जा सकते है ।
- ✓ मोबाइल/चल प्रदर्शनी वाहन : सामुदायिक संघटन प्रयासों के साथ चल प्रदर्शनी वाहनों को शामिल करना।

xv. **सोशल मीडिया के प्रभावी प्रयोग को प्रोत्साहन :** सकारात्मक संदेशों के प्रसार के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों का प्रयोग किया जाए। सोशल मीडिया की पहलों का सख्ती से अनुसरण किया जाना चाहिए क्योंकि इनके वित्तीय-निहितार्थ नहीं होते हैं। निम्न तौर-तरीकों का सुझाव दिया जाता है:

- ✓ पी.एम.ओ, एम.डब्ल्यू.सी.डी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आदि के फेसबुक, ट्विटर हैंडल, जी+ आदि को पसंद करने के लिए लोगों को सूचित एवं प्रोत्साहित किया जाए जिससे बीबीबीपी को समर्थन का एक बहुत बड़ा आधार मिल सके।

[4] वर्षों पुरानी परंपराओं को समाप्त करने के उदाहरण जैसे पुत्रियों द्वारा अपने माता-पिता का अंतिम संस्कार किया जाना, समुदाय में व्यापक स्तर पर संदेश प्रचारित करने के लिए विवाह आदि सहित धार्मिक गतिविधियों में माताओं को भाग लेने देना।

- ✓ समुदायों, विशेषकर युवाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यूटयूब चैनल(डेस्कटॉप, मोबाइल फोन के द्वारा) संबंधित फिल्में प्रदर्शित करवाकर तथा प्रदर्शन के माध्यम (प्लेलिस्ट) से उपयुक्त आडियो-वीडियो सामग्री प्रसारित करवा कर इस ऑनलाइन सामग्री की सूची का प्रयोग/प्रदर्शन (सीधे प्रदर्शन/प्रसारण और डाउनलोड के रूप में) किया जाना चाहिए।

- ✓ पुरानी परंपराओं को तोड़ने के उदाहरण जैसे बेटियों द्वारा माता-पिता का अंतिम-संस्कार, समाज में प्रगतिशील संदेश देने के लिए माताओं को विवाह सहित धार्मिक गतिविधियों में सहभागिता आदि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

- ✓ उन सामुदायिक/स्थानीय बीबीबीपी चैंपियन को प्रोत्साहित किया जाए, जिन्होंने बालिकाओं के लिए वैयक्तिक उपलब्धियों और मुश्किलों की कहानियों का इस चैनल पर उल्लेख करते हुए सामाजिक बंधनों को नकार दिया है ।
- ✓ जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, गूगल हैंग आउट्स के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ने पर विचार कर सकता है जिसके परिणामस्वरुप बीबीबीपी सोशल मीडिया प्लेटफार्म के आधार से जुड़ने वालों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हो सकती है ।

xvi. **स्थानीय बीबीबीपी चैंपियन :** ऊपर सुझाए गए सभी प्रयास, उन स्थानीय विचारों और परिवर्तनकारियों के पद्धतिपूर्ण तरीकों से प्रभावित किए जा सकते है, जो सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते है और स्थानीय चैंपियन के तौर पर सेवा कर सकते हैं। सुझायी गई कुछ क्रियाएं नीचे दी गई हैं :

- ✓ सांस्कृतिक रुप से समुचित स्थानीय मीडिया के द्वारा दबाव के साथ सामुदायिक सहायता समूहों के साथ साझा करना और सीखना और उसे सशक्त बनाना ।
- ✓ उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट विधायकों, सांसदों, पीआरआई और यूएलबी की चयनित महिला प्रतिनिधियों को इस अभियान के स्थानीय चैंपियंस के तौर पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कह सकते हैं।
- ✓ सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के वरिष्ठ अधिकारियों को इस मुद्दे को उनके स्तर से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है ।
- ✓ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा, सीडीपीओ आदि जैसे बुनियादी स्तरों पर सरकारी कार्यकर्ता बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चैंपियंस की भूमिका निभा सकते हैं।
- ✓ पुरस्कार और सम्मान:
- ✓ शिक्षा/खेलकूद/संस्कृति/सामाजिक कार्य/विज्ञान आदि के क्षेत्रों से साहसिक और मेधावी बालिकाओं के लिए उपायुक्त की संस्तुति ।
- ✓ बीबीबीपी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों या सिविल संगठनों की पहचान करना ।
- ✓ बीबीबीपी दिवस/ राष्ट्रीय बालिका दिवस/अंतर राष्ट्रीय महिला दिवस /स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि पर मेधावी बालिकाओं और उनके परिवारों को नकद राशि प्रशस्ति प्रदान करके उन्हें बधाई देना/प्रोत्साहन प्रदान करना।
- ✓ विपरीत परिस्थितियों/पारिवारिक समस्याओं के बावजूद बालिकाओं के अनुकरणीय मामलों को उजागर करना जिनसे बेटियों को संघर्ष के बावजूद मीडिया में स्थान मिला है। ऐसे मामलों को न केवल मीडिया कवरेज में स्थान प्राप्त होगा अपितु इससे लक्षित आबादी के मानसिक परिवर्तन की दिशा में भी सकारात्मक उदाहरण स्थापित होगा ।

xvii. **जेंडर चैंपियन :** भारत सरकार ने देशभर के सभी स्कूलों और कॉलेजों में जेंडर चैंपियंस की नियुक्ति की परिकल्पना की है। स्थानीय चैंपियनों को बढ़ावा देने की तरह, जिला प्रशासन बीबीबीपी के तहत जेंडर चैंपियन को भी बढ़ावा दे सकता है। जेंडर चैंपियन की पहचान या चयन करने के लिए जिला प्रशासन शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करेगा। अधिक जानकारी के लिए लिंग चैंपियन के दिशानिर्देश कृपया इस लिंक पर देखें :http://www.wcd.nic.in/sites/default/files/Guideline%20Gender%20Champiam%20final.pdf

समयसीमा : सभी सामुदायिक एकत्रीकरण एवं आउटरीच कार्यक्रम को पूरे वर्ष भर जारी रखने की आवश्यकता है ताकि अभियान में गतिशीलता बनी रहे। जिले की विशिष्ट जरुरतों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट एक विस्तृत और समयक्रमित निश्चित जिला कार्य योजना तैयार कर सकते हैं ।

बीबीबीपी के तहत विभिन्न जिलों द्वारा आरंभ की गई गतिविधियों की विस्तृत सूची **परिशिष्ट-5** में दी गई है।

3. डेटा एकत्रीकरण, निगरानी और मूल्यांकन

i. डेटा के एकत्रीकरण /रिपोर्टिंग /मॉनीटरिंग के लिए टूल/फार्मेट तैयार करना ।
ii. एचएमआईएस, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम(सीआरएस) और यूडाइस सहित संबद्ध विभागों से एसआरबी और सीएसआर पर प्राईमरी डेटा एकत्र करना और सैकेंडरी डेटा संकलित करना। कार्यकर्ताओं द्वारा सही डेटा एकत्र किए जाए और इस पर ध्यान दिया जाए ।
iii. समय-समय पर डेटा का वैधीकरण । आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा और पंचायतों के माध्यम से जन्म पंजीकरण और जन्म के समय लिंग अनुपात को मॉनीटर करना।
iv. गर्भाधानपूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम के कार्यन्वयन का पंजीकरण/रद्दीकरण/औचक-छापामारी (रेड)/निरीक्षणों/प्रलोभनों/कानूनी मामलों/शिकायतों/दंड और राज्य/जिला के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मैपिंग/सर्वेक्षण कार्रवाई के माध्यम से मॉनीटरिंग।
v. बुनियादी स्तर के कार्यकर्ताओं/सामुदायिक वालंटियर्स की सहायता से जिला में गैर-पंजीकृत मशीनों की पहचान करना।
vi. बुनियादी स्तर के कार्यकर्ताओं (आशा/एएनएम/आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां) और सामुदायिक वालंटियरों के माध्यम से एएनसी पंजीकरण, स्वास्थ्य जांच, बालिका का प्रतिरोधीकरण, जन्म पंजीकरण मॉनीटर करना। यह डेटा प्रत्येक माह ब्लॉक स्तर पर एकत्रित करके ब्लॉक-वार संकलित रुप से उपायुक्त को भेजा जाए।
vii. स्कीम को मॉनीटर करना, विश्लेषण करना, परिभाषित करना तथा समुचित स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई करना ।

4. रिपोर्टिंग और प्रलेखीकरण

स्कीम और अभियान से संबंधित, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर आयोजित सभी क्रियाकलापों का नियमित रिपोर्टों, एमआईएस और फोनोग्राफिक प्रलेखन के माध्यम से प्रलेखन किया जाना आवश्यक है। जिला स्तर पर प्रलेखन प्रक्रिया और प्रगति के लिए एक नोडल अधिकारी उत्तरदायी होगा। राष्ट्रीय स्तर पर बीबीबीपी का पीएमयू राज्यों से प्राप्त मासिक रिपोर्टों को संकलित करेगा और तथा त्रैमासिक न्यूजलैटर निकालेगा। जिलों में प्रक्रिया, नवीन उपायों, उत्तम कार्रवाईयों का प्रलेखन किया जाएगा और सामुदायिक एकत्रीकरण की पहलें की जाएंगी तथा उन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के डीडब्ल्यूसीडी को सूचित करते हुए डब्ल्यूसीडी के साथ साझा किया जाएगा।

5. जिलों के लिए बजटीय प्रावधान

जिला स्तरीय मानक				लाखों में
क्रम सं	मद	यूनिटों की संख्या	प्रति यूनिट लागत	बजटीय सीमा
1.	(i) अंतर-क्षेत्रीय परामर्श, डीटीएफ, बीटीएफ और मीडिया अभियान की बैठकें (ii) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण /ज्ञानवर्धक कार्यक्रम			8
2.	(i) नवोन्मेष और आउटरीच (ii) आंगनवाड़ी केंद्रों को आई.ई.सी सामग्री /जागरुकता किट			25
3.	निगरानी, मूल्यांकन और प्रलेखन			3
4.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय के क्षेत्रीय क्रियाकलाप			5
5.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षेत्रीय क्रियाकलाप			5
6.	फ्लेक्सी निधि (10 प्रतिशत)			4
7.	योग			50

परिशिष्ट- 1

(i) जन्म के समय लिंग अनुपात (एचएमआईएस, एमएचएफडब्ल्यू डाटा) पर बीबीबीपी के 100 जिलों हेतु जमीनी स्तरीय आंकड़े - फेस-I में चयनित जिले					
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**जिलों के नाम**	**2014-15 (अप्रैल-मार्च)**	**2015-16 (अप्रैल-मार्च)**	**2016-17 (अप्रैल-मार्च)**
	भारत				
1)	गुजरात (5)	सूरत	879	886	872
2)		मेहसाना	900	919	910
3)		गांधीनगर	885	883	902
4)		अहमदाबाद	873	903	915
5)		राजकोट	886	906	872
6)	हरियाणा (12)	महेंद्रगढ़	791	809	859
7)		झज्जर	838	872	897
8)		रेवाड़ी	803	845	851
9)		सोनीपत	864	869	898
10)		अंबाला	870	877	915
11)		कुरुक्षेत्र	843	864	881
12)		रोहतक	915	881	893
13)		करनाल	758	883	854
14)		यमुनानगर	887	896	912
15)		कैथल	887	868	899
16)		भिवानी	822	859	860
17)		पानीपत	901	898	941
18)	हिमाचल प्रदेश (1)	ऊना	857	904	931
19)	जम्मू व कश्मीर (5)	जम्मू	911	886	908
20)		पुलवामा	983	949	1018
21)		कठुआ	862	873	852
22)		बड़गाम	972	988	968
23)		अनंतनाग	985	1000	976
24)	मध्य प्रदेश (4)	मुरैना	904	909	926
25)		ग्वालियर	888	918	906
26)		भिंड	919	898	929
27)		दतिया	887	880	895
28)	महाराष्ट्र (10)	बोली	913	898	925
29)		जलगांव	864	898	901
30)		अहमदनगर	904	906	895
31)		बुलढाणा	934	954	913
32)		औरंगाबाद	917	929	927

33)		वाशिम	974	903	910
34)		कोल्हापुर	889	903	881
35)		उस्मानाबाद	883	909	912
36)		सांगली	885	889	893
37)		जलना	901	887	900
38)	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (5)	दक्षिण पश्चिम	878	881	875
39)		उत्तर पश्चिम	898	899	911
40)		पूर्व	888	918	900
41)		दक्षिण	868	881	915
42)		पश्चिम	913	904	930
43)	पंजाब (11)	तरण तारण	874	880	889
44)		गुरदासपुर	879	866	881
45)		अमृतसर	897	909	892
46)		मुक्तसर	899	896	889
47)		मनसा	857	925	894
48)		पटियाला	847	866	890
49)		संगरूर	864	848	879
50)		साहिबजादा अजीत सिंह नगर	955	936	910
51)		फतेहगढ़ साहिब	873	889	928
52)		बरनाला	855	836	893
53)		फिरोजपुर	876	859	871
54)	राजस्थान (10)	झुंझुनूं	893	903	952
55)		सीकर	939	923	963
56)		करौली	942	927	914
57)		गंगानगर	918	934	952
58)		धौलपुर	930	924	945
59)		जयपुर	912	904	928
60)		दौसा	930	921	932
61)		अलवर	915	912	931
62)		भरतपुर	933	922	914
63)		सवाई माधोपुर	947	913	908
64)	उत्तर प्रदेश (10)	बागपत	919	903	882
65)		गौतम बुद्ध नगर	844	873	875
66)		गाज़ियाबाद	899	977	908
67)		मेरठ	866	878	884
68)		बुलंदशहर	866	864	902
69)		आगरा	876	842	905
70)		मुजफ्फरनगर	884	909	931
71)		महामाया नगर	867	884	885
72)		झांसी	860	900	925

73)		मथुरा	900	913	876
74)	उत्तराखंड (2)	पिथौरागढ़	881	901	873
75)		चम्पावत	887	959	973
76)	अंडमान व निकोबार	निकोबार	985	948	839
77)	आंध्र प्रदेश	वाई.एस.आर. कड़प्पा	944	900	974
78)	अरूणाचल प्रदेश	दिवांग घाटी	1073	761	1176
79)	असम	कामरूप मेट्रोपॉलिटन	942	969	950
80)	बिहार	वैशाली	915	887	879
81)	चंडीगढ़	चंडीगढ़	874	906	921
82)	छत्तीसगढ़	रायगढ़	926	928	934
83)	दादर व नागर हवेली	दादर और नागर हवेली	942	951	934
84)	दमन व दीव	दमन	918	919	946
85)	गोवा	उत्तरी गोवा	916	910	951
86)	झारखंड	धनबाद	861	890	914
87)	कर्नाटक	बीजापुर	948	941	968
88)	केरल	त्रिशूर	959	965	942
89)	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	953	915	978
90)	मणिपुर	सेनापति	991	974	980
91)	मेघालय	रिभोई	949	975	940
92)	मिजोरम	सैहा	915	1022	898
93)	नागालैंड	लोंगलेंग	954	984	942
94)	ओड़िशा	नयागढ़	845	883	860
95)	पुद्दुचेरी	यानम	1107	981	976
96)	सिक्किम	उत्तर जिला	831	1009	1011
97)	तमिलनाडु	कुड्डालोर	856	937	931
98)	तेलंगाना	हैदराबाद	946	938	967
99)	लक्षयद्वीप	लक्षद्वीप	1000	832	955
100)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	922	929	939

(ii) जन्म के समय लिंग अनुपात (एचआईएमएस, एमएचएफडब्ल्यू डाटा) पर बीबीबीपी के 61 जिलों हेतु जमीनी स्तरीय आंकड़े - फेस-।। में चयनित जिले				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**जिलों के नाम**	**2015-16 (अप्रैल-मार्च)**	**2016-17 (अप्रैल-मार्च)**
	भारत			
1)	गुजरात (4)	आनंद	924	931
2)		अमरेली	916	911
3)		पाटन	945	936
4)		भावनगर	902	873
5)	हरियाणा (8)	गुडगाँव	887	892
6)		जींद	866	913
7)		फरीदाबाद	890	894
8)		हिसार	910	927
9)		फतेहाबाद	895	927
10)		सिरसा	941	911
11)		पंचकुला	887	929
12)		पलवल	921	935
13)	हिमाचल प्रदेश (2)	कांगड़ा	887	897
14)		हमीरपुर	849	943
15)	जम्मू व काश्मीर (10)	सांबा	908	884
16)		बारामुला	948	994
17)		गांदरबल	985	992
18)		राजौरी	947	937
19)		श्रीनगर	957	980
20)		शुपियान	1062	959
21)		कुपवाड़ा	1027	961
22)		कुलगाम	1057	1087
23)		उधमपुर	880	881
24)		बांदीपुरा	964	885
25)	मध्य प्रदेश (2)	रीवा	913	917
26)		टीकमगढ़	917	917
27)	महाराष्ट्र (6)	हिंगोली	953	916
28)		सोलापुर	878	910
29)		पुणे	911	889
30)		परभनी	941	911
31)		नासिक	922	913
32)		लातूर	929	940
33)	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी	उत्तर पूर्व	920	960

34)	क्षेत्र (2)	दक्षिण	916	899
35)		फरीदकोट	899	909
36)		बठिंडा	885	888
37)		लुधियाना	881	935
38)		मोगा	919	928
39)	पंजाब (9)	रूपनगर	920	927
40)		होशियारपुर	905	914
41)		कपूरथला	884	905
42)		जालंधर	919	892
43)		शाहिद भगत सिंह नगर	918	904
44)		जैसलमेर	925	914
45)		हनुमानगढ़	971	973
46)	राजस्थान (4)	जोधपुर	948	949
47)		टोंक	926	978
48)		इटावा	902	911
49)		अलीगढ़	814	854
50)		एटा	897	878
51)		फिरोजाबाद	890	940
52)		जालौन	884	905
53)	उत्तर प्रदेश (11)	बिजनौर	894	873
54)		मैनपुरी	840	871
55)		हमीरपुर	818	839
56)		सहारनपुर	906	909
57)		फर्रुखाबाद	880	886
58)		महोबा	873	921
59)		हरिद्वार	876	917
60)	उत्तराखंड (3)	देहरादून	933	923
61)		चमोली	944	894

(iii) जन्म पर लिंग अनुपात (एचआईएमएस, एमएचएफडब्ल्यू डाटा) पर बीबीबीपी के बहु-क्षेत्रीय क्रियाकलापों (244 जिले) हेतु जमीनी स्तरीय आंकड़े			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**जिलों के नाम**	**2016-17 (अप्रैल-मार्च)**
1	**आंध्र प्रदेश** (07)	अनंतपुर (अनंतपुरमु)	971
2		चित्तूर	949
3		प्रकाशम	936
4		कृष्णा	945
5		कुरनूल	944
6		श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	943
7		गुंटूर	847
8	**अरूणाचल प्रदेश** (05)	वेस्ट सियांग	971
9		अपर सियांग	917
10		लोअर दिबांग घाटी	918
11		कुरुंग कुमेय	934
12		ईस्ट कामेंग	805
13	**बिहार** (16)	पटना	918
14		मुजफ्फरपुर	894
15		भोजपुर	940
16		बेगूसराय	904
17		लखीसराय	914
18		समस्तीपुर	948
19		सारण	925
20		खगड़िया	943
21		रोहतास	918
22		नालंदा	896
23		पूर्वी चंपारण	944
24		मधुबनी	922
25		भागलपुर	944
26		शेखपुरा	911
27		बांका	931
28		नवादा	912
29	**छत्तीसगढ़**	बीजापुर	985
30	**दमन व दीव**	दीव	917
31	**गुजरात** (13)	सुरेंद्रनगर	915
32		खेड़ा	915
33		वडोदरा	937
34		बनासकांठा	962

35		पोरबंदर	899
36		साबरकांठा	1160
37		जामनगर	943
38		जूनागढ़	912
39		कच्छ	907
40		वलसाड	935
41		पंचमहल	961
42		नर्मदा	911
43		दाहोद	891
44	**हरियाणा**	मेवात	934
45	**हिमाचल प्रदेश**	सोलन	950
46	(05)	बिलासपुर	875
47		मंडी	902
48		शिमला	895
49		सिरमौर	901
50	**जम्मू व काश्मीर**	पुंछ	897
51	(06)	रियासी	936
52		किश्तवाड़	879
53		रामबन	898
54		डोडा	855
55		लेह (लद्दाख)	851
56	**झारखंड**	हजारीबाग	904
57	(11)	गिरिडीह	1055
58		बोकारो	959
59		कोडरमा	918
60		रामगढ़	937
61		रांची	976
62		पूर्वी सिंहभूम	994
63		पलामू	927
64		सरायकेला खरसावन	966
65		देवघर	1087
66		जामताड़ा	961
67	**कर्नाटक**	बागलकोट	905
68	(04)	हावेरी	910
69		गडग	927
70		दक्षिण कन्नड़	898
71	**मध्य प्रदेश**	शिवपुरी	954
72	(36)	श्योपुर	975
73		छतरपुर	910

74		इंदौर	928
75		सतना	948
76		गुना	918
77		नरसिंहपुर	926
78		सीहोर	924
79		सीधी	949
80		पन्ना	964
81		देवास	921
82		होशंगाबाद	935
83		राजगढ़	926
84		शाजापुर	956
85		भोपाल	941
86		अशोकनगर	942
87		सिंगरौली	941
88		जबलपुर	963
89		बुरहानपुर	954
90		सागर	921
91		विदिशा	959
92		मंदसौर	962
93		नीमच	923
94		धार	964
95		दमोह	906
96		उज्जैन	919
97		खण्डवा	940
98		रायसेन	951
99		खरगोन	911
100		रतलाम	917
101		कटनी	940
102		झाबुआ	931
103		उमरिया	954
104		बड़वानी	926
105		अनूपपुर	915
106		सिवनी	938
107	**महाराष्ट्र (15)**	सतारा	925
108		धुले	884
109		नांदेड़	942
110		अकोला	940
111		मुंबई सब अर्बन*	
112		मुंबई सिटी*	

113		वर्धा	913
114		सिंधुदुर्ग	902
115		यवतमाल	930
116		थाणे	938
117		नागपुर	944
118		रायगढ़	930
119		अमरावती	964
120		रत्नागिरी	896
121		नंदुरबार	931
122	**मणिपुर** (07)	तामेंगलांग	947
123		चंदेल	926
124		उखरूल	993
125		बिश्नुपुर	967
126		थौबल	986
127		इंफाल ईस्ट	924
128		चुराचांदपुर	944
129	**मिजोरम** (01)	सेरचिप	1150
130	**नागालैंड**	मोन	1015
131	(06)	फेक	946
132		तुएनसांग	931
133		पेरेन	831
134		मोकोकचुंग	839
135		वोखा	954
136	**दिल्ली राष्ट्रीय**	नई दिल्ली	920
137	**राजधानी क्षेत्र** (02)	मध्य	882
138	**ओड़िशा**	ढेंकनाल	946
139	(14)	अनुगुल	930
140		गंजम	925
141		कटक	958
142		खोड़दा	970
143		देबगढ़	940
144		सुंदरगढ़	854
145		संबलपुर	937
146		केंद्रपाड़ा	860
147		जजपुर	935
148		झारसुगुडा	960
149		भद्रक	974
150		बालेश्वर	976
151		कालाहांडी	950

152	**राजस्थान**	बूंदी	950
153	(19)	जालौर	950
154		सिरोही	950
155		नागौर	962
156		पाली	973
157		कोटा	1006
158		अजमेर	952
159		चुरू	981
160		राजसमंद	934
161		बाड़मेर	899
162		बीकानेर	958
163		झालावाड़	912
164		चितौड़गढ़	915
165		बारां	952
166		डूंगरपुर	947
167		बांसवाड़ा	945
168		उदयपुर	964
169		भीलवाड़ा	883
170		प्रतापगढ़	959
171	**तमिलनाडु**	अरियालुर	953
172	(10)	धर्मपुरी	939
173		नमक्कल	942
174		सलेम	973
175		पेरम्बलुर	977
176		विलुप्पुरम	959
177		तिरुवन्नामलाई	933
178		तिरुवल्लुर	959
179		तिरुचिरापल्ली	957
180		चेन्नई	939
181	**तेलंगाना**	वारंगल अर्बन*	
182	(07)	नलगोंडा	961
183		महबूबनगर	944
184		रंगारेड्डी*	
185		आदिलाबाद	950
186		करीमनगर	940
187		निजामाबाद	943
188	**उत्तर प्रदेश**	कानपुर नगर	878
189	(47)	वाराणसी	882
190		इलाहाबाद (प्रयागराज)	963

191	काशीराम नगर (कासगंज)	940
192	औरैया	909
193	कानपुर देहात	930
194	कन्नौज	911
195	बदायूं	970
196	हरदोई	955
197	बलिया	884
198	मिर्जापुर	976
199	बांदा	945
200	संत रवीदास नगर (भदोही)	873
201	शाहजहांपुर	940
202	ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा)	914
203	बरेली	921
204	चित्रकूट	936
205	फतेहपुर	824
206	गाजीपुर	961
207	गोरखपुर	964
208	चंदौली	901
209	पीलीभीत	988
210	लखनऊ	947
211	मुरादाबाद	957
212	ललितपुर	934
213	प्रतापगढ़	959
214	जौनपुर	912
215	आजमगढ़	941
216	उन्नाव	996
217	लखीमपुर खेरी	902
218	सुल्तानपुर	854
219	कौशाम्बी	904
220	सोनभद्र	914
221	देवरिया	997
222	गोंडा	926
223	मऊ	913
224	रायबरेली	979
225	श्रावस्ती	916
226	कुशीनगर	871
227	बस्ती	964
228	सीतापुर	986
229	महाराजगंज	915

230		फैजाबाद (अयोध्या)	934
231		अम्बेडकर नगर	928
232		बाराबंकी	908
233		बहराइच	905
234		सिद्धार्थनगर	888
235	**उत्तराखंड** (08)	टिहरी गढ़वाल	924
236		उधम सिंह नगर	900
237		नैनीताल	926
238		बागेश्वर	919
239		पौड़ी गढ़वाल	903
240		रुद्रप्रयाग	901
241		उत्तरकाशी	936
242		अल्मोड़ा	903
243	**पश्चिम बंगाल** (02)	कूचबिहार	897
244		बांकुड़ा	951

नोट : चिन्हित जिलों (*) के आंकड़े प्राप्त होने पर अपडेट किए जाएंगे।

(iv) जन्म पर लिंग अनुपात (एचएमआईएस, एमएचएफडब्ल्यू डाटा) पर बीबीबीपी के समर्थन एवं मीडिया प्लान (235 जिले) हेतु जमीनी स्तरीय आंकड़े			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**जिले का नाम**	**2016-17 (अप्रैल-मार्च)**
1	**अंडमान व निकोबार** (02)	दक्षिण अंडमान	891
2		उत्तर और मध्य अंडमान	957
3	**आंध्र प्रदेश** (05)	श्रीकाकुलम	953
4		विजयनगरम	927
5		विशाखापत्तनम	944
6		पश्चिम गोदावरी	938
7		पूर्व गोदावरी	931
8	**अरूणाचल प्रदेश** (10)	तिरप	1049
9		लोअर सुबानसिरी	855
10		लोहित	1032
11		अपर सुबनसिरी	910
12		पश्चिम कामेंग	970
13		पापुम परे	953
14		चांगलांग	994
15		तवांग	930
16		पूर्वी सियांग	913
17		अंजाव	897
18	**असम** (26)	धेमाजी	956
19		कछार	748
20		कोकराझार	986
21		हैलाकांडी	962
22		मोरीगांव	892
23		कार्बी आंग्लोंग	904
24		लखीमपुर	947
25		शिवसागर	
26		तिनसुकिया	946
27		बारपेटा	1176
28		डिब्रूगढ़	1012
29		गोलपाड़ा	895
30		गोलाघाट	997
31		नगांव	892
32		जोरहाट	855
33		सोनितपुर	912
34		बक्सा	1018

35		दिमा हासाओ	953
36		नलबाड़ी	986
37		कामरूप	975
38		चिरांग	927
39		धुबरी	885
40		दरांग	1068
41		बोंगईगांव	974
42		करीमगंज	839
43		उदलगुड़ी	885
44		जहानाबाद	950
45		मुंगेर	948
46		शिवहर	914
47		मधेपुरा	890
48		सीतामढ़ी	900
49		दरभंगा	889
50		सहरसा	939
51		बक्सर	866
52		सिवान	912
53		अरवल	900
54		कैमूर (भबुआ)	916
55		औरंगाबाद	968
56		सुपौल	933
57	**बिहार**	पश्चिम चंपारण	932
58	(21)	पूर्णिया	948
59		गोपालगंज	942
60		जमुई	906
61		अररिया	940
62		गया	968
63		कटिहार	925
64		किशनगंज	932
65		जंजिगिर - चंपा	919
66		बिलासपुर	909
67		सरगुजा	921
68		दुर्ग	962
69		कोरबा	917
70		कोरिया	894
71		रायपुर	938
72	**छत्तीसगढ़**	महासमुंद	951
73	(16)	धमतरी	911

74		उत्तर बस्तर कांकर	920
75		जशपुर	902
76		कबीरधाम	
77		राजनंदगांव	918
78		नारायणपुर	939
79		बस्तर	929
80		दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	921
81	**गोवा** (01)	दक्षिण गोवा	905
82		भरूच	970
83	**गुजरात**	नवसारी	929
84	(04)	तापी	875
85		डेंग्स	939
86		चंबा	906
87	**हिमाचल प्रदेश**	कुल्लू	904
88	(04)	किन्नौर	915
89		लाहौल और स्पिति	862
90	**जम्मू व काश्मीर** (01)	कारगिल	893
91		गोड्डा	909
92		साहिबगंज	942
93		गढ़वा	908
94		गुमला	930
95	**झारखंड**	खूंटी	1018
96	(12)	दुमका	968
97		चतरा	992
98		लातेहार	895
99		सिमडेगा	900
100		लोहरदगा	897
101		पाकुर	852
102		पश्चिमी सिंहभूम	885
103		बेलगांव (बेलागावी)	955
104		मंड्या	878
105		बीदर	900
106		गुलबर्गा (कलाबुर्गी)	959
107	**कर्नाटक**	धारवाड़	870
108	(25)	बेंगलोर (बेंगलुरू) शहरी	959
109		चित्रदुर्ग	980
110		दावनगेरे	931
111		रायचूर	892
112		बेंगलोर (बेंगलुरू) ग्रामीण	927

113		यादगीर	946
114		चामराजनगर	944
115		चिक्कबल्लपुर	951
116		उत्तर कन्नड़	911
117		कोप्पल	925
118		उडुपी	922
119		तुमकुर (तुमकुरू)	855
120		बेल्लारी	897
121		शिमोगा (शिवमोगा)	966
122		मैसूर (मैसुरू)	884
123		कोलार	881
124		रामनगर	989
125		चिकमंगलूर (चिकमंगलुरू)	967
126		हसन	940
127		कोडागू	967
128	**केरल** (13)	अलाप्पुझा	975
129		एर्नाकुलम	964
130		कासरगोड	949
131		इडुक्की	945
132		कोट्टायम	958
133		तिरुवनंतपुरम	955
134		वायनाड	981
135		मलप्पुरम	955
136		पलक्कड़	968
137		कोझिकोड	969
138		कन्नूर	968
139		कोल्लम	946
140		पथानामथिट्टा	989
141	**मध्य प्रदेश** (08)	हरदा	928
142		शाहडोल	921
143		छिंदवाड़ा	957
144		बेतुल	966
145		बालाघाट	895
146		डिंडोरी	979
147		मंडला	944
148		अलीराजपुर	895
149	**महाराष्ट्र** (04)	भंडारा	916
150		चंद्रपुर	915
151		गोंदिया	962

152		गडचिरोली	899
153	**मणिपुर**	इंफाल वेस्ट	962
154	**मेघालय** (06)	पूर्वी खासी हिल्स	940
155		पश्चिम खासी हिल्स	936
156		दक्षिण गारो हिल्स	920
157		जयंती हिल्स	970
158		पश्चिम गारो हिल्स	967
159		पूर्वी गारो हिल्स	927
160	**मिज़ोरम** (06)	लुंगलेई	940
161		लवंग्तलाई	912
162		चम्फाई	973
163		मामित	975
164		आइजोल*	
165		कोलासिब	898
166	**नागालैंड** (04)	जुनहेबोटो	940
167		किफायर	906
168		दीमापुर	943
169		कोहिमा	876
170	**ओड़िशा** (15)	जगतसिंहपुर	957
171		पुरी	921
172		सुबर्नापुर	
173		बलांगीर	950
174		बारगढ़	940
175		मयूरभंज	952
176		कंधमाल	955
177		रायगढ़	958
178		केंदुझार	987
179		गजपति	920
180		बुद्ध	901
181		कोरापुट	959
182		नुआपाड़ा	968
183		मल्कानगिरी	953
184		नाबरंगपुर	935
185	**पुद्दुचेरी** (03)	कराईकल	925
186		पुद्दुचेरी	923
187		माहे	893
188	**सिक्किम** (03)	दक्षिण जिला	924
189		पूर्व जिला	979
190		पश्चिम जिला	927

191	**तमिलनाडु** (21)	कृष्णागिरी	968
192		मदुरै	945
193		डिंडीगुल	968
194		थेनी	914
195		करूर	948
196		वेल्लोर	976
197		तिरुपूर	969
198		इरोड	966
199		विरुधुनगर	938
200		कोयंबटूर	939
201		तंजावुर	979
202		थिरुवरुर	929
203		नागपट्टिनम	964
204		कांचीपुरम	947
205		शिवगंगा	951
206		पुदुक्कोट्टई	956
207		तिरुनेलवेली	960
208		रामनाथपुरम	928
209		थूथूक्कुडी (तूतीकोरिन)	938
210		कन्याकुमारी	944
211		निलगिरी	938
212	**तेलंगाना** (02)	मेडक	950
213		खम्मम	958
214	**त्रिपुरा** (03)	पश्चिम त्रिपुरा	955
215		धलाई	949
216		उत्तर त्रिपुरा	955
217	**उत्तर प्रदेश** (03)	रामपुर	956
218		संत कबीर नगर	886
219		बलरामपुर	940
220	**पश्चिम बंगाल** (16)	पूर्वी मेदिनीपुर	916
221		मालदा	929
222		बर्द्धमान	884
223		हुगली	916
224		उत्तर दिनाजपुर	943
225		पुरुलिया	866
226		दार्जिलिंग	901
227		जलपाईगुड़ी	909
228		उत्तरी चौबीस परगना	871
229		दक्षिण दिनाजपुर	957

230		बीरभूम	921
231		नादिया	929
232		हावड़ा	914
233		दक्षिण चौबीस परगना	876
234		पश्चिमी मेदिनीपुर	909
235		मुर्शिदाबाद	912

नोट : चिन्हित जिलों (*) के आंकड़े प्राप्त होने पर अपडेट किए जाएंगे।

परिशिष्ट 2

बीबीबीपी के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्रवाई योजना के लिए टैम्प्लेट							
कार्यकलाप	**आवृत्ति**	2017-18				**उत्पादन / परिणाम**	**अपेक्षित दायित्व/ समर्थन**
		तिमाही 1	**तिमाही** 2	**तिमाही 3**	**तिमाही 4**		
जिला स्तरीय कार्यकलाप							
क. महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग							
1. अभिविन्यास एवं संवेदीकरण							
अभिविन्यास कार्यक्रम चलाना - जिला अधिकारी/जिला परिषद सदस्य/ पीएनडीटी प्रकोष्ठ/न्यायपालिका/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) - ब्लॉक अधिकारी/ब्लॉक परिषद/पंचायत सदस्य - ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति (वी/एच/एस/एन/सी) सदस्य - स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी सदस्य)	प्रत्येक वर्ग के लिए एक बार	√				- आयोजित कार्यक्रमों की संख्या - अभिविन्यास कार्यक्रम में शामिल सदस्यों की संख्या	डीपीओ/समन्वय अधिकारी के समर्थन से डीसी बीडीओ (ग्रामीण विकास विभाग), स्वास्थ्य की सहायता से नोडल अधिकारी (डब्ल्यूसीडी)
निम्नलिखित के संवेदीकरण अभ्यास चलाना : - धार्मिक नेता - निर्वाचित प्रतिनिधि - सामुदायिक नेता	वर्ष में दो बार	√	√	√	√	संवेदीकृत धार्मिक नेताओं/ सामुदायिक नेताओं/ निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या	डीपीओ/समन्वय अधिकारी की सहायता से डीएम/डीसी
2. **अंतर-क्षेत्रीय परामर्श तथा बैठकें**							

अंतर-क्षेत्रीय बैठकें जिला कार्य बल (डीटीएफ), ब्लॉक कार्य बल (बीटीएफ)	तिमाही में एक बार	√				आयोजित बैठकों की संख्या डीटीएफ, बीटीएफ	
हितधारकों की बैठकों का आयोजन	निरंतर	√	√	√	√	- की गई अनुवर्ती कार्रवाई	डीपीओ/ समन्वय अधिकारी की सहायता से डीएम/डीसी
3. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण							
- निम्नलिखित में जेंडर समानता को शामिल करना - - प्रशिक्षण पाठ्यचर्या - प्रशासनिक, पुलिस, न्यायिक, मेडिकल कॉलेज तथा अन्य प्रशिक्षण अकादमियां - एलबीएसएनएए, एटीआई - जेंडर तथा कन्या शिशु एकक - आईसीडीएस, एनएचएम, एसएनए, एनआरएलएम, मनरेगा, टीएससी	एक बार					जेंडर तथा सीएसआर मुद्दे निम्नलिखित में एकीकृत : प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संस्थानों की संख्या : प्रशिक्षण की संख्या: जेंडर तथा कन्या शिशु इकाई की संख्या : स्कीमों/कार्यक्रमों की संख्या	संबंधित विभागों/संस्थानों को जारी निर्देशों के साथ डीसी
अग्रणी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू/आशा के लिए प्रशिक्षण चलाना	तिमाही	√	√	√	√	शामिल अग्रणी कार्यकर्ताओं की संख्या -की गई कार्रवाई	प्रशिक्षण विशेषज्ञों के साथ नोडल अधिकारी, (डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य)
स्वयंसेवकों के रूप में कार्य करने के लिए युवाओं/सबला समूहों, स्वयंसेवकों/ एसएचजी /महिला मंडलों/एनवाईकेएस का प्रशिक्षण	तिमाही	√	√	√	√	प्रशिक्षित युवाओं/सबला समूहों/ स्वयंसेवकों/एसएचजी/महिला मंडलों/एनकेवाईएस की संख्या - अभिनिर्धारित स्वयंसेवकों की संख्या - की गई कार्रवाई	प्रशिक्षण विशेषज्ञों के साथ नोडल अधिकारी, (डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य)
पीसीपीएनडीटी अधिनियम के संबंध में जिला उपयुक्त प्राधिकारी (डीएए) तथा अन्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना	अर्धवार्षिक	√	√	√	√	- आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या - की गई कार्रवाई	प्रशिक्षण विशेषज्ञों के साथ नोडल अधिकारी, (डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य)

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के अंतर्गत जिला/तालुक संस्थाओं का प्रयोग करते हुए पीसी और पीएनडीटी अधिनियम और अन्य कानूनों पर कानूनी परामर्श/सहायता/ जागरूकता प्रदान करना		√	√			आयोजित कानूनी परामर्श/सहायता/जागरूकता सत्रों की संख्या	राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए, डीएलएसए के माध्यम से)
4. समर्थन, सामुदायिक संघटन तथा जागरूकता विकास							
बीबीबीपी लोगो सहित ई-मेल हस्ताक्षर डालें	चालू	एनआईसी/सरकारी डोमेन में पंजीकृत सभी स्तर के अधिकारी				- पहल की ब्रांड पहचान स्थापित करना - नवीनीकृत प्रतिबद्धता के लिए अनुस्मारक के रूप में कार्य करेगा	एनआईसी के समर्थन से डीसी
कन्या जन्म पर उत्सव का आयोजन करना	तिमाही	ब्लॉक/पंचायत स्तर पर				- कन्या शिशु के महत्व पर सकारात्मक प्रबलन	सरपंच/एसडीएम
24 जनवरी को राष्ट्रीय कन्या शिशु दिवस मनाना	वार्षिक	वर्ष में एक बार				- एडवोकेसी/आईईसी कार्यकलापों का समापन बिंदु तथा देश में लड़कियों की दुर्दशा को रेखांकित करना - कन्याओं के कल्याण तथा सशक्तीकरण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना	अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से जिला प्रशासन
8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना	वार्षिक	वर्ष में एक बार				- जेंडर समानता को स्थापित करने की जरूरत को रेखांकित किया जाएगा। - महिलाओं और लड़कियों के कल्याण तथा सशक्तीकरण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना - राष्ट्र की वृद्धि और विकास के लिए महिलाओं की वृद्धि और सशक्तीकरण का महत्व।	अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से जिला प्रशासन
कन्याओं को सशक्त बनाने तथा उन्हें शिक्षित करने की शपथ लें	वार्षिक	जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रमों में से एक वार्षिक उत्सव चुना जाए तथा सभी स्तरों पर शपथ ली जाए।				- सभी सरकारी कार्यकर्ताओं और अन्य पणधारियों में स्वामित्व की भावना पैदा होगी - अपने परिवार, समुदाय या सामाजिक परिवेश में परिवर्तनकर्ता बनने की	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आशा जैसी बुनियादी कार्यकर्त्रियां। पीआरआई, वीडीओ, एसडीएम, डीसी आदि

			प्रतिबद्धता की भावना उत्पन्न करना	
सोशल मीडिया की मौजूदगी को प्रारंभ करना तथा यूट्यूब, फेसबुक, ट्वीटर, माईगोव इत्यादि के माध्यम का प्रभावी प्रयोग समुदाय की विचारधारा को बदलने के लिए करना	चालू	नियमित अंतराल पर	- युवाओं के साथ जो भावी अभिभावक हैं प्रभावी तालमेल - अलग-अलग वर्गों के लोगों के साथ संचार चैनलों को प्रारंभ करना	कोई भी संबंधित पणधारी/सीएसओ/ एनजीओ पार्टनर
पूरे जिले में नारी की चौपाल/मन की बात का आयोजन करना	मासिक	नियमित अंतराल पर	- विचार-विमर्श, चर्चा के माध्यम से महिलाओं के मुद्दों को सामने रखना - महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर समुदाय के साथ चर्चा के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करना - सरकारों और अन्य स्थानीय निकायों की स्कीमों और सेवाओं तथा संसाधन केंद्रों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना - महिला समूहों का अपने अधिकारियों के मोल-भाव और सामुदायिक सहभागिता का सुदृढ़ीकरण	आयोजन करने वाले निकाय का अध्यक्ष
बीबीबीपी हैंडबुक, बैजिस, पोस्टर, बीबीबीपी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध श्रव्य दृश्य सामग्री जैसी आईईसी सामग्रियों का प्रदर्शन तथा प्रचार-प्रसार करना	चालू	नियमित अंतराल पर	- मीडिया तथा संचार प्रयासों की अनुपूर्ति - दृश्य श्रव्य सामग्री, जो सब को आकर्षित करती है, के माध्यम से अभिप्रेत सामाजिक संदेशों को पहुंचाना	अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से जिला प्रशासन
मोबाइल वीडियो, प्रदर्शिनी वैन तथा फील्ड प्रचार कार्यकलापों जैसी राष्ट्रीय अभियान से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करना	आवश्यक-तानुसार	आवश्यकतानुसार	- जागरूकता उत्पन्न करना तथा मानसिकता बदलना	अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से जिला प्रशासन
स्थानीय बीबीबीपी चैम्पियनों की पहचान करना तथा विविध मंचों पर उचित रूप से उन्हें शामिल करना	चालू	नियमित अंतराल पर	- सकारात्मक उदाहरण स्थापित करना तथा संदेश फैलाना - जागरूकता उत्पन्न करना तथा	समुदाय, स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया, जिला

						मानसिकता बदलना	प्रशासन, संबंधित विभाग
विषम परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ने वाली लड़कियों तथा कन्याओं को प्रोत्साहित करने वाले परिवारों के अनुकरणीय मामलों को रेखांकित करना	चालू	नियमित अंतराल पर				- स्थानीय मीडिया कवरेज को सुनिश्चित करेगा - मानसिकता को बदलते हुए इस प्रकार की कहानियां सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करेंगी	समुदाय, स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया, जिला प्रशासन, संबंधित विभाग
पुत्र केंद्रित रस्मों और रीति-रिवाजों में बदलाव को प्रोत्साहित करना	जितनी बार संभव हो	निर्धारित किया जाए। साथ ही, किस प्रकार इसे किया जाए और कितनी समय सीमा में, इसके विवरण के बारे में बीबीबीपी दिशा-निर्देशों का संदर्भ लें।				- बालिकाओं तथा महिलाओं के लिए उदार तथा प्रगतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन आयेगा।	एडब्ल्यूडब्ल्यू/आशा जैसी बुनियादी कार्यकर्त्रियां। सामुदायिक नेता पीआरआई, बीडीओ, एसडीएम, डीसी इत्यादि।
वार्षिक महोत्सव - सर्वश्रेष्ठ पंचायत/अग्रणी कार्यकर्ता का अभिनंदन	वार्षिक (जिला स्तर)					- पंचायत/अग्रणी कार्यकर्त्रियों को उनके अनुकरणीय कार्य के लिए मान्यता	डीसी, जिला प्रशासन
शिक्षा/खेलकूद/संस्कृति तथा सामाजिक कार्य इत्यादि के क्षेत्र में मेधावी बालिकाओं को प्रोत्साहित करना राष्ट्रीय बालिका दिसव/ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस/ स्वतंत्रता दिवस/ गणतंत्र दिवस इत्यादि पर प्रंशसा सहित अभिनंदन/ प्रोत्साहन	वार्षिक (जिला स्तर)					- उच्चतर शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना और सशक्त बनाना - प्रतिभावान लड़कियों को खेल-कूद में जाने के लिए प्रोत्साहित करना - बाल विवाह की रोकथाम	अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से जिला प्रशासन
जिला एवं राज्य पुरस्कार के लिए व्यक्तियों/सीएसओ/एनजीओ की पहचान करना तथा उन्हें नामित करना	वार्षिक (राष्ट्रीय स्तर)						डीसी, जिला प्रशासन
स्थानीय स्तर पर कोई अन्य आईईसी नवाचार ***	निर्धारित किया जाए						डी सी, जिला प्रशासन
5. **एमआईएस का संचालन करना**	वार्षिक	आवर्ती रिपोर्टिंग				ऑनलाइन एमआईएस का संचालन	समन्वय अधिकारी,

		(मासिक-जिला स्तर पर, तिमाही : राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर)				किया गया	नोडल अधिकारी
ख. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण							
जन्म के समय लिंगानुपात पर वास्तविक समय डाटा प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर उपलब्ध मौजूद डाटा तथा समीक्षात्मक रिपोर्टों से डाटा संग्रहण/रिपोर्टिंग/निगरानी उपकरणों को मानकीकृत करना	एक बार	√				सूचकांकों पर विविध विभागों से डाटा एकत्रित करने के लिए, जो जिले में सीएसआर की प्रगति को ट्रैक करने में सहायक होगा, के लिए एमआईएस का निर्माण करना	नोडल अधिकारी सहित डीसी तथा स्वास्थ्य, डब्ल्यूसीडी तथा शिक्षा सहित सभी संबंधित विभाग
जन्म के समय लिंगानुपात पर वास्तविक समय डाटा प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर उपलब्ध मौजूद डाटा तथा समीक्षात्मक रिपोर्टों से डाटा संग्रहण/रिपोर्टिंग/निगरानी उपकरणों को मानकीकृत करना	जिला स्तर पर तिमाही तथा राज्य स्तर पर छ:माही	√			√	बाल लिंगानुपात में सुधार के संबंध में बीबीबीपी हस्तक्षेपों के प्रभाव का मूल्यांकन करना	जिला स्तर पर नोडल अधिकारी सहित डीसी तथा स्वास्थ्य, डब्ल्यूसीडी तथा शिक्षा सहित सभी संबंधित विभाग जिला स्तर पर डीसी सहित स्वास्थ्य, डब्ल्यूसीडी तथा शिक्षा विभाग और संबंधित जिला अधिकारी
जिला पीसी एंड पीएनडीटी प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करना (तकनीकी मानव संसाधन, डीएम कार्यालय में उपकरण सहित कार्यालय स्थल)	एक बार	√				पीसी एंड पीएनडीटी प्रकोष्ठ सुदृढ़ बनाया गया सदस्यों के लिए मानक संचालन पद्धति प्रशिक्षण मैनुअल, विशेषज्ञों का पैनल, प्रशिक्षण के लिए चिंहित संसाधन व्यक्ति	नोडल अधिकारी, पीएनडीटी प्रकोष्ठ
पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम में यथा-निर्धारित राज्य सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन तथा कार्यकरण	पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार	√				पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा किया गया	स्वास्थ्य विभाग, पीएनडटी प्रकोष्ठ
सलाहकार समिति (बैठकों) का कार्यकरण/पंजीकरण/ नवीकरण/ रद्द करना/	मासिक जिला स्तर पर					- आरटीएफ/आईवीएफ, अल्ट्रासाउंड/ इमेजिंग केंद्र, स्पर्म बैंक इत्यादि सहित सभी प्रसव पूर्व तथा	सीएमओ और पीएनडीटी प्रकोष्ठ सहित डीसी

निलंबन/ सीलिंग/ प्राप्त शिकायतें/ अधिनियम के अनुसार सेवाप्रदाताओं की अर्हताएं /न्यायिक मामले/ जिला स्तर/ रिकॉर्ड रख-रखाव तथा क्लीनिंग एडवोकेसी पहलों द्वारा प्रस्तुती के संदर्भ में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी	तिमाही राज्य स्तर पर					गर्भधारण पूर्व निदान केंद्रों का पंजीकरण - पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा तथा राज्य को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना - तिमाही प्रगति रिपोर्टों का राज्य स्तर पर संकलन तथा केंद्र को प्रस्तुति	राज्य उपयुक्त प्राधिकरण
अल्ट्रा-सोनाग्राफी मशीनों की मैपिंग, अल्ट्रा साउंड मशीनों के अनिवार्य पंजीकरण पर निगरानी	तिमाही	√	√	√	√	- जिले में गैर-पंजीकृत अल्ट्रा साउंड मशीनों की पहचान करना - जिले में सभी मशीनों का 100 प्रतिशत पंजीकरण - गैर-पंजीकृत मशीनें संचालित करने वाले के खिलाफ दायर मामले	डीएए और पीएनडीटी प्रकोष्ठ
कार्यान्वयन स्थिति, ऑनलाइन फार्म एफ विकल्प तथा शिकायत पर समस्त सूचना के लिए राज्य वेब पोर्टल का अद्यतन करना	मासिक	√	√	√	√	निगरानी	डीएए और पीएनडीटी प्रकोष्ठ
आवश्यक समीक्षात्मक रिपोर्टों सहित ऑनलाइन फार्म एफ की प्रस्तुति के लिए सक्रिय बेव पोर्टल	तिमाही	√				- पंजीकृत क्लीनिकों द्वारा रिकॉर्डों के रखरखाव का अनुपालन सुनिश्चित करना - पंजीकृत क्लीनिकों द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक रिकॉर्डों की प्रस्तुति सुनिश्चित करना - ऑनलाइन जमा किए गए फॉर्म एफ की जांच करना तथा आवश्यक रिपोर्टें तैयार करना	डीएए और पीएनडीटी प्रकोष्ठ
ऑनलाइन शिकायतों के लिए वेब पोर्टल को सक्रिय करना	एक बार सक्रिय करना					- जिले में कानून का उल्लंघन करने वालों के बारे में आसूचना तैयार करना - कानून के उल्लंघन कर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई	डीएए और पीएनडीटी प्रकोष्ठ
जिला न्यायालय के समक्ष सभी लंबित मामलों की	प्रत्येक माह	√	√	√	√	- न्यायिक मामलों का अनुवर्तन	जिला विधि व्यक्ति के साथ

समीक्षा						- शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना - पी एंड पीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन के मामलों में दोष सिद्धि	डीएए - पीएनडीटी प्रकोष्ठ
जिला निरीक्षण तथा निगरानी समितियों (डीआईएमसी) का गठन	आवधिक परिवर्तनों के साथ एक बार मासिक निरीक्षण					- जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी - आयोजित निरीक्षणों की संस्था - सीलिंग, कारण बताओ नोटिस तथा दायर मामले, पंजीकरणों का निलंबन/ रद्दीकरण के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई	डीआईएमसी सहित डीएए
जन्म रिकॉर्ड का विश्लेषण करना- आई.वी.एफ केंद्र, सरोगेसी क्लिनिक और आनुवंशिकी परामर्श रिपोर्ट	तिमाही	√	√	√	√	लड़कियों और लड़कों के जन्म के % का विश्लेषण किया गया एसएए को विश्लेषण रिपोर्ट	जिला उपयुक्त प्राधिकारी (डीएए)
सूचनादाताओं के लिए पुरस्कारों की व्यवस्था	नियमित	√	√	√	√	- सूचनादाताओं के माध्यम से पता लगाई गई गैर-पंजीकृत/गैर-कानूनी अल्ट्रासाउंड मशीनों/ क्लीनिकों की संख्या - दिए गए पुरस्कारों की संख्या	पीएनडीटी प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य विभाग तथा डीटीएफ
ग. शिक्षा विभाग							
निम्नलिखित के लिए एसएमसी को सक्रिय बनाना : - लड़कियों के सार्वभौमिक पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान आयोजित करना; - स्कूल छोड़ने वालों को पुन: स्कूल भेजने से जोड़ना या वैकल्पिक शिक्षा विकल्प	वार्षिक	√	√		√	पंजीकरण में वृद्धि का प्रतिशत	जिला शिक्षा अधिकारी
बालिका सुलभ विद्यालयों के लिए मानक दिशानिर्देशों/प्रोटोकोल को संचालित करना	एक बार	√				सभी विद्यालयों में मानक दिशा-निर्देश/प्रोटोकोल अपनाए गए	शिक्षा विभाग/जिला शिक्षा अधिकारी

प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय सुविधा सुनिश्चित करना	एक बार तथा अनुरक्षित	√				प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में निर्मित शौचालयों की संख्या	जिला शिक्षा अधिकारी
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) को संचालनात्मक बनाना	अनुरक्षित	√				निर्मित केजीबीवी की संख्या	जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिका होस्टल को संचालनात्मक बनाना	अनुरक्षित	√				संचालित बालिका होस्टलों की संख्या	जिला शिक्षा अधिकारी
स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं को व्यापक संयुक्त ग्राम संपर्क अभियान के माध्यम से माध्यमिक स्कूलों में पुन: भर्ती करने के लिए अभियान प्रारंभ करना	वार्षिक	√	√	√	√	चलाए गए अभियानों की संख्या पुन: पंजीकृत लड़कियों की संख्या	जिला शिक्षा अधिकारी/एडब्ल्यूडब्ल्यू, आशा, पीआरआई और समुदाय/महिला/युवा समूह
बालिका मंच का गठन	नियमित	√	√	√	√	बालिकाओं की भागीदारी बढ़ी	जिला शिक्षा अधिकारी
बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जिला स्तरीय पुरस्कार का आयोजन करना	वार्षिक		√		√		शिक्षा विभाग, डीसी

सामुदायिक जुटाव और जागरूकता विकास							
महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण							
ग्राम स्वास्थ्य तथा पोषण दिवस (वीएचएनडी) का आयोजन करना	मासिक	√	√	√	√	- आयोजित वीएचएनडी की संख्या - जेंडर तथा सीएसआर मुद्दों पर संवेदनीकृत व्यक्तियों की संख्या	नोडल अधिकारी (डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य)
मातृ शिशु संरक्षण कार्ड (एम.सी.पी.सी) का प्रभावी कार्यान्वयन .	मासिक	√	√	√	√	- वितरीत एमसीपी कार्डों की संख्या - उचित रूप से भरे हुए तथा अनुरक्षित एमसीपी कार्डों की संख्या	नोडल अधिकारी (डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य)
प्रथम तिमाही में गर्भधारण का पंजीकरण कराने के लिए गर्भवती माताओं को प्रोत्साहित करना	तिमाही	√	√	√	√	- प्रथम तिमाही में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या - 3500/-रु का नकद प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या	नोडल अधिकारी (डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य)
नुक्कड़ नाटक/दीवारों पर लेखन/रैली/प्रभात फेरी/ बेबी शो	तिमाही	√	√	√	√	- आयोजित कार्यक्रमों/गतिविधियों की संख्या : • नुक्कड़ नाटक • बेबी शो • रैली/प्रभात फेरी • वॉल राईटिंग	नोडल अधिकारी (डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य और शिक्षा)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण							
संबंधित विभागों से सीएसआर सूचकांकों पर प्राथमकि डाटा एकत्रित करना (आधार पंक्ति और अंतिम पंक्ति)	वार्षिक	√					नोडल अधिकारी (स्वास्थ्य, डब्ल्यूसीडी)
प्रथम तिमाही में गर्भधारण के शीघ्र पंजीकरण को प्रोत्साहित करना	मासिक	√	√	√	√	- प्रथम तिमाही में पंजीकृत गर्भधारण के मामलों की संख्या - टीकाकृत (टीटी-। और टीटी-।।)	नोडल अधिकारी (स्वास्थ्य, डब्ल्यूसीडी)

						गर्भवती महिलाओं की संख्या - एएनसी कर चुकी गर्भवती महिलाओं की संख्या - आईएफए प्राप्त कर चुकी गर्भवती महिलाओं की संख्या	
अभियान, परामर्श तथा घरेलू दौरों के माध्यम से जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करना						- जन्म पंजीकरण में वृद्धि हुई	
वीएचएसएनसी की मासिक बैठक	मासिक	√	√	√	√	- आयोजित वीएचएसएनसी बैठकों की संख्या - की गई कार्रवाई	नोडल अधिकारी (स्वास्थ्य, डब्ल्यूसीडी)
शिक्षा विभाग							
बालिकाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बालिका मंच का गठन करना	तिमाही	√	√	√	√	- गठित बालिका मंचों की संख्या - की गई कार्रवाई	नोडल अधिकारी (शिक्षा)
स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) को सक्रिय बनाना	नियमित	√	√	√	√	- संचालनात्मक एसएमसी की संख्या - की गई कार्रवाई	नोडल अधिकारी (शिक्षा)
स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं को पुन:प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में पंजीकृत कराने हेतु अभियान	वार्षिक	√				- चलाए गए अभियानों की संख्या - पुन: पंजीकृत बालिकाओं की संख्या	शिक्षकों की सहायता से नोडल अधिकारी (शिक्षा)
पंचायती राज विभाग							
महिला सभाओं के गठन की सुविधा	तिमाही	√	√	√	√	- गठित महिला सभाओं की संख्या - की गई कार्रवाई	वीडीओ के समर्थन के साथ नोडल अधिकारी (डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य)
विशेष ग्राम सभाओं/शहरी वार्ड सभाओं के गठन की सुविधा	तिमाही	√	√	√	√	- गठित विशेष ग्राम सभाओं की संख्या - की गई कार्रवाई	वीडीओ के समर्थन के साथ नोडल अधिकारी (डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य)
ग्राम सभा के माध्यम से सामुदायिक निगरानी समूहों (महिला पंचायत सदस्यों, युवा स्वयंसेवकों) की पहचान	एक बार (ग्राम सभा के दौरान)	√	√	√	√		
100 प्रतिशत जन्म पंजीकरण को सुनिश्चित करना	मासिक	√	√	√	√	- स्थान जहां बोर्ड लगाए गए;-	सीएमओ, बीडीओ,

पंचायत कार्यालयों /तहसीलों/अस्पतालों जैसे प्रमुख स्थलों पर गुड्डी-गुड्डा बोर्डों *** के माध्यम से जेंडर असंबद्ध डाटा का अनिवार्य प्रदर्शन और समुदाय में उसका व्यापक प्रचार						- लड़कों की तुलना में जन्मी लड़कियों की संख्या समुचित तरीके से प्रदर्शित - पंजीकृत जन्मों की संख्या - दिए गए जन्म प्रमाण-पत्रों की संख्या	सरपंच/प्रधान की सहायता से नोडल अधिकारी (डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य)

*** नारी की चौपाल**

नारी की चौपाल का ***उद्देश्य*** एक ऐसे जीवंत मिलन स्थल का निर्माण करना है, जहां बड़ी संख्या में सामुदायिक समूह, सिविल सोसाइटी संगठन तथा समाज के विभिन्न वर्गों की महिलाएं एक साथ बैठकर उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों पर बातचीत कर सकें और मुद्दों का हल ढूंढ सकें। महिलाएं तथा पुरुष अपनी कहानियां, अनुभव तथा सीख को आपस में साझा कर सकते हैं तथा बदले में महिला सशक्तीकरण को प्राप्त करने के लिए लक्षित विभिन्न सरकारी स्कीमों तथा कार्यक्रमों के बारे में भी जागरूक हो सकते हैं। अनेक समसामायिक मुद्दों पर विभिन्न प्रमुख संदेश पूर्व-कल्पित रूचिकर क्रियाकलापों के माध्यम से प्रचारित किए जा सकते हैं।

**** ऐसे बीबीबीपी चैम्पियनों की सांकेतिक सूची, जो जेंडर समानता तथा बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकते हैं**

- स्थानीय विधायक/सांसद
- प्रधानाचार्य, पत्रकार, वकील, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, खेल-कूद के क्षेत्र की बड़ी हस्तियों इत्यादि जैसी स्थानीय नामी हस्तियां
- उस क्षेत्र के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, कॉर्पोरेट नेता

***** एडवोकेसी, सामुदायिक जुटाव करने तथा जागरूकता विकास से संबंधित गतिविधियों की सांकेतिक सूची**

- उत्तर भारत में अक्षय तृतीया पर व्यापक स्तर पर आयोजित बाल विवाहों की रोकथाम
- क्षेत्रीय पर्वों, उत्सवों इत्यादि पर बालिकाओं के महत्व पर बल देना
- जेंडर समानता को प्रोत्साहित करते हुए रैलियां, प्रभात फेरियां
- धार्मिक तथा पुत्र केंद्रित कर्मकांडों को जैंडर तटस्थ कर्मकांडों में बदलना, जैसे सभी बेटों/बेटियों वाले परिवारों में रक्षा बंधन/भाई-बहन दिवस मनाना, महिलाओं द्वारा अंतिम संस्कार करना, मांगलिक अवसरों पर विधवाओं की उपस्थिति आदि।
- प्रतिगमित सामाजिक रीति-रिवाजों अथवा पितृ-सत्तात्मक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए कोई अन्य क्रियाकलाप
- पितृ-सत्तात्मक प्रभुत्व की फरमानों जैसी अन्य क्षेत्रीय विषमताओं का मुकाबला करना।

****** किसी माह में जन्मे पुत्रों और पुत्रियों का ब्यौरा प्रदान करने वाले गुड्डी-गुड्डा बोर्ड**

सीएसआर पर ग्राम पंचायतों के लिए कार्यवाही बिंदु

i. (क) गत कई वर्षों में लड़के और लड़कियों की जन्म दर, (ख) पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक होने का प्रभाव, (ग) गैर-कानूनी रूप से भ्रूण के निर्धारण तथा (घ) एडवोकेसी के माध्यम से बालिका के महत्व में वृद्धि पर विचार करने के लिए ग्राम सभा की विशेष बैठक।

ii. या तो कार्यकारी निर्देशों या फिर वैधानिक नियमों के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र महिला सभा का गठन किया जाना चाहिए। उन्हें नियमित बैठकों का आयोजन करना चाहिए और यहां सूचीबद्ध कार्यवाहियों की समीक्षा करनी चाहिए। पंचायत सभी महिला वोटरों वाली महिला सभा बैठकों का आयोजन करेगी और अपने द्वारा की जा रही कार्यवाही के बारे में उन्हें जानकारी देगी।

iii. महिला सभा में विचार किए जाने वाले मुद्दों में से एक मुद्दा समाज में महिलाओं की कम संख्या का प्रभाव और वयस्कों की बेहतरी है।

iv. गर्भ में लिंग का निर्धारण गर्भावस्था के केवल तीन माह के पश्चात ही संभव होता है। तीन माह के पश्चात आंगनवाड़ी केंद्रों/एएनएम में स्वयं को पंजीकृत करवाने वाली गर्भवती महिलाओं के गर्भ के लिंग निर्धारण की जांच की संभावना होती है।

v. भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, एक वार्ड सदस्य प्राथमिक रूप से महिला वार्ड सदस्य आंगनवाड़ी केंद्र की निगरानी समिति सदस्य आंगनवाड़ी केंद्र की निगरानी समिति की अध्यक्ष होगी। परिपत्र की एक प्रति संलग्न है। उसे गर्भवती माताओं के पंजीकरण, जन्म, टीकाकरण तथा अन्य कार्यों की निकटतम निगरानी करनी चाहिए। उन्हें ग्राम पंचायत की बैठकों में अपने निष्कर्षों की सूचना देनी चाहिए।

vi. ग्राम सभा की बैठक में, बालिकाओं की सहायता हेतु प्रतिबद्ध महिलाओं को इस उद्देश्य हेतु कार्य करने के लिए स्वयंसेवकों के रूप में चयनित किया जाएगा। पंचायत को स्वयंसेवकों में विभाजित किया जा सकता है। एक कार्य तो केवल यह देखना है कि प्रत्येक गर्भवती माता को प्रथम माह के पश्चात् आंगनवाड़ी केंद्र में रिपोर्ट करने के लिए कहा जाए। वे यह देखने के लिए इन माताओं की निगरानी करेंगे कि दलाल/एजेंट बीच में नहीं आ सके और उन्हें लिंग निर्धारण की जांच न करवानी पड़ जाए। यदि वे ऐसा करती हैं तो स्वयंसेवक उनके साथ क्लीनिक पर जाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार का गैर-कानूनी कार्य न हो।

vii. स्वयंसेवक/वार्ड सदस्य उन एजेंटों के बारे में पुलिस को सूचना देंगे जो लिंग निर्धारण जांच तथा भ्रूण हत्या में महिलाओं की सहायता के लिए बाहर से आते हैं और उनके नामों की घोषणा ग्राम सभा और महिला सभा में भी की जानी चाहिए।

viii. आंगनवाड़ी केंद्र/वार्ड सदस्य गर्भवती माताओं, बच्चों और टीकाकरण के बारे में प्रत्येक माह ग्राम पंचायत को सूचित करेंगे।

ix. आंगनवाड़ी कार्यकहर्ता जो उसी गांव से संबद्ध हो, प्रथम माह के दौरान गर्भावस्था के सभी मामलों के पंजीकरण के लिए पहल करेगी।

x. पंचायत सदस्य और सरपंच सहित सभी ग्रामीण इस गतिविधि में संलग्न क्लीनिकों पर नजर रखेंगे और किसी भी मामले का पता चलने पर उसे पुलिस और जिला अधिकारी के ध्यान में लाएंगे।

परिशिष्ट 4

लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों/लड़कियों को बधाई देने के लिए मानदंड

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति जिला 5 लाख रुपये का उपयोग किया जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत इष्टतम प्रभाव के लिए जिले को सक्षम बनाने हेतु, निम्नलिखित मानदंड प्रस्तावित हैं:-

i. कक्षा V से कक्षा VI में लड़कियों के 100 प्रतिशत उत्तीर्ण करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाले प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 10000 रुपये की राशि के अतिरिक्त स्कूल अनुदान की मंजूरी
ii. कक्षा VIII से कक्षा IXवीं में लड़कियों के 100 प्रतिशत उत्तीर्ण करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाले प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय को 15000 रुपये की राशि के अतिरिक्त स्कूल अनुदान की मंजूरी
iii. कक्षा X से 11वीं में लड़कियों के 100 प्रतिशत उत्तीर्ण करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाले प्रत्येक सकेण्डरी स्कूल को 20000 रुपये की राशि के अतिरिक्त स्कूल अनुदान की मंजूरी
iv. कक्षा 10वीं के राज्य बोर्ड परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले जिले में 10 सर्वश्रेष्ठ लड़कियों में से प्रत्येक को प्रमाणपत्र और 5000 रुपये का नकद पुरस्कार के साथ जिला स्तर के समारोह में बधाई देना।
v. कक्षा 12वीं की राज्य बोर्ड परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले जिले में 10 सर्वश्रेष्ठ लड़कियों में से प्रत्येक को प्रमाणपत्र के साथ जिला स्तर के समारोह में बधाई देना।
vi. जिले में 12वीं की बोर्ड परीक्षा की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली लड़की को उच्च शिक्षा हेतु नामित करने के लिए 20000 रुपये के पुरस्कार के साथ जिला स्तर पर बधाई देना
vii. स्कूलों का चयन यूडीआईएसई आंकड़ों तथा बोर्ड के परिणामों के आधार पर किया जाएगा।

नोट : मानव संसाधन विकास मंत्रालय के क्षेत्रीय मध्यक्षेपों के अंतर्गत प्रस्तावों को डीटीएफ के समक्ष रखा जाएगा और हालांकि डीटीएफ का निर्णय अंतिम होगा। जिले द्वारा 5 लाख रुपये की उच्चतम सीमा को ध्यान में रखा जाना है।

परिशिष्ट 5

गुड्डी-गुड्डा बोर्ड

जिला :

ग्राम पंचायत :

ग्राम :

माह/वर्ष :

जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या	संचयी (जनवरी से पिछले माह तक)	वर्तमान माह
गुड्डी (लड़की)		
गुड्डा (लड़का)		

परिशिष्ट 6

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत नवीन पहलों की व्याख्यात्मक सूची

"बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" स्कीम के अंतर्गत, बाल लिंग अनुपात को सुधारने और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित मामलों के बारे में स्पष्टता बनाने, संवेदना एवं जागरूकता सृजित करने, विचार-विमर्श शुरू करने, विभिन्न लक्ष्य समूहों और हितधारकों के मध्य राष्ट्रीय जागरूकता का निर्माण करने के लिए भागीदार विभागों के सहयोग से जिलों द्वारा विभिन्न नई पहलें शुरू की गई है। अपनी स्थानीय आवश्यकताओं, संदर्भ तथा संवेदनशीलताओं के अनुसार अनुसरण करने और अपनाने के लिए जिलों को प्रोत्साहित करने हेतु कुछ नवीन पहलें नीचे सूचीबद्ध हैं:-

क्र.सं.	नवीन गतिविधियां	टिप्पणी
1	**डिजिटल गुड्डी-गुड्डा बोर्ड**	डिजिटल बोर्ड का प्रदर्शन जिले में हजारों लोगों पर प्रभाव डालते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से संबद्ध डिजिटल नवीकरण एवं बेहतर पद्धति का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गुड्डी-गुड्डा बोर्ड का उपयोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के जन्म से संबंधित, एकत्रित किए गए आंकड़ों का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। इसमें लड़कियों के लिए स्कीमों/कार्यक्रमों से संबंधित सूचना, ऑडियो-वीडियो सामग्री और कम होती हुई सीएसआर के मामले से संबंधित आईएफसी सामग्री से संबंधित सूचना भी शामिल है।
2	**उड़ान- सपने दी दुनिया दे रूबरू (उड़ान- एक दिन के लिए अपने सपने के अनुसार जीएं)**	यह पहल 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, अभियंता, आईएएस और आईपीएस अधिकारी इनमें से जो भी वे बनना चाहती हैं, के साथ एक दिन बिताने का अवसर प्रदान करने के लिए है।
3	**मेरा लक्ष्य मेरा उद्देश्य अभियान**	इस पहल में प्रशासन कला, वाणिज्य, चिकित्सा तथा गैर चिकित्सा वाले सकायों से शैक्षिक रूप से उन्नत लड़कियों का चयन करता है और इन्हें उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, न्यायिक मजिस्ट्रेट, एसडीएम, बीडीपीओ, डॉक्टरों, पुलिस अधिकारियों तथा विभिन्न संकायों के अन्य विशिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बातचीत का अवसर देता है।
4	**लक्ष्य से रूबरू**	स्कूलों/कॉलेजों की चयनित लड़कियों को उत्तरदायित्व और कार्यप्रणाली की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मिलने और उनके साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस पहल का लक्ष्य लड़कियों को अपने लिए बेहतर केरियर का चयन करने में सूचित निर्णय करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है।
5	**पहल - एक कदम नारी सम्मान की ओर**	इस पहल, जो कई प्रकार की गतिविधियों से संगठित है, में समर्पित कॉलर ट्यून, हस्ताक्षर अभियान, शपथ लेना तथा बालिका के सशक्तीकरण पर सांस्कृतिक समृद्धि शामिल है।
6	**घर की पहचान बेटी के नाम**	यह पहल न्यून सीएसआर के साथ 20 गांवों में शुरू हुई थी, इसके अंतर्गत प्रत्येक घर को बालिका के नाम से जाना जाता है। (घरों के बाहर बालिका की नेमप्लेट लगी होती है)।
7	**नूर जीवन का बेटियां अभियान**	लड़कियों के प्रति समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की यात्रा। पंचायतों, स्कूलों, कॉलेजों, संस्थानों के स्तर पर आयोजित विभिन्न विषय आधारित बातचीत गतिविधियों (दिन-वार) सहित आयोजित एक सप्ताह का अभियान।
8	**कन्या संबर्धना उत्सव**	इस पहल के तहत जिला प्रशासन बालिका के महत्व के बारे में जागरूकता सृजित

		करने की उद्देश्य से बालिका (कन्या) और माता को बधाई देता है।
9	**बिटिया और बीरबा**	इस अद्वितीय पहल का लक्ष्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा पर्यावरणीय सुरक्षा के बारे में जागरूकता सृजित करना है। इसके तहत नवजात बच्चियों की माताओं को "पौधा" देकर बधाई दी गई एवं सम्मानित किया गया।
10	**आओ स्कूल चलें अभियान**	यह अभियान प्रत्येक घर के दौरे के माध्यम से बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण तथा स्कूलों में लड़कियों का 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता को गतिशील बनाने का अभियान है।
11	**अपना बच्चा अपना विद्यालय**	जिले के स्कूलों में लड़कियों का 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग और हितधारक के सहयोग से विशेष अभियान।
12	**लाडली के साथ लंच**	यह जिला प्रशासन की एक पहल है जिससे जिला कलेक्टर मध्यान्ह भोजन को देखने के लिए स्कूलों का दौरा करते हैं और भोजन के बारे में लड़कियों से बातचीत करते और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहन/ प्रेरणा देते हैं।
13	**कलेक्टर की क्लास**	यह सरकारी स्कूलों/कॉलेजों की गरीब लड़कियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग कक्षाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई एक अद्वितीय पहल है। पेशेवर अध्यापक/प्रोफेसर सत्र लेते हैं और केरियर के परामर्श में सहयोग देते हैं।
14	**बाल मंत्रिमंडल**	जिले में स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा बाल मंत्रिमंडलों का संचालन किया जाता है जिसमें विद्यार्थी विभिन्न मामलों पर चर्चा एवं निपटान के लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, शिक्षामंत्री और वित्तमंत्री आदि की भूमिकाएं निभाते हैं।
15	20 गांव (कम लैंगिक अनुपात वाले) से बेटियों (अधिकतम दो) वाले माता-पिताओं के लिए **पिंक कार्डों की शुरुआत**	जिला प्रशासन द्वारा सुविधा केंद्र (सुगमता केंद्र) में एक विशेष पिंक केबिन की स्थापना की जाती है जहां पिंक कार्डधारक जन्म पंजीकरण, विवाह पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस आदि का लाभ उठा सकते हैं।

अनुलग्नक X

जिला स्तरीय व्यय विवरण
बेटी बचाओ, बेटी पढाओ (बीबीबीपी)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र/जिला :..... वित्तीय वर्ष : .....

भाग क:

फार्म जीएफआर 12-सी

उपयोग प्रमाणपत्र का फार्म

<table>
<tr><td>क्रम संख्या</td><td>पत्र सं. और तारीख</td><td>धनराशि</td><td rowspan="3">प्रमाणित किया जाता है कि इस मंत्रालय/विभाग के पत्र सं....., जो मार्जिन में दिया गया है, के तहत..... के पक्ष में वर्ष..... के दौरान संस्वीकृत अनुदान सहायता रू..... और विगत वर्ष के अव्ययित शेष के रू..... में से रू..... का उपयोग .....इस प्रयोजन हेतु किया गया है जिसके लिए स्वीकृति हुई थी और कि अनप्रयुक्त शेष रकम रू..... सरकार को (पत्र संख्या .....दिनांक ..... द्वारा) वर्ष के अंत में अभ्यर्पित कर दी गई है/अगले वर्ष ..... के दौरान अनुदान सहायता में समायोजित कर दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं स्वयं इस बात से संतुष्ट हूं कि जिन शर्तों पर अनुदान सहायता प्रदान की गई थी, को विधिवत पूरा किया गया है/ पूरा किया जा रहा है और कि मैंने यह देखने के लिए जांच का अनुपालन कर लिया है कि जिस प्रयोजन के लिए धनराशि संस्वीकृत की थी उनके लिए वास्तव में उपयोग की गई है।

हस्ताक्षर: .....
पदनाम:.....
दिनांक: .....

ध्यान दें: उपयोग प्रमाणपत्र में, किए गए वास्तविक व्यय और भंडारण और परिसंपत्तियों के आपूर्तिकर्ताओं, निर्माण एजेंसियों और अन्य को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप और स्कीम के उद्देश्यों के अनुक्रम में दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों, जो उस चरण में व्यय में शामिल नहीं होते, को अलग से प्रकट किया जाएगा। इन्हें उपयोग किए गए अनुदान के रूप में माना जाएगा किंतु इन्हें आगे ले जाए जाने की अनुमति नहीं होगी।

भाग - ख वास्तविक

1. **जिला स्तरीय कार्रवाई**

1. अंतर क्षेत्रीय परामर्श और बैठकें

i) संबंधित विभागों और अन्य हितधारकों के साथ हुई बैठकों की संख्या : ..... .

ii) जिला टॉस्क फोर्स (डीटीएफ) और ब्लॉक कार्य बल (बीटीएफ) की आयोजित बैठकों की संख्या : .....

iii) आयोजित मीडिया अभियानों की संख्या : .....

2. **अभिमुखीकरण और संवेदीकरण कार्यक्रम**

i) जिला अधिकारियों/जिला परिषद के सदस्यों/पीएनडीटी प्रकोष्ठ /न्यायिक/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(डीएलएसए) आदि के लिए आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमों की संख्या .....

ii) जिला स्तर पर आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमों में उपस्थित हुए प्रतिभागियों की संख्या : .....

iii) ब्लॉक अधिकारी/ब्लॉक परिषद/ पंचायत सदस्यों के लिए आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमों की संख्या : .....

iv) ब्लॉक स्तर पर आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमों में उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या : .....

v) ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी) के सदस्यों के लिए आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमों की संख्या : .....

vi) ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी) सदस्यों के लिए आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमों में उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या : .....

vii) विद्यालय प्रबंधन समितियों के सदस्यों के लिए आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमों की संख्या : .....

viii) विद्यालय प्रबंधन समितियों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रमों में उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या: .....

ix) धार्मिक नेताओं, चुने हुए प्रतिनिधियों और सामुदायिक नेताओं के लिए आयोजित संवेदीकरण कार्यक्रमों की संख्या : .....

x) संवेदीकरण कार्यक्रमों में उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या : .....

ख **प्रशिक्षण एवं कौशल विकास**

i) प्रशासनिक, पुलिस, न्यायिक, चिकित्सा कॉलेजों और अन्य अकादमियों - एलबीएसएनएए, एटीआई आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या : .....

ii) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या: .....

iii) जैंडर एवं बालिका एककों में आयोजित प्रशिक्षण की संख्या: .....

iv) जैंडर एवं बालिका एककों के प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या: .....

v) अग्रणी कार्यकर्ताओं-आंगनवाडी कार्यकर्त्रियों/आशा के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या : .....

vi) उपस्थित अग्रणी कार्यकर्ताओं की संख्या : .....

vii) युवकों/सबला समूहों/स्वयंसेवकों/एसएचजी/ महिला मंडलों / एनवाईकेएस के लिए आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या: .....

viii) जिला उपयुक्त प्राधिकारी (डीएए) और पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम से संबंधित कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या : .....

ix) जिला उपयुक्त प्राधिकारी (डीएए) और पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम से संबंधित अन्य कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या : .....

3. **नवोन्मेष**

i) बालिका दिवस से संबंधित समारोहों के आयोजन की संख्या : .....

ii) बेटी जन्मोत्सव के लिए आयोजित समारोहों की संख्या: .....

iii) श्रेष्ठ व्यवहार अपनाने के लिए पंचायत/ शहरी वार्ड/ अग्रणी कार्यकर्त्ताओं के लिए आयोजित कार्यक्रमों की संख्या : .....

iv) माताओं एवं कन्याओं के लिए अस्पताल में मिठाई और जन्म-प्रमाणपत्र आदि से आयोजित सम्मान समारोहों की संख्या : .....

v) डीटीएफ /बीटीएफ द्वारा चिन्हित ऐसे अन्य कार्यकलापों की संख्या : .....

4. जागरूकता उत्पन्न करना और आउटरीच कार्यकलाप/गतिविधियां

i) नुक्कड नाटक/ रैली / बेबी शो / बालिका दिवस समारोह मनाने (माह में नियत दिवस को) जैसे जागरूकता सृजन और आउटरीच कार्यकलापों के आयोजनों की संख्या : .....

ii) पूरे जिले में आयोजित नारी की चौपाल/मन की बात जैसे आयोजित कार्यक्रमों की संख्या : .....

iii) ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति(वीएचएसएनसी) की आयोजित बैठकों की संख्या : .....

iv) बाल लिंगानुपात(सीएसआर) विषय पर आयोजित कोई विशेष ग्राम सभा : .....

v) श्रेष्ठ पंचायत /अग्रणी कार्यकर्ताओं के सम्मान में आयोजित मेगा इवेंट की संख्या : .....

vi) उन पंचायत/अग्रणी कार्यकर्ताओं की संख्या जिन्हें उनके अनुकरणीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया : .....

vii) शैक्षणिक/खेलकूद/सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य के क्षेत्र की प्रतिभाशाली बालिकाओं की संख्या : .....

viii) जागरूकता उत्पन्न करना और आउटरीच कार्यकलापों के लिए डीटीएफ/बीटीएफ द्वारा अभिज्ञात अन्य कार्यकलापों का ब्यौरा : .....

ix) अन्य मुद्रित आईईसी सामग्री .....

5. निगरानी, मूल्यांकन और प्रलेखन

i) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गये दौरों की संख्या -

क. ब्लॉक स्तर पर : .....

ख. ग्राम स्तर पर .....

ii) श्रेष्ठ संव्यवहार पर मुद्रित बुकलेट्स की संख्या :

iii) अन्य मुद्रित आईईसी सामग्री .....

6. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमओएचआरडी) के क्षेत्रीय कार्यकलाप

i) जिले में विद्यालय मॉनीटरिंग समिति (एसएमसी) को दिये पुरस्कारों की संख्या : .....

ii) व्यापक संयुक्त ग्राम सम्पर्क मुहिम के माध्यम से माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय छोड चुकी बालिकाओं का पुन: दाखिला किये जाने के लिए आयोजित अभियानों की संख्या : .....

iii) आयोजित अभियानों के दौरान पुन: दाखिला लेने वाली बालिकाओं की संख्या : .....

iv) बालिकाओं की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए सृजित बालिका मंचों की संख्या: .....

v) बालिका मंचों में भाग लेने वाली बालिकाओं की संख्या :

7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यकलाप

i) गर्भावस्था के शीघ्र पंजीकरण, संस्थागत प्रसव और जन्म पंजीकरण को बढावा देना

1. माह में पंजीकृत जन्म की कुल संख्या:

क. बालक : .....

ख. बालिकाएं : .....

2. जन्म पर लिंगानुपात (बालिकाएं/ बालक *1000) .....

ii) पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम का प्रवर्तन :

क. जिले में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सुविधाओं की संख्या : .....

ख. विगत माह के दौरान पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत जारी किये नए पंजीकरणों की संख्या : .....

ग. मैपिंग के दौरान पहचान की गई उन अपंजीकृत सुविधाओं की संख्या जो जिले में उपचार सेवाएं प्रदान कर रहे थे : .....

घ. जिले में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत पंजीकृत आईवीएफ क्लीनिकों की संख्या : .....

ड. पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत कितने कोर्ट केस पेंडिंग हैं और कितने दोष सिद्धि सुरक्षित हैं: .....

च. कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं और कितने केस जिला उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दर्ज किये गये ? .....

छ. एनआईएमसी/एसआईएमसी द्वारा संचालित किये निरीक्षण एवं निगरानी दौरों की संख्या : .....

ज. जिले में सुदृढ किये पीएनडीटी कक्षों की संख्या : .....

झ. संचालित नवोन्मेषों, अनुसंधान अध्ययनों अथवा सर्वेक्षणों की संख्या : .....

ञ. प्रति जिला आई सी कार्यकलाप/कौशल विकास : .....

ii) भाग ग : वित्तीय

1. भारत सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निर्मुक्त की गई निधियां : .....
2. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गयी राशि .....
3. (क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान का अनुप्रयोग शेष (1-2) .....

   अथवा

   (ख) पिछले वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त व्यय (2-1) : .....
4. भारत सरकार द्वारा चालू वर्ष की पिछली छमाही तक जारी की गई निधियां : .....
5. भारत सरकार द्वारा चालू वर्ष की छमाही के दौरान जारी की गई निधियां : .....

   (स्वीकृति आदेश सं. ---------- दिनांक : ----------)
6. वर्ष के दौरान जारी किया संचयी (4+5) .....
7. उपलब्ध केंद्रीय निधियां (6+3(क) अथवा 6-(ख), जैसी भी स्थिति हो) .....
8. तिमाही के दौरान अतिरिक्त व्यय (लाख रु. में) .....

(क) जिला स्तर

		I/II/III/IV तिमाही में	I/II/III/IV तिमाही तक संचयी
1	(i) डीटीएफ एवं बीटीएफ की अंतर क्षेत्रीय परामर्श एवं बैठकें और मीडिया अभियान (ii) प्रशिक्षण एवं कौशल विकास/ संवेदीकरण		
2	नवोन्मेषी एवं आउटरीच कार्यकलाप		
3	निगरानी, मूल्यांकन और प्रलेखन		
4	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमओएचआरडी) के क्षेत्रीय कार्यकलाप		
5	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यकलाप		
6	फ्लेक्सी निधियों में से चलायी गई गतिविधियां,यदि कोई हों		
	कुल		
7	उपयोग की गई निधियां (क)8 -7)		
8	बचत, यदि कोई हो, कारण सहित		

उपरोक्त लोगो बालिका के गरिमापूर्ण और समानता का जीवन जीने के अधिकारों,
आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली
www.wcd.nic.in